REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022024-252323 CG-DL-E-23022024-252323

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945 No. 45] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी-ओआई-04/2023

विषय: चीन जन. गण., सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पेंटाएरीथ्रिटोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम।

- फा. सं. 06/04/2023-डीजीटीआर.—
- क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>
 - मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक या ''याचिकाकर्ता'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का

1167 GI/2024

आकलन और संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (इसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष विहित प्रपत्र और ढंग से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण., सऊदी अरब और ताइवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटाएरीथ्रिटोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. संबद्ध वस्तु के बारे में प्राधिकारी द्वारा की गई पूर्ववर्ती जांचों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	\rightarrow		2.0	
तालिका 1: चीन जन.	गण. कावरुद्ध	पूर्ववता पाट	टनराधा जाचा क	ा ब्यारा

	मूल जांच	निर्णायक समीक्षा- I	निर्णायक समीक्षा - II
संबद्ध देश	चीन जन. गण. और स्वीडन	चीन जन. गण. और स्वीडेन	चीन जन. गण.
जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या	14/16/2004-डीजीएडी	15/03/2010- डीजीएडी	15/01/2016- डीजीएडी
जांच शुरूआत अधिसूचना तारीख	04 फरवरी 2005	26 मार्च 2010	07 जून 2016
प्रारंभिक जांच परिणाम- एमओसी	05 अगस्त 2005	-	-
अनंतिम शुल्क - एमओएफ	20 अक्टूबर 2005	-	-
अनंतिम शुल्क की सीमा शुल्क अधिसूचना	93/2005	-	-
अंतिम जांच परिणाम-डीजीएडी	02 फरवरी 2006	25 मार्च 2011	12 मई 2017
निश्चयात्मक शुल्क - एमओएफ	20 अप्रैल 2006	14 जून 2011	29 जून 2017

तालिका 2:_सऊदी अरब के विरुद्ध पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों का ब्यौरा

	नयी जांच
संबद्ध देश	सऊदी अरब
जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या	14/11/2011-डीजीएडी
जांच शुरुआत अधिसूचना तारीख	22 मई 2012
	08 नवंबर 2013 को समाप्त हुई

तालिका 3: ताइवान के विरुद्ध पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों का ब्यौरा

	मूल जांच	निर्णायक समीक्षा- I	मध्यावधि समीक्षा	निर्णायक समीक्षा - II	
संबद्ध देश	ताइवान, जापान, कनाडा	ताइवान और जापान	ताइवान	ताइवान	
जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या	48/1/2001- डीजीएडी	15/07/2006- डीजीएडी	15/10/2010- डीजीएडी	15/19/2012- डीजीएडी	
जांच शुरूआत अधिसूचना तारीख			22 जून 2010	27 अप्रैल 2013	
प्रारंभिक जांच परिणाम- डीजीएडी	15 फरवरी 2002	-	-	-	
अनंतिम शुल्क की सीमा शुल्क अधिसूचना	तीमा शुल्क 27 मार्च 2002		-	-	
अनंतिम शुल्क की सीमा शुल्क	33/2002	-	-	-	

अधिसूचना				
अंतिम जांच परिणाम-डीजीएडी	08 अक्टूबर 2002	05 मार्च 2008	17 जून 2011	16 अक्टूबर 2014
निश्चयात्म शुल्क - एमओएफ	31 अक्टूबर 2002	28 अप्रैल 2008	12 अगस्त 2011	31 दिसंबर 2014

ख. <u>प्रक्रिया</u>

- 3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचना सं. 6/04/2023-डीजीटीआर दिनांक 12 मई, 2023 जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत के संबद्ध देशों के दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके ब्यौरो आवेदक ने उपलब्ध कराये थे) को प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर दिया था। उनसे सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए कहा गया था।
 - iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6)3 (के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावासों को आवेदक के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।
 - v. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजीं थी:

क्र. सं.	ज्ञात निर्यातक/उत्पादक का नाम	क्र. सं.	ज्ञात निर्यातक/उत्पादक का नाम
1.	गुइझोउ क्रिस्टल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	2.	चीन नेशनल केमिकल्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन
3.	सिन्कोहेम जियांगसू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन	4.	शांक्सी सानवेई ग्रुप कंपनी लिमिटेड
5.	कॉसमॉस वीयू लिमिटेड	6.	हुबेई यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
7.	पुयांगपेंगक्सिन केमिकल कंपनी लिमिटेड	8.	शंघाई कोवन केमिकल कंपनी
9.	सिनोराइट इंटरनेशनल ट्रेड	10.	स्टार केमिकल्स फार ईस्ट कंपनी लिमिटेड
11.	वुहान बिएट कंपनी लिमिटेड	12.	झेजियांग मेडिसीन्स और हेल्थ प्रोक्डट्स
13.	परस्टॉप स्पेशलिटी केमिकल्स एबी	14.	केमनॉल (मेथनॉल केमिकल्स कंपनी)
15.	एलसीवाई केमिकल कार्पोरेशन	16.	ओशियन केमिकल कंपनी लिमिटेड
17.	रोशल ग्रुप	18.	मेटाफ्रैक्स केमिकल्स
19.	कार्बोलिट जेएससी (मेटाफ्रैक्स ग्रुप)		

vi सउदी अरब से एक उत्पादक/निर्यातक मेथनॉल केमिकल्स कंपनी ("केमनोल(" ने 44 दिन की देरी से और इस देरी के लिए समय बढ़ाने की मांग किए बिना निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया था। चूंकि उत्तर देने में काफी विलंब हो गया है। इसलिए प्राधिकारी इसे स्वीकार नहीं करने के लिए बाध्य है। तथापि, केमनोल द्वारा किए गए अनुरोधों पर यथा आवश्यक ढंग से प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।

vii. एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से भी आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र. सं.	ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता का नाम	क्र. सं.	ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता का नाम
1.	एम्बर केमिकल्स	2.	अमजे केम ट्रेड प्रा. लिमिटेड
3.	एरोन यूनिवर्सल लिमिटेड	4.	एशियन पेंट्स लिमिटेड
5.	ऑरियोल रबर्स प्रा. लिमिटेड	6.	बी पंकज कुमार एंड कंपनी
7.	बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड	8.	भारत सॉल्वेंट एंड केमिकल कार्पोरेशन
9.	बोरो क्रिस	10.	केमिकल कॉर्प प्रा. लिमिटेड
11.	एस्डी पेंट्स लिमिटेड	12.	फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
13.	गमप्रो ड्रिलिंग फ्लूइड्स प्रा. लिमिटेड	14.	हार्डवेयर ट्रेर्डिंग कॉर्पोरेशन
15.	ह्यूबरग्रुप इंडिया प्रा. लिमिटेड	16.	जे किरीट एंड ब्रदर्स
17.	जे पी डाइकेम प्रा .लिमिटेड	18.	जयमारुति पॉलीकेम एलएलपी
19.	के के ग्लोबल	20.	कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड
21.	कुशल केमिकल्स	22.	लियो केमो प्लास्ट प्राइवेट. लिमिटेड
23.	लोक केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	24.	मैक्रो पॉलिमर प्रा. लिमिटेड
25.	एन.आर. कलर्स लिमिटेड	26.	पारीकेम रिसोर्सेज एलएलपी
27.	पवन केमिकल्स	28.	पीके एजेंसीज प्रा. लिमिटेड
29.	पर्सट्राप केमिकल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	30.	पायनियर केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
31.	आर नंदलाल एंड संस	32.	आर.आर. इनोवेटिव प्रा. लिमिटेड
33.	रमणिकलाल एस गोसलिया एंड कंपनी	34.	रेजिन एंड प्लास्टिक लिमिटेड
35.	सानवी केमिकल्स	36.	संजय केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
37.	संतवानी ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड	38.	शाह सी जे वर्ल्ड एलएलपी
39.	श्लोक केमिकल्स	40.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
41.	स्पैक ऑर्गोकेम (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	42.	सु-रसायन
43.	यूनिफ़ॉर्म सिंथेटिक्स प्रा. लिमिटेड	44.	वंदना केमिकल्स
45.	रत्नाका मशीनरी एंड स्पेयर्स	46.	ए वी एम सेल्स प्रा. लिमिटेड
47.	सुभम ऑयल्स एंड रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड	48.	एडिसन पेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
49.	सेंचुरी एंका लिमिटेड	50.	सीबा स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया लिमिटेड
51.	कोट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	52.	डेकप्रो पेंट्स
53.	दुजोदवाला पेपर केमिकल्स लिमिटेड	54.	गार्गी इंडस्ट्रीज प्रॉप.
55.	गुडलैसनेरोलैक पेंट्स लिमिटेड	56.	हार्डकैसल एंड वॉड एमएफजी. कंपनी लिमिटेड
57.	हीरो डाई केम इंडस्ट्रीज	58.	हिंदुस्तान इंक्स एंड रेजिन्स लिमिटेड

क्र. सं.	ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता का नाम	क्र. सं.	ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता का नाम
59.	आईवीपी लिमिटेड	60.	जेनसन एंड निकोलसन (आई) लिमिटेड
61.	मित्सु इंडस्ट्रीज लिमिटेड	62.	पारस डाइज़ एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड
63.	रेसिन एंड पिग्मेंट्स	64.	पर्सट्राप केमिकल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
65.	ए.वी.एम. सेल्स प्रा. लिमिटेड	66.	एल्कॉन इंटरप्राइजेज
67.	केमी कलर एजेंसी	68.	ईस्टकॉर्प इंटरनेशनल
69.	गारवेयर पॉलिएस्टर लिमिटेड	70.	एच.आर. ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड
71.	लियो केमोप्लास्ट प्रा. लिमिटेड	72.	समीर डाई केम
73.	सनमन ट्रेड इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड	74.	सराफ केमिकल्स लिमिटेड
75.	विबग्योर पेंट्स प्रा. लिमिटेड	76.	इंडियन पेंट्स एसोसिएशन
77.	इंडियन रेसिन मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन	78.	इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन

- viii. भारत में संबद्ध वस्तु के एक आयातक मैसर्स संदीप ऑर्गेनिक्स ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया, परंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। इन पर जहां आवश्यक हो, समुचित ध्यान दिया गया है।
- ix. सऊदी अरब की सरकार ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।
- x. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की थी। ईआईक्यू का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया है।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को जहां आवश्यक है, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- xii. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी।
- xiii. घरेलू उद्योग का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक ज्ञापन किया गया था।
- xiv. सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार रखे गए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के अनुसार क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी भी कहा गया है) ज्ञात की गई है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।
- xv. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 (9 महीने) की है (जिसे आगे जांच की अवधि या पीओआई भी कहा गया है) प्राधिकारी ने 9 महीने की अवधि को पीओआई मानने के लिए वर्तमान जांच की जांच शुरुआत अधिसूचना में कारण दर्ज किए हैं। यह बताया गया था कि इस अवधि को निम्न के पश्चात पीओआई माना गया था। (क) उस अवधि को छोड़कर जिसके दौरान चीन पर शुल्क लागू थे, और वह अवधि जिसके लिए आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं हैं। (ख) घरेलू उद्योग को हो रहे अपूरणीय घाटे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू करने की तात्कालीकता पर विचार किया गया है। जांच शुरूआत अधिसूचना में यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कि अन्य पक्षकार पीओआई के उचित होने पर टिप्पणी कर सकते हैं। किसी टिप्पणी के प्राप्ति के अभाव और पूर्वोक्त कारकों को देखते हुए प्राधिकारी पीओआई अर्थात 1जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 को वर्तमान जांच के लिए उचित मानते हैं। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती वर्षों 2019-20, 2020-21 और अप्रैल 2021- जून 2022 की अवधि शामिल है। इसके अलावा चूंकि

पीओआई 9 महीने की है और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष 15 महीने है। इसलिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के रुझानों की जांच करने के लिए इन दोनों अवधियों को वार्षिकीकृत करना उचित माना है। निम्नलिखित फार्मूले (x/15) *12 और (x/9) *12, को लागू करते हुए क्रमश: इन दोनों अवधियों के लिए वास्तविक आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है।

- xvi. एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 22सितंबर, 2023 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। हितबद्ध पक्षकारों से 29 सितंबर, 2023 तक अपने लिखित अनुरोध और अधिकतम 6 अक्टूबर, 2023 तक खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- xvii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने अवलोकन दर्ज किए हैं।
- xviii. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा 17 जनवरी, 2024 को संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया। इन पर 24 जनवरी, 2024 तक टिप्पणियां मांगी गईं। प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xix. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।
- xx. अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपए में बदलने के लिए पीओआई हेतु विचार गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर **= 82.16 रुपए** है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i) घरेलू उद्योग 92 प्रतिशत और 96 प्रतिशत की शुद्धता वाले पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन करता है जबकि भारतीय बाजार में आने वाले आयात न्यूनतम 98 प्रतिशत शुद्धता के हैं। रूस से आयातों की वास्तविक शुद्धता न्यूनतम 99 प्रतिशत है। शुद्धता के अनुसार प्रयोग और कीमत में अंतर है और इसलिए आंकड़ों की तुलना शुद्धता के अनुसार करनी चाहिए। इसके अलावा, इस संबंध में विश्लेषण प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग और समर्थक के विचार

- विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में भारतीय उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i) विचाराधीन उत्पाद पेंटाएरीथ्रिटोल है इसमें डीआई पेंटाएरीथ्रिटोल शामिल नहीं है। यह एक कार्बनिक यौगिक है और ''एरीथ्रिटोल'' के नाम से इंगित 4 हाईड्राक्सिल समूहों और पेंटा उपसर्ग से इंगित 5 कार्बन अणुओं से निर्मित होता है। इसे दो ग्रेडों में उत्पादित किया जा सकता है। इनमें अंतर प्राथमिक रूप से शुद्धता, क्रिस्टल के आकार और क्रिस्टलों की एकरूपता के आधार पर होता है। इसके अलावा, दोनों ग्रेडों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है।
 - ii) पेंटाएरीथ्रिटोल का प्रयोग एल्काइड रेजिन, ईस्टर और अन्य व्यूत्पत्तियों जैसी व्युत्पत्तियों के उत्पादन में होता है। इन व्यूत्पत्तियों का प्रयोग पेंट, वार्नेश और अन्य सतह कोटिंग उद्योगों और बिल्कुल हाल में विभिन्न उद्योगों में लुब्रिकेंट में ड्राइंग एजेंट के रूप में होता है।
 - iii) संबद्ध वस्तु की शुद्धता के संबंध में कथित अंतर के बारे में इसकी जांच पहले भी डीजीटीआर द्वारा और संबद्ध वस्तु की जांच करने वाले अन्य क्षेत्राधिकारियों द्वारा की गई है। यूरोपीय संघ के 3अप्रैल 2007 के

विनियमन)ईसी) संख्या 2007/214/ईसी¹ में नोट किया था कि सभी ग्रेडों में समान रसायनिक और भौतिक विशेषताएं हैं और उनका प्रयोग एक ही प्रयोजन के लिए होता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- विचाराधीन उत्पाद पेंटाएरीथ्रिटोल है इसमें डीआई पेंटाएरीथ्रिटोल शामिल नहीं है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। ''एरीथ्रिटोल'' 4हाईड्राक्सिल समूहों की उपस्थिति दर्शाता है और उपसर्ग पेंटा अणु में 5 कार्बन अणुओं को दर्शाता है।
- पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन इलेक्ट्रो डाइलिसिस पृथक्करण प्रौद्योगिकी या फ्रैक्शनल, किस्टलीकरण प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है जिसका आणविक सूत्र C₅H₁₂O₄ आणविक भार 136 है।
- दोनों प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादित उत्पाद विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है। पेंटाएरीथ्रिटोल के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री मेथेनॉल, एथेनॉल, कास्टिक सोडा और एक्टिवेटेड कार्बन हैं।
- 9. पेंटाएरीथ्रिटोल तकनीकी या नाइट्रीशियन ट्रेड का हो सकता है। दोनों ग्रेडों में प्रमुख अंतर शुद्धता, क्रिस्टल आकार और क्रिस्टलों की समानता का है। दोनों ग्रेडों को समान प्रक्रिया से उत्पादित किया जाता है। तथापि, यह केवल ग्रेडेशन का मामला है। उत्पादन और विश्लेषण परीक्षण के स्तर पर उत्पाद का परीक्षण होता है। 98 प्रतिशत से अधिक शुद्धता वाले और बेहतर क्रिस्टल निर्माण के पेंटाएरीथ्रिटोल का प्रयोग विस्फोटक उद्योग में हो सकता है और इसलिए इस ग्रेड को वाणिज्यिक शब्दावली में "नाईट्रेशन ग्रेड" के रूप में माना गया है। तथापि, नाईट्रेशन ग्रेड के रूप में माने गए पेंटाएरीथ्रिटोल का प्रयोग एल्काइड रेजिन और अन्य उत्पादों के उत्पादन में भी हो सकता है (जहां अन्य ग्रेड पेंटाएरीथ्रिटोल तकनीकी ग्रेड का प्रयोग किया जाता है) । यह नोट किया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अधिकांशत: तकनीकी ग्रेड का उत्पादन होता है और दो प्रतिशत से कम उत्पादन परिणाम नाईट्रेशन ग्रेड के होते हैं। डाई- पेंटा का उत्पादन 0.5 प्रतिशत से कम है। संबद्ध वस्तु के आयात के अनुसार प्राथमिक रूप से तकनीकी ग्रेड भी होता है।
- तकनीकी या नाईट्रेशन ग्रेड के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं होता है। नाईट्रेशन ग्रेड को तकनीकी ग्रेड की तुलना में अधिक शुद्धता होने के कारण थोड़ी अधिक कीमत पर बेचा जाता है। तथापि, पूर्वोक्त कीमत अंतर मामूली है। डाई – पेंटाएरीथ्रिटोल वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
- 11. तकनीकी और नाईट्रेशन ग्रेड के बीच कीमत का अंतर मामूली है। इसके पूर्व निर्धारण के अनुसार प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के बारे में की गई पूर्ववर्ती जांचों² पूर्ववर्ती जांचों में यह माना है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ इन दोनों ग्रेडों के बीच कोई अंतर नहीं है।
- 12. आवेदक डाई पेंटाएरीथ्रिटोल के उत्पादन में भी शामिल है। डाई पेंटाएरीथ्रिटोल को पेंटाएरीथ्रिटोल के आगे प्रसंस्करण द्वारा उत्पादित किया जाता है। तथापि, डाई – पेंटाएरीथ्रिटोल वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।
- 13. पेंटाएरीथ्रिटोल का प्रयोग व्युत्पत्तियों के उत्पादन में होता है और पेंट, वार्निश और अन्य सतह कोटिंग उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका अधिकांशत: प्रयोग एल्काइड रेजिन डोसिन ईस्टर प्लास्टिसाइजर, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक के लिए इस्टेब्लाइजर, मोडीफाइड ड्राइंग ऑल, डेटोनेटर, विस्फोटक, भेषज और कोर ऑयल तथा सिंथेटिक लुब्रिकेंट के विनिर्माण आदि में होता है। आवेदक ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) में बताया है कि संबद्ध वस्तु की अधिकांश खपत पेंट उद्योग में होती है। लगभग 90 प्रतिशत पेंटाएरीथ्रिटोल पेंट उद्योग में होती है। लगभग 90 प्रतिशत पेंटाएरीथ्रिटोल पेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। एशियन पेंट्स)ईडिया) लिमिटेड, कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड, बर्जर पेंट्स, एस्डी पेंट्स लिमिटेड, मैक्रो पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड पेंट उद्योग में पेंटाएरीथ्रिटोल के प्रमुख उपभोक्ता है।
- 14. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमा शुल्क उपशीर्ष 2905.42.90 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

¹ <u>https://eur-lex.e,uropa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0214</u>

² रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटाएरीथ्रिटोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी के जांच अंतिम जांच परिणाम दिनांक दिसंबर 11, 2015

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 16. रेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. यह आवेदन मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कनोरिया) द्वारा दायर किया गया है।
 - ii. आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों में किसी उत्पादक / निर्यातक से संबंधित हैं।
 - iii. भारत में एक अन्य उत्पादक मेसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड है।
 - iv. पर्सट्राप इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लिमिटेड एक नया उत्पादक है और उसने वर्तमान जांच में भाग लिया है और आवेदन का समर्थन किया है।
 - v. एशियन पेंट्स आबद्ध खपत के लिए वस्तु का उत्पादन करता है। तथापि इनका उत्पादन उनकी स्वयं की जरूरत के लिए अपर्याप्त है। कंपनी अपनी जरूरतों को बाजार से खरीद द्वारा पूरा करती है।
 - vi एशियन पेंट्स को पात्र उत्पादन में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि न तो उसका उत्पादन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और न ही भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री से प्रतिस्पर्धा करता है।
 - vii. आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार कुल भारतीय उत्पादन के एक प्रमुख हिस्से (53 प्रतिशत) का उत्पादन करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. 17. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) ''घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

- 18. वर्तमान आवेदन मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड)कनोरिया) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह इसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। आवेदक कंपनी नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।
- 19. आवेदक को मेसर्स पर्सट्राप इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा. लिमिटेड ")पर्सट्राप इंडिया" या पर्सट्राप (से समर्थन मिला है। पर्सट्राप ने बताया कि उसने भारत में पेंटाएरीथ्रिटोल की विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में पर्याप्त वचनबद्धता की है। उसने भारत में पेंटाएरीथ्रिटोल के विनिर्माण के लिए *** एमटी प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया है। उसने इस सुविधा की स्थापना में लगभग *** करोड़ रूपए निवेश किया है और आगे और निवेश करने की योजना है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इसके सितंबर, 2023 से उत्पादन शुरू करने का कार्यक्रम था जो पहले जुलाई, 2023 के लिए योजनाबद्ध था। परंतु उसमें देरी हो गई। प्राधिकारी को अपने बाद के अनुरोध में उन्होंने बताया है कि पर्सट्राप ने अब साएखा, गुजरात में नवंबर, 2023 में पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन शुरू किया है।
- 20. मैसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड ("एशियन पेंट्स") भी भारत में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। आवेदक ने एशियन पेंट्स को 1(क) उत्पादक, (ख) उपभोक्ता (ग) आयातक और (घ) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आवेदक के उपभोक्ता के रूप में अभिज्ञात किया है। एशियन पेंट्स ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है। प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विगत के जांच परिणामों में भी एशियन पेंट्स को पेंटाएरीथ्रिटोल का एक आबद्ध उत्पादक माना गया है। कंपनी ने वर्तमान जांच का समर्थन या विरोध नहीं किया है। यह दावा किया गया है कि एशियन पेंट्स

एक अन्य उत्पादक है जो अपनी स्वयं की आबद्ध जरूरत के लिए उत्पादन करता है। आवेदक ने बताया है कि एशियन पेंट्स के उत्पादन को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि एशियन पेंट्स का उत्पादन बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था और उन्हें भारतीय बाजार में ऐसे पाटन से क्षति नहीं हुई है।

- 21. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या)क) घरेलू उद्योग का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है) ख) आवेदन का स्पष्ट समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है; और (ग (आवेदन को उन घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है जिनका कुल उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है; और (ग (आवेदन को उन घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है जिनका कुल उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक है। जिन्होंने आवेदक का समर्थन या विरोध किया है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर और उक्त अनुरोधों पर विचार करते हुए आवेदक द्वारा उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सा एशियन पेंट्स के उत्पादन तथा एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल नहीं करके, दोनों स्थिति पर विचार करके निर्धारित किया गया है। आवेदक के पास एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल नहीं करके, दोनों स्थिति पर विचार करके निर्धारित किया गया है। आवेदक के पास एशियन पेंट्स के उत्पादन को हटाने के बाद भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है और एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल करने पर *** प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी मानते हैं कि यह निर्णय करना आवश्यक था क्या आवेदक की स्थिति का निर्णय करने के प्रयोजनार्थ एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल करने पर *** प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी मानते हैं कि यह निर्णय करना आवश्यक था क्या आवेदक की स्थिति का निर्णय करने के प्रयोजनार्थ एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल करने पर *** प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी मानते हैं कि यह निर्णय करना या बाहर रखना आवश्यक है, क्योंकि (क) कंपनी ने असहयोग पसंद किया है (ख (कंपनी को शामिल करना या बाहर रखना आवश्यक है, क्योंकि (क) कंपनी ने असहयोग पसंद किया है (ख (कंपनी को विचाराधीन उत्पाद के एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में माना गया है। (ग) कंपनी उत्पाद की आयातक है (घ) कंपनी ने आवेदक घरेलू उद्योग से पेंटाएरीथ्रिटोल खरीदा है।
- 22. यह देखा गया है कि आवेदक के पास दोनों ही स्थितियों अर्थात् आबद्ध खपत के लिए एशियन पेंट्स के उत्पादन को अलग करने और आबद्ध खपत के लिए एशियन पेंट्स के उत्पादन को शामिल करने के बाद भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। इस प्रकार आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, आवेदक, कनोरिया केमिकल्स नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

ङ. <u>पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. प्रतिवादी यह सद्भाव मानता था और समझता था कि प्रश्नावली का उत्तर देने की अंतिम तारीख 23 जून, 2023 है और उसने समय-सीमा में 4 सप्ताह की वृद्धि के लिए उसी तारीख को हितबद्ध पक्षकार का अपना पत्र प्रस्तुत किया। प्राधिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
 - ii. सऊदी अरब में जून और जुलाई के महीने में ईद की छुट्टियों के कारण प्रचालन दिवसों की संख्या कम हो गई और विहित प्रपत्र और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक था। इसलिए प्रतिवादी ने आगे समय बढ़ाने का अनुरोध किया।
 - iii. पर्सट्राप से यह बताते हुए 2अगस्त, 2023 के ई-मेल की प्राप्ति पर कि उसने पाटनरोधी शुल्क समर्थन किया है, यह स्पष्ट हो गया कि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संगत सूचना शेयर करने में केमानोल द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर पर्सट्राप ने उत्तर क्यों नहीं दिया था।
 - iv. प्रतिवादी द्वारा ईक्यूआर प्रस्तुत करने में देरी ऐसी विचित्र परिस्थितियों के कारण हुई जो उसके नियंत्रण से बाहर थी और इसलिए इसे क्षमा किया जाना चाहिए।
 - v. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ऐसी स्थिति में पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रश्नावली का उत्तर देने में समय बढ़ाने के संबंध में विवेकाधिकार है। जहां पर ऐसा होने के पर्याप्त कारण बताए गए हों। जैसा कि एल्यूमिनियम फ्रेम वीएफवाई, फ्लैक्स यार्न आदि जैसे विभिन्न मामलो में किया गया है।
 - vi प्राधिकारी को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सच्चाई के अनुसार विचार करना चाहिए और उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तु के लिए बाजार में हित के स्वरूप में पूर्वोक्त बदलाव के कारण निर्यातक विरोधी बन गया। निर्यातक प्रश्नावली के प्रपत्र के ''सामान्य खंड'' के पैराग्राफ 8(5) के पाठ का उल्लेख किया गया है जिसमें निम्नानुसार बताया गया है:

'' यदि कोई असंबंधित निर्यातक सहयोग नहीं करता है और संगत सूचना प्रदान नहीं करता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित भागीदार उत्पादक (कों) / निर्यातक (कों) द्वारा प्रदत्त सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसा निर्णय लेने से पहले प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सच्चाई पर विचार कर सकते हैं।''

- vii. परिकलित सामान्य मूल्य को अपनाना त्रुटिपूर्ण है और एडीए के अनुच्छेद 2.2 तथा अधिनियम की धारा 9क(1) से असंगत है और उसे इस आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य या पाटन मार्जिन के संदर्भ में पर्याप्त या सही सूचना नहीं माना जा सकता है। यह सिद्ध करना होगा कि इसे अपनाने के लिए दो स्थितियां मौजूद हैं (क) जहां निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कोई बिक्रियां नहीं हैं (ख) जब बाजार विशेष की स्थिति या निर्यातक देश के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियां उचित तुलना की अनुमति न देती हों।
- viii. घरेलू उद्योग की लागत का प्रयोग इस अतिरिक्त कारण की वजह से सऊदी अरब में सामान्य मूल्य के परिकलन में नहीं किया जा सकता है कि उसकी उत्पादन लागत महामारी के परिणामस्वरूप कीमतों में अस्थिरता के कारण भारत में कच्ची सामग्री की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि की वजह से अत्यधिक बढ़ गई थी।
- ix. याचिका में दावा किए गए समायोजनों के संबंध में आवेदक द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और समायोजन अधिक हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग और समर्थक के विचार

- 24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में भारतीय उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - वीन को पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में अपनाई गई स्थिति के अनुसार एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता है।
 - ii. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध-I के पैरा 1-6 का पालन केवल तभी करना चाहिए यदि प्रतिवादी चीन की कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत की सूचना ऐसी है जिससे अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन की प्रतिवादी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम न हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना अपनाई जा सकती है तो प्राधिकारी को अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करना होगा।
 - iii. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 तब तक चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य की गणना हेतु लागू नहीं होते हैं जब तक उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य सहित यह न दर्शाए कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित करना होगा।
 - iv. चीन के उत्पादकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माहौल के अंतर्गत प्रचालित कंपनियां मानना अपेक्षित है और प्राधिकारी अनुबंध-l के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्यवाही कर सकते हैं।
 - v. आवेदक ने भारत में घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद तर्कसंगत लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया है और उस पर विचार करते हुए संबद्ध देश में उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।
 - vi इस जांच में तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन परिकलित करना अपेक्षित है। एडीए के अनुच्छेद 2.4.2, डीजीटीआर प्रचालन प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 9.6.20 और यूएस – पाटनरोधी पद्धतियां (चीन) में अपीलीय निकाय पर यह कहने के लिए भरोसा किया गया है कि प्राधिकारी के लिए केवल निर्यात कीमत की प्रवृत्ति की जांच करना अपेक्षित है। यदि यह पाया जाता है कि निर्यात कीमत में प्रवृत्ति मौजूद है तो प्राधिकारी के पास पाटन मार्जिन के निर्धारण की समुचित पद्धति को अपनाने का विवेकाधिकार है। इस संबंध में, कोरिया गणराज्य से लार्ज रेजिडेंयल वॉसर की पाटनरोधी शुल्क जांच के लिए मुद्दों तथा निर्णय

ज्ञापन और यूएस – वाशिंग मशीन मामले में अपीलीय निकाय पर भी यह बताने के लिए भरोसा किया गया है कि पाटन मार्जिन पद्धति में बदलाव तभी किया जा सकता है। यदि

- क. इनपुट लागत या बिक्री कीमत में अस्थिरता;
- ख. आयातों की मात्रा में अस्थिरता;
- ग. पहुंच मूल्य में अस्थिरता;
- घ. निर्यात कीमत में अस्थिरता;
- ड. सामान्य मूल्य में अस्थिरता;
- vii. डीजीटीआर अन्य प्राधिकारियों ने जापान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल; ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., ईरान, मलेशिया, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक; जापान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल; कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. से 'क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) – चाहें आगे यौगिक में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं, यूरोपीय संघ, जापान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन; चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच; चीन जन. गण. से विस्पोस स्टेपल फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा; यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 श्रृंखला और 1700 श्रृंखला के स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबड़) एसबीआर); चीन जनवादी गणराज्य के मूल के लोहे, गैर अलॉय या अन्य अलॉय इस्पात के कतिपय हॉट रोल्ड ब्लैक उत्पादों संबंधी ईयू जांच में तिमाही वार जांच की है।
- viii. वर्तमान मामले में भी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत में और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन में भी भारी अंतर है।
- ix. यदि निर्यातक के ईक्यूआर को स्वीकार किया जाता है। यह अंतर न केवल घरेलू उद्योग बल्कि अन्य पक्षकारों के लिए भी अनुचित है। न केवल प्राधिकारी ने उत्तर को पहले ही अस्वीकृत किया है बल्कि मौखिक सुनवाई भी पहले ही समाप्त हो गई है। इससे भी अधिक यह देरी कुछ मिनटों या घंटों की नहीं है बल्कि अनेक दिनों की है। कोई वैश्विक प्राधिकारी इतने विलंबित उत्तर की अनुमति नहीं देता है। जीसीसी की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जिसमें भारतीय उत्पादकों को उत्तर देने के लिए 2-3 दिन दिए गए थे।
- x. इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जहां 90 प्रतिशत से अधिक बिक्रियां एक ऐसी कंपनी की हैं जो असहयोगी है तो किसी भी मामले में पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल्य श्रृंखला में काफी गड़बड़ी है और अधूरी है।
- xi. यद्यपि आवेदक ने सऊदी अरब के घरेलू बाजार में प्रचलित वास्तविक सौदागत कीमतों संबंधी सूचना जुटाने का प्रयास किया था किंतु वह उपलब्ध नहीं थी। सार्वजनिक डोमेन या प्रकाशित स्रोतों से आवेदन तथा पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ कोई सूचना / साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर आवेदक सामान्य मूल्य परिकलित करने पर भरोसा करने के लिए बाध्य था।
- xii. हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क नहीं है कि कुछ सूचना सामान्य मूल्य के संबंध में उपलब्ध थी और घरेलू उद्योग ने जानबूझकर उसे नहीं दिया है। सऊदी सरकार व्यापार आंकड़ों जैसी सार्वजनिक सूचना भी नहीं देती है जो अन्य प्रमुख डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा दी जाती है। यदि अन्य पक्षकार पूर्वोक्त से अलग कोई अन्य उचित साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किया जाए।
- xiii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लागत का सऊदी अरब में सामान्य मूल्य के परिकलन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह महामारी की वजह से काफी अधिक थी, बिल्कुल गलत है। जांच की अवधि जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक की है और यह अवधि माहमारी से प्रभावित नहीं थी। आवेदक मानता है कि निर्यातक का तर्क निराधार है।

- xiv. दावा किए गए समायोजन हेतु कोई साक्ष्य नहीं देने के संबंध में आवेदक ने माल भाड़े के लिए साक्ष्य दिया है। दावा किए गए अन्य सभी समायोजन बाजार आसूचना पर आधारित हैं। यह बताने का कोई आधार नहीं है कि समायोजनों की राशि काफी अधिक है और कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- xv. केमानोल के लिखित अनुरोध में किए गए सभी दावों से पर्सट्राप ने इंकार किया है।
- xvi. केमानोल ने जांच के ब्यौरों को केवल पुन: प्रस्तुत और दोहराया है।
- xvii. केमानोल द्वारा देरी को क्षमा करने के अनुरोध के संदर्भ में समय बढ़ान के लिए कोई अनुरोध ईक्यूआर द्वारा विहित मूल समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
- xviii. जब समय बढ़ाने के लिए प्राधिकारी से कोई उत्तर नहीं मिला तो संगत प्रक्रिया यह है कि समय नहीं बढ़ाया गया और यदि बढ़ाया जाता है तो ऐसा स्पष्ट रूप से बताते हुए सूचना दी जाती है।
- xix. केमानोल ने 23 जून को 4 सप्ताह के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया जिसे यदि बढ़ाया जाता है तो भी उत्तर 22 जुलाई तक देना होगा। ईक्यूआर को स्वीकृत रूप से 5 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था जो 14 दिनों की देरी है।
- xx. प्रतिवादी नोट करते हैं कि केमानोल ने ईक्यूआर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु 23 जून के अनुरोध के साथ एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण का भी अनुरोध किया है। केमोनोल विहित समय-सीमा के भीतर स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में दर्ज करने में विफल रहा है और इसके अलावा, विहित समय-सीमा के भीतर ईक्यूआर प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- xxi. समय-सीमा बढ़ाने के लिए केमानोल द्वारा प्राधिकारी को भेजे गए ई-मेल केमानोल को नहीं दिए गए और पर्सट्राप मानता है कि केमानोल ने समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को विलंब के कारण कभी भी सूचित नहीं किए ।
- xxii. किसी भी तरह किसी भी बात में केमानोल को समय-सीमा के भीतर अपनी स्वयं की सूचना प्रस्तुत करने से नहीं रोका है। परस्टार्प एबी स्वीडन के विरुद्ध केमानोल द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में प्रतिवादी नोट करते हैं कि केमानोल के आरोप अनावश्यक हैं और उनकी कोई कानूनी प्रासंगिकता नहीं है और यह कि प्राधिकारी के लिए पर्सट्राप एबी स्वीडन की विश्वसनीयता का निर्णय लेना अपेक्षित नहीं है। पर्सट्राप एबी स्वीडन इस जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत ही नहीं है।
- xxiii. इस विशिष्ट आरोप के संबंध में कि पर्सट्राप एबी स्वीडन मुकर गया है और उसने व्यापार सूचना की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है, पर्सट्राप ने बताया कि केमानोल का वक्तव्य अनावश्यक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत को अपने निर्यातों संबंधी सूचना देने का कानूनी दायित्व केमानोल का है। केमानोल इस दायित्व को किसी और पर नहीं डाल सकता और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत ऐसा कोई अधिदेश नहीं है कि उत्पादक के किसी असंबंधित व्यापारी को बिना शर्त उत्पादक के अनुरोध का पालन करना होगा।
- xxiv. केमानोल को मौखिक रूप से या लिखित रूप में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि पर्सट्राप एबी स्वीडन ईक्यूआर प्रस्तुत करेगा और किसी तरह से भी पर्सट्राप एबी स्वीडन पर कोई दायित्व नहीं है।
- xxv. केमानोल द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर को अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह अधूरा है और उस असंबंधित व्यापारी जिसके जरिए केमानोल ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है, ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। यह प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया भी है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 25. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है ,वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

- 26. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा उचित राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिनमें उनसे विहित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी गई थी।
- 27. निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर 21.06.2023 को देना निर्धारित था। तथापि, मेथनॉल केमिकल कंपनी (केमानॉल)-सऊदी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी) जिसे आगे केमानोल कहा गया है) ने विहित समय-सीमा के काफी बाद में 05.08. 2023को निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया (44दिनों का विलंब)।
- 28. निर्यातक ने वास्तव में समय-सीमा अर्थात् 23.06.2023 के समाप्त होने के बाद एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वयं को दर्ज करने और समय बढ़ाने का अनुरोध किया। समय बढ़ाने का अनुरोध ईद की छुट्टियों पर आधारित था जिससे कार्य दिवसों की संख्या घट गई थी। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण और समय पर समय बढ़ाने की मांग में देरी के होते हुए भी यह नोट किया गया है कि 4 सप्ताह 21 जुलाई 2023 तक का समय बढ़ाने की मांग में देरी के होते हुए भी यह नोट किया गया है कि 4 सप्ताह 21 जुलाई 2023 तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी और 5 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया है। उत्पादक ने यह बताया है कि वह जारी की गई प्रश्नावली का कारगर उत्तर देने के लिए संगत सूचना प्रदान करके निर्यातक पर्सट्राप एबी द्वारा इस जांच में सहयोग के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तथापि, 5 अगस्त 2023 को प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर निर्यातक के उत्तर के बिना है। प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि भारत को कंपनी द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए हैं। भारत को निर्यात पर्सट्राप एबी द्वारा की ए गए हैं। भारत को निर्यात को निर्यात की जिर उत्तर नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी किसी भी तरह उचित ढंग से निर्यात कीमत निर्धारित कर सकते हैं और केमानोल प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

ड.3.1 तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण

- 29. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है और तर्क दिया कि उत्पादन लागत में आनुपातिक गिरावट के बिना आयात कीमतों में भारी गिरावट के मद्देनजर यह आवश्यक था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन के निर्धारण के घरेलू उद्योग के दावे पर आपत्ति नहीं की है।
- 30. पीओआई के दौरान आयात कीमतों और कच्ची सामग्री की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के मद्देनजर तिमाही औसतों के आधार पर सामान्य मूल्य के साथ निर्यात कीमत की तुलना उचित समझी गई है। कच्ची सामग्री की कीमतों में वास्तविक बदलाव पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि पीओआई के लिए भारित औसत आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन उचित नहीं होगा। अत: प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों की तिमाही वार मात्रा निर्धारित की है। पीओआई के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन संबद्ध भार के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ड.3.2 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

31. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
 - (iii) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
 - (iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क (के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
 - (V) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
- 32. नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

- 33. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण का क्रम निर्धारित है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या जहां ऐसा संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित होगा जिसमें यदि आवश्यक हो तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल किया जाए। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-7 के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में प्रचलत की अनुबंध-7 के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। वर्तमान जांच में संबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात की मात्रा कम है। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात पर सामान्य मूल्य कारा तर्म बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। सामान्य मूल्य का तीरे देश से भारत में आयात पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। सामान्य मूल्य का कोई साबद्ध देशों के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात की मात्रा कम है। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयात पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। सामान्य मूल्य भारत सहित अन्य देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत पर आधारित नहीं हो। अत: बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर आधारित नहीं हो सकता है क्योंकि संबद्ध वस्तु का कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है। अत: बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत पर वर्तमान वर्तमान प्रयोजनों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- 34. अत: प्राधिकारी ने एडी नियमावली 1995 के अनुबंध 1 के पैरा 7 में यथा निर्धारित ''भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत" सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार के अनुसार चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।
- 35. प्राधिकारी ने चीन से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं। इसमें प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने का उनसे अनुरोध किया गया। तथापि, चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की।

ड.3.3 चीन के लिए निर्यात कीमत

- 36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागिीदारी नहीं की है या प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। चीन में पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी चीन से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में एडी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं।
- 37. प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, संभलाई प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए असहयोग के कारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में दी गई है।

ड.3.4 सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सऊदी अरब से उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी की है परंतु उसे ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों की वजह से प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया है। पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों से समय पर सहयोग के अभाव में प्राधिकारी सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में एडी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। अत: प्राधिकारी ने सऊदी अरब से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में एडी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। अत: प्राधिकारी ने सऊदी अरब से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया है। ऊपर नोट किए गए अनुसार इनपुट की कीमतों में आनुपातिक गिरावट के बिना आयात कीमतों तेजी से परिवर्तन के कारण सामान्य मूल्य और निर्यात की तुलना पीओआई में भारित औसत आधार पर करने से पाटन मार्जिन की गलत मात्रा

प्राप्त होगी। इस प्रकार सामान्य मूल्य तिमाही आधार पर निर्धारित किया गया है। सऊदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ड.3.5 सऊदी अरब के लिए निर्यात कीमत

- 39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सऊदी अरब से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने समय पर प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। यह भी नोट किया गया है कि प्रतिवादी उत्पादक केमानोल ने यह बताया है कि वास्तव में सभी वस्तुओं को पर्सट्राप एबी द्वारा भारतीय बाजार में बेचा गया था। पर्सट्राप एबी ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। चूंकि वस्तुओं को पर्सट्राप एबी द्वारा भारतीय बाजार में बेचा गया था। पर्सट्राप एबी ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। चूंकि वस्तुओं को पर्सट्राप एबी के पर्सट्राप एबी द्वारा भारतीय बाजार में बेचा गया था। पर्सट्राप एबी ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। चूंकि वस्तुओं को पर्सट्राप एबी द्वारा भारतीय बाजार में बेचा गया है। इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि किसी भी तरह निर्यात कीमत केमानोल से निर्यात की पूरी मूल्य श्रृंखला के बिना उचित ढंग से निर्धारित नहीं की जा सकती है। सऊदी अरब से पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों से समय पर सहयोग के बिना प्राधिकारी सऊदी अरब से सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धार के बिना या है। इर्ध लिए डी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।
- 40. प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार पीओआई में आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत निर्धारित की है। ऊपर नोट किए गए अनुसार इनपुट की कीमतों में आनुपातिक गिरावट के बिना आयात कीमतों में तेजी से परिवर्तन के कारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना पीओआई में भारित औसत आधार पर करने से पाटन मार्जिन की गलत मात्रा प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्यात कीमत तिमाही आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, संभलाई प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ड.3.6 ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

41. वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि ताइवान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है या प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में एडी नियमावली 1995 के नियम 6(8 (के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। अत: प्राधिकारी ने ताइवान से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में एडी तियमावली 1995 के नियम 6(8 (के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। अत: प्राधिकारी ने ताइवान से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया है। ऊपर नोट किए गए अनुसार इनपुट की कीमतों में आनुपातिक गिरावट के बिना आयात कीमतों में तेजी से परिवर्तन के कारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना पीओआई में भारित औसत आधार पर करने से पाटन मार्जिन की गलत मात्रा प्राप्त होगी। इस प्रकार सामान्य मूल्य तिमाही आधार पर निर्धारित किया गया है। ताइवान से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लाखित है।

ड.3.7 ताइवान के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

- 42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ताइवान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है या प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। ताइवान से पीयूसी के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ताइवान से सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में एडी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।
- 43. प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार पीओआई में आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद निर्यात कीमत निर्धारित की है। ऊपर नोट किए गए अनुसार इनपुट की कीमतों में आनुपातिक गिरावट के बिना आयात कीमतों में तेजी से परिवर्तन के कारण सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना पीओआई में भारित औसत आधार पर करने से पाटन मार्जिन की गलत मात्रा प्राप्त होगी। इस प्रकार निर्यात कीमत तिमाही आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, संभलाई प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ड.3.8 पाटन मार्जिन का निर्धारण

44. ऊपर यथा निर्धारित संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए नीचे तालिका में दिए गए अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, ऊपर बताए गए अनुसार संबद्ध देशों से सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तिमाही वार मात्रा निर्धारित करके पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है।

	2	<u> </u>	~ ~ ~	
चीन जन.गण., सऊर्द	' अरब और '	ताडवान से पार	टन माजिन तालिका	•

देश	अवधि	आयात मात्रा	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	%	
			यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	राशि	%	रेंज
चीन	पीओआई-क्यू1	371	***	1,710	***	***	
	पीओआई -क्यू2	1377	***	1,342	***	***	
	पीओआई -क्यू3	72	***	1,286	***	***	
	पीओआई	1820	***	1,415	***	***	30-40
सऊदी अरब	पीओआई-क्यू1	1240	***	1,904	***	***	
	पीओआई -क्यू2	1500	***	1,437	***	***	
	पीओआई -क्यू3	1280	***	1,209	***	***	
	पीओआई	4020	***	1,508	***	***	25-35
ताइवान	पीओआई-क्यू1	567	***	1,549	***	***	
(11241)	पीओआई -क्यू2	620	***	1,321	***	***	
	पीओआई -क्यू3	770	***	1,166	***	***	
	पीओआई	1957	***	1,326	***	***	45-55

च. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 45. क्षति तथा क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. सऊदी अरब से आयातों में समग्र रूप से और भारत में खपत की दृष्टि से गिरावट आई है।
 - ii. सऊदी अरब से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि कीमत कटौती की मौजूदगी के बावजूद जून, 2022 तक याचिकाकर्ता का निष्पादन स्थिर था।
 - iii. याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियों में उसकी क्षमता के समान रहने के बावजूद 2019-20 के आधार वर्ष से वृद्धि हुई है और क्षमता उपयोग लगभग 100 प्रतिशत है।
 - iv. याचिकाकर्ता की अंतिम मालसूची में 2019- 2020के आधार वर्ष से भारी गिरावट आई है।
 - गाचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2020-2021 में 32.33 तक बढ़ गया है।

18		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART I—SEC.1]		
	vi.	याचिकाकर्ता की लाभप्रदता मेथानॉल और एथेनॉल की कीमतों की स्थिरता पर निर्भर प्रयोग एसिटेल्डे हाइड और फोरमेल्डे हाइड के उत्पादन में होता है।	करती है जिसका		
	vii.	लाभ मार्जिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूपए की प्रवृत्ति से प्रभावित हो सकते हैं।			
	viii.	कर्मचारियों की संख्या और प्रति दिन प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति अवधि में काप और मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।	ती सुधार हुआ ह <u>ै</u>		
	ix.	याचिकाकर्ता ने मात्रा संबंधी सभी मापदंडों में भारी सुधार किया है क्योंकि बिक्री और उत्पादन व क्षमता में वृद्धि और मालसूची में गिरावट की दृष्टि से वृद्धि हुई है।			
	x. घरेलू उद्योग ने अपने सभी मात्रात्मक मापदंडों में भारी सुधार दर्शाया है क्योंकि बिक्री दोनों में क्षमता में वृद्धि और मालसूची में गिरावट के अनुरूप वृद्धि हुई है। एमईजी का उल्ले है।				
	xi.	यूक्रेन-रूस युद्ध ऐसा काल था जिसने संबद्ध वस्तु की कीमत और मांग – आपूर्ति को प्रभ	मावित किया था।		
	xii.	इसके अलावा, जापान, कोरिया, यूरोप जैसे अन्य देशों से आयातों के प्रभाव पर विचार	र किया जाए।		
	xiii.	यह भी बताया गया है कि पीओआई में कच्ची सामग्री, मेथानॉल, कच्चे तेल, मालभा कारकों की कीमत, मांग – आपूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध कराया जाए। यद्यपि घरेलू था कि कच्ची सामग्री की लागत में कुछ गिरावट भी आई है। परंतु इसकी राशि और गई थी।	उद्योग सहमत हुआ		
	xiv.	घरेलू उद्योग को पूर्ववर्ती पाटनरोधी शुल्कों और उन्हें यूरोप, रूस, चीन और ताइव हटाए जाने के परिणाम / प्रभाव को बताना चाहिए।	ान से आयातों पर		
	XV.	आयातों की भारी मात्रा का अर्थ पेंट उद्योग सहित अंतिम उपभोक्ताओं से भारी मांग	है।		
	xvi.	इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि कोविड और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देशों द्वारा गैर वित्तीय निष्पादन से वैश्विक मांग – आपूर्ति और कीमत प्रभावित हुई थ			
	xvii.	यह भी बताया गया है कि पीओआई के बाद की अवधि के आंकड़े बेहतर तस्वीर दर्शाएं	गे।		
	xviii.	यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टें प्रदान की गई हैं।	गई हैं।		
	xix.	आंकड़ों में गड़बड़ी की संभावना से बचने के लिए पीओआई न्यूनतम दो वर्षों की होनी	चाहिए।		
च.2	घरेलू उ	उद्योग और समर्थकों के विचार			
46.	क्षति औ	ौर कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और समर्थक ने निम्नानुसार विचार किए हैं			
	i.	उत्पाद की आयात कीमत में इनपुट की लागतों में आनुपातिक गिरावट के बिना काप आई है। यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत में कुछ गिरावट आई परंतु घरेलू उद्योग भ उठाकर उत्पाद को बेचने पर बाध्य हुआ है। निर्यातकों/उत्पादकों ने आक्रामक कीमत क	गरी वित्तीय घाटा		
	ii.	संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।			
	iii.	अन्य देशों से आयात या तो नगण्य है या असामान्य रूप से उच्चतर कीमतों पर हुए हैं।	l		
	iv.	आधार वर्ष में मांग में कोविड-19 के कारण गिरावट आई है जिसके बाद पीओआई में ब आधार वर्ष के समान स्तर पर पहुंच गई है।	वृद्धि हुई है और यह		
	V.	पीओआई में आयात कीमत कम रही थी, में तेजी से गिरावट आई थी।			
	vi	पाटित आयातों की कीमतें चीन द्वारा नियंत्रित थी और यह देखा गया है कि चीन द्वा का सऊदी अरब और ताइवान ने भी पालन किया है।	रा निर्धारित रुझान		
	vii.	कीमत कटौती सकारात्मक है और उसे संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू बिक्री प्राप्ति की तुलना द्वारा निर्धारित किया गया है।	ा् उद्योग की निवल		

- viii. घरेलू उद्योग की कीमत में संबद्ध वस्तु द्वारा गिरावट करने से घरेलू उद्योग को अपनी निवल बिक्री कीमत को उत्पादन लागत से कम करने पर बाध्य होना पड़ा है। बिक्री कीमत पीओआई में बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद लागत से कम रखनी पड़ी है।
- ix. घरेलू उद्योग की क्षमता सतत बनी रही है। तथापि, उत्पादन और क्षमता उपयोग में मांग में गिरावट के कारण आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है, 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद पीओआई में पुन: गिरावट आई।
- x. घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई।
- xi. घरेलू उद्योग ने लागत से भी कम स्तर तक कीमतों को घटाकर अपने उद्योग और बिक्री को बनाए रखने का प्रयास किया है।
- xii. घरेलू उद्योग की मालसूची में 2021-22 में पर्याप्त गिरावट के साथ आधार वर्ष से 2020-21 में वृद्धि हुई और पीओआई में काफी वृद्धि हुई।
- xiii. प्रदत्त मजदूरी और कर्मचारियों की संख्या दोनों में आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई और उसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई। तथापि, क्षति अवधि के दौरान मजदूरी में सुधार दिखाई दिया है।
- xiv. कीमत संबंधी मापदंडों में पीओआई से संबद्ध आयातों के कारण ऋणात्मक वृद्धि हुई है। बिक्री, उत्पादन और बाजार हिस्से जैसे मात्रात्मक मापदंडों की दृष्टि से वृद्धि भी प्रतिकूल रही है।
- xv. पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक रहा है और पाटन मार्जिन का तिमाही विश्लेषण दर्शाता है कि पीओआई के भीतर पाटन में तेजी आई है।
- xvi. अनुचित कीमतों पर भारत में आयातों से पर्सट्राप को अनुमानित परिणाम हासिल नहीं कर सका है; पर्सट्राप घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन करता है और पाटनरोधी की सिफारिश का अनुरोध करता है।
- xvii. संबद्ध देशों से आयातों की कुल मात्रा 2020-21 से निरंतर और काफी अधिक बढ़ी है; 9490 एमटी से पीओआई में 15681 एमटी (वार्षिकीकृत)।
- xviii. संबद्ध वस्तु के आयात कीमत पर हाल की अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयातों के कारण कीमतों में गिरावट आई है जो आक्रामक कीमत निर्धारण नीतियों के कारण हुआ है और भारतीय बाजार में कीमतों में दबाव डाल रहा है।
- xix. पर्सट्राप ने पहले ही पेंटाएरीथ्रिटोल के लिए एक विनिर्माण की सुविधा हेतु लगभग *** करोड़ भारतीय रूपए का निवेश किया है। पर्सट्राप का आगे पेंटाएरीथ्रिटोल के उत्पादन के लिए लगभग *** करोड़ भारतीय रूपए की निवेश की योजना है। इससे 106 कर्मचारियों को सीधे रोजगार मिलेगा और *** एकड़ में उत्पादन सुविधा स्थापित हुई है।
- xx. पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन पहले अगस्त-सितंबर, 2023 से शुरू होना था परंतु इसमें थोड़ी देरी हो गई है। चीन जन. गण., ताइवान और सऊदी अरब से संबद्ध वस्तु के लगातार पाटन से पर्सट्राप उत्पादन की शुरूआत के लिए अपने कार्यक्रम को शुरू करने के स्थगन पर मजबूर हुआ है। पर्सट्राप इंडिया ने साएखा, गुजरात में नवंबर, 2023 में भारत में पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन शुरू किया है।
- xxi. पर्सट्राप दो उत्पादों अर्थात् पेंटाएरीथ्रिटोल और कैल्शियम फारमेट का उत्पादन करेगा। कैल्शियम फारमेट का प्रयोग विभिन्न यूरोपीय देशों में पशु चारा, परिरक्षक के रूप में होता है। इसे चमड़े के क्रोमटैर्निंग में मास्किंग एजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम फारमेट की कुल उत्पादन क्षमता *** एमटी प्रति वर्ष है। कैल्शियम फारमेट का लगभग समस्त उत्पादन भारत के बाहर निर्यातित किया जाएगा।
- xxii. फारमेल्डी हाइड और एसेटिल्डे हाइड पेंटाएरीथ्रिटोल की कच्ची सामग्री है, को पर्सट्राप द्वारा स्थानीय रूप से लिया जाएगा। वह बालाजी फारमालीन, प्रा० लि० और लक्ष्मी आर्गेनिक्स लि० जैसे कच्ची सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घावधि आपूर्ति करारों में शामिल हुआ है। इन दोनों कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं ने क्रमश: 13 0करोड़ रूपए और 100करोड़ रूपए के दीर्घावधिक आपूर्ति संविदाओं के साथ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में निवेश किया है।

- xxiii. पर्सट्राप संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और वास्तविक क्षति संबंधी घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन करता है और चीन जन. गण., सऊदी अरब और ताइवान से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध करता है। पर्याप्त व्यापार उपचार उपायों से मेक इन इंडिया पहल को भी समर्थन मिलेगा। वह अनंतिम शुल्क लगाने का भी अनुरोध करता है।
- xxiv. अनुचित कीमतों पर भारत में आयात से पर्सट्राप इंडिया को अनुमानित परिणाम हासिल करने और अपने निवेश पर आय की तर्कसंगत दर प्राप्त करने में बाधा आएगी। चीन जन. गण. से पेंटाएरीथ्रिटोल पर पाटनरोधी शुल्क 28 जून, 2022 को समाप्त हो गया है और उसके बाद चीन से आयात कीमत में भारी गिरावट आई है। सऊदी अरब और ताइवान के निर्यातकों को चीन जन. गण. से आयात कीमत की बराबरी करनी पड़ रही है।
- xxv. पर्सट्राप द्वारा उत्पादन शुरू करने पर संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की कुल क्षमता भारत में संबद्ध वस्तु की कुल मांग से अधिक हो जाएगी; भारत को मांग – आपूर्ति के अंतर को पाटना अपेक्षित नहीं होगा।
- xxvi. भारतीय उद्योग अपनी क्षमता क्यों नहीं बढ़ाता है, इसे पिछले दो दशकों के दौरान इस उत्पाद की लाभप्रदता पर विचार करना होगा और इसके लिए आय आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि निवेश का कोई औचित्य नहीं है।
- xxvii. पाटन, क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में साक्ष्यात्मक और विधिक मानकों के अनुसार पर्सट्राप अपने डब्ल्यूएस में किए गए अनुरोधों को दोहराता है और उसके पास कोई अतिरिक्त खंडन नहीं है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 47. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
- 48. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम 11-में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की प्रभाव करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

च.3.1 संचयी आकलन

- 49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II) iii (में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे जब यदि वह यह निर्धारित करें कि:-
 - क. प्रत्येक देश/क्षेत्र से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन, निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3प्रतिशत है या अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम है तो वहां आयात संचयी रूप से समान वस्तु के आयात के 60 प्रतिशत से अधिक हैं।
 - ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना आयातित वस्तुओं एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा के आलोक में आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित है।

च.3.2 मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

51. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर घरेलू उद्योग और सभी अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और सभी और सभी अरे सभी अन्य स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है। प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में दो बार नीधारीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में दो बार निर्धारित किया है – एक बार एशियन पेंट्स की आबद्ध खपत को शामिल करके और एक बार अलग रखकर । इस प्रकार आकलित मांग आबद्ध खपत को शामिल और अलग करने पर नीचे तालिका में देखी जा सकती है।

मांग	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (ए)	पीओआई (ए)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	115	121
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	103	92
अन्य देशों से आयात	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	39	22
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	86	77
आबद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
आबद्ध खपत सहित मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	89	82

52. यह देखा गया है कि पेंटाएरीथ्रिटोल की मांग में 2020-21 में गिरावट आई। यह अवधि कोविड-19 से प्रभावित थी। तत्पश्चात् मांग में वृद्धि हुई और पीओआई में गिरावट आई। समग्र रूप में क्षति अवधि के दौरान मांग में गिरावट आई है।

च.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. आयात मात्राएं और आयातों संबद्ध देशों का हिस्सा

53. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है।:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21- जून'22 (ए)	पीओआई (ए)
आयात मात्रा					
संबद्ध देश	सूचीबद्ध	11,273	9,396	11,593	10,396

प्रवृत्ति	एमटी	100	83	103	92
चीन	सूचीबद्ध	2,719	1,116	1,789	2,427
प्रवृत्ति	एमटी	100	41	66	89
सऊदी अरब	सूचीबद्ध	7,665	5,060	9,108	5,360
प्रवृत्ति	एमटी	100	66	119	70
ताइवान	सूचीबद्ध	889	3,220	696	2,609
प्रवृत्ति	एमटी	100	362	78	294
अन्य देश	एमटी	8,073	3,977	3,142	1,787
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	39	22
कुल	एमटी	19,347	13,373	14,735	12,183
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	76	63
आयात में हिस्सा					
संबद्ध देश	%	58.27%	70.26%	78.68%	85.33%
चीन	%	14.06%	8.35%	12.14%	19.92%
सऊदी अरब	%	39.62%	37.84%	61.81%	44.00%
ताइवान	%	4.60%	24.08%	4.72%	21.42%
अन्य देश	%	41.73%	29.74%	21.32%	14.67%
कुल	%	100%	100%	100%	100%
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	120	101	95
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	120	120

- i. संबद्ध देशों से आयातों में 2020-21 में गिरावट आई और पीओआई के दौरान मामूली गिरावट से पहले वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से आयात पूरी पीओआई और क्षति अवधि में लगभग समान रहे हैं।
- कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में क्षति अवधि में निरंतर वृद्धि हुई जो आधार वर्ष में 58 प्रतिशत से पीओआई में 85 प्रतिशत हो गए।
- iii. अन्य देशों से आयातों में क्षति अवधि में तेजी से गिरावट आई है। अन्य देशों से आयातों के हिस्से में 41
 प्रतिशत से पीओआई में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

च.3.4 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। 56. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास और न्यूनीकरण यदि कोई हो, तो कीमत के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। इनपुट की कीमतों में तेजी से बदलाव के कारण प्राधिकारी ने एनएसआर, उत्पादन लागत और आयातों की पहुंच कीमत की तिमाही वार तुलना की है।

क. <u>कीमतों में वृद्धि</u>

57. निम्नांकित तालिका संबद्ध और गैर संबद्ध देशों से आयात कीमत और प्रमुख इनपुट सामग्रियों की कीमत दर्शाती है:

	2019-20	2020-	अप्रैल'21-	पीओआई-	पीओआई-	पीओआई-	पीओआई-
सीआईएफ कीमत	2019-20	21	जून'22 -ए	ए	क्यू1	क्यू 2	क्यू 3
संबद्ध देश	1,10,800	91,191	1,54,635	1,27,345	1,52,271	1,23,963	1,07,334
चीन	99,873	90,814	1,44,343	1,28,938	1,51,203	1,23,458	1,19,015
सऊदी अरब	1,16,433	93,688	1,56,791	1,31,931	1,61,776	1,27,291	1,08,457
ताइवान	95,656	87,399	1,52,882	1,16,443	1,32,184	1,17,033	1,04,376
अन्य देश	1,14,940	96,027	1,60,156	1,52,711	1,42,004	1,65,124	1,29,933
डीआई की कच्ची सामग्रियों की कीमत	***	***	***	***	***	***	***

- 58. यह देखा गया है कि:
 - i. गैर संबद्ध देशों से आयात कीमत 2019-20 में संबद्ध देशों से आयात कीमत से थोड़ी अधिक थी। इसके अलावा, गैर संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा उस वर्ष काफी अधिक थी। तथापि, जांच अवधि तक संबद्ध देशों से आयात कीमत वास्तव में गैर संबद्ध देशों से आयात कीमत से कम हो गई। परिणामस्वरूप संबद्ध अायातों से आयातों से आयातों की मात्रा का उस वर्ष काफी अधिक थी। तथापि, जांच अवधि तक संबद्ध देशों से आयात कीमत वास्तव में गैर संबद्ध देशों से आयात कीमत से कम हो गई। परिणामस्वरूप संबद्ध आयातों में अन्य स्रोतों से आयातों की भारी मात्रा का उस सीमा तक स्थान ले लिया कि पीओआई की अंतिम दो तिमाहियों में गैर संबद्ध देशों से आयात मात्राएं संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में काफी कम थीं।
 - ii. उक्त तालिका से कच्ची सामग्री में बदलाव के साथ आयात कीमत की तुलना दर्शाती है कि कच्ची सामग्री की कीमत में कोई गिरावट नहीं हुई थी (बल्कि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई), संबद्ध देशों के आयात कीमत में भारी गिरावट आई।
 - iii. यह देखा गया है कि अन्य देशों में से केवल ईयू से आयात पीओआई में काफी अधिक थे। तथापि, समग्र रूप से इनमें आधार वर्ष में 8025 एमटी से पीओआई में 1440 एमटी की गिरावट आई और आया कीमत संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना में काफी अधिक रही थी।
- 59. प्राधिकारी ने आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्तमान जांच अवधि में दर्ज रुझानों की तुलना की है। यह देखा गया है कि पीओआई के भीतर आयात कीमत में तेजी से गिरावट आई थी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, जनवरी, 2023 के बाद घरेलू उद्योग की कीमत में कुछ वृद्धि हुई थी और मार्च, 2023 के बाद आयात कीमत में वृद्धि हुई थी। तथापि, समग्र कीमतों में पीओआई के दौरान भारी गिरावट देखी गई।



घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में आयात कीमत (रूपए/एमटी में)

- 60. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आयातों से 28 जून, 2022 के बाद से चीन से शुल्क हटने पर घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। 2021-22 की क्यू2 में)जुलाई-सितंबर) से भारी गिरावट आई । उसने यह भी दावा किया कि आयात कीमतों में तेजी से गिरावट के कारण क्षति अवधि के दौरान उद्योग की स्थिति में गड़बड़ी आई।
- 61. घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव के दावे के मद्देनजर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, विश्व भर में प्रचलित कच्ची सामग्री की कीमतों और घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमत के साथ की गई है। नीचे तालिका संगत आंकड़ों को दर्शाती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कच्ची सामग्री की कीमत के साथ की गई है। नीचे तालिका संगत आंकड़ों को दर्शाती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमत के साथ की गई है। नीचे तालिका संगत आंकड़ों को दर्शाती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित हैं जिसे प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान आवेदक के सिस्टम से निकली रिपोर्टों से सत्यापित किया गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतें गौण स्रोत अर्थात् ट्रेड मैप से ली गई हैं। यह देखा गया है कि आयात कीमतों में गिरावट प्रचलित वैश्विक कच्ची सामग्री की कीमतों के अनुरूप नहीं है। वास्तव में आयात कीमतों में दर्ज रुझान कच्ची सामग्री की प्रचलित वैश्विक कामतों के विपरीत हैं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की खरीत प्रचलित कैं सिरटम यहे की काता , यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की प्रचलित वैश्विक कीमतों के अनुरूप नहीं है। वास्तव में आयात कीमतों में दर्ज रुझान कच्ची सामग्री की प्रचलित वैश्विक कच्ची सामग्री की कीमतों से अलावा, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की खरीद कीमत प्रचलित वैश्विक कच्ची सामग्री की कीमतों से अलावा, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त कच्ची सामग्री की कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा प्रटत्त कच्ची सामग्री की कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा प्रटल्ट है कि विदेशी उत्पादकों की संबद्ध वस्तु की आयात कीमतों में इनपुट कीमतों में संगत गिरावट के बावजूद कमी आना घरेलू कीमतों में गिरावट का कारण हो सकता है।

क्र.सं.	माह	आरएम कीमत		बिक्री कीमत/पहुंच कीमत			
		वैश्विक	डीआई	डीआई	चीन	सउदी	ताइवान
क	वास्तविक कीमत (रू/एमटी)						
1	जुलाई-22	***	***	***	1,58,652	1,79,162	1,68,246
2	अगस्त-22	***	***	***	1,73,773	1,75,718	1,50,086
3	सितंबर,-22	***	***	***	1,44,571	1,68,336	1,31,824
4	अक्टूबर-22	***	***	***	1,32,846	1,46,397	1,28,477
5	नवंबर-22	***	***	***	1,33,811	1,32,427	1,31,346

2	5
7	J

6	दिसंबर,-22	***	***	***	1,48,213	1,35,430	1,21,589
7	जनवरी-23	***	***	***	1,34,096	1,17,203	1,11,495
8	फरवरी-23	***	***	***	1,20,556	1,20,899	1,15,407
9	मार्च-23	***	***	***	1,54,431	1,11,379	1,13,316
10	अप्रैल-23	***	***	***	1,18,689	1,26,547	1,16,450
11	मई-23	***	***	***	-	1,27,558	1,10,793
12	जून-23	***	***	***	-	1,16,469	-
ख	प्रवृत्ति						
1	जुलाई-22	100	100	100	100	100	100
2	अगस्त-22	110	101	92	110	98	89
3	सितंबर,-22	106	100	85	91	94	78
4	अक्टूबर-22	103	101	81	84	82	76
5	नवंबर-22	107	102	76	84	74	78
6	दिसंबर-22	111	97	71	93	76	72
7	जनवरी-23	119	106	71	85	65	66
8	फरवरी-23	111	103	72	76	67	69
9	मार्च-23	114	103	73	97	62	67
10	अप्रैल-23	122	97	75	75	71	69
11	मई-23	114	98	76	-	71	66
12	जून-23	101	98	81	-	65	-

ख. <u>कीमत कटौती</u>

62. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना द्वारा कीमत कटौती ज्ञात की गई है। कीमत कटौती का विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (ए)	पीओआई (ए)
आयातों का पहुंच मूल्य					
संबद्ध देश	रू./एमटी	1,19,941	98,715	1,67,392	1,37,851
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	140	115
चीन	रू./एमटी	1,08,113	98,306	1,56,251	1,39,576
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	145	129
सऊदी अरब	रू./एमटी	1,26,038	1,01,417	1,69,726	1,42,815
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	135	113
ताइवान	रू./एमटी	1,03,547	94,610	1,65,495	1,26,049

ऋणात्मक

1-10

1-10

ऋणात्मक

सऊदी अरब	रू./एमटी		-24,621	68,309	-26,911
ताइवान	रू./एमटी		-8,938	70,885	-39,445
अन्य देश	रू./एमटी		-20,473	69,419	0
घरेलू उद्योग	रू./एमटी		(***)	***	(***)
कीमत कटौती					
संबद्ध देश	रू./एमटी	***	***	***	(***)
चीन	रू./एमटी	***	***	***	(***)
सऊदी अरब	रू./एमटी	(***)	***	***	(***)
ताइवान	रू./एमटी	***	***	***	***
अन्य देश	रू./एमटी	(***)	***	***	(***)
कीमत कटौती					
संबद्ध देश	%	***	***	***	(***)
रेंज		1-10	1-10	1-10	ऋणात्मक
चीन	%	***	***	***	(***)
रेंज		10-20	1-10	10-20	ऋणात्मक
सउदी अरब	%	(***)	***	***	(***)
रेंज		ऋणात्मक	1-10	1-10	ऋणात्मक
ताइवान	%	***	***	***	***
रेंज		10-20	10-20	1-10	1-10
अन्य देश	%	(***)	***	***	(***)

26	THE GAZETT	E OF INDIA : EX	TRAORDINAR	Υ	[PART I—SEC.
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	160	122
अन्य देश	रू./एमटी	1,24,423	1,03,949	1,73,369	1,73,369
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	139	139
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	144	110
पूर्ववर्ती अवधि के मुकाबले परिव	र्तन				
संबद्ध देश	रू./एमटी		-21,226	68,678	-29,541
चीन	रू./एमटी		-9,807	57,945	-16,675
सऊदी अरब	रू./एमटी		-24,621	68,309	-26,911

रेंज

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	70
- चीन	रू./एमटी	1,63,677	1,33,644	1,28,834
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	79
- सऊदी अरब	रू./एमटी	1,75,122	1,37,792	1,17,404
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	67
ताइवान	रू./एमटी	1,43,090	1,26,688	1,12,987
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	79
अन्य देश	रू./एमटी	1,53,719	1,78,743	1,40,396
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	91
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	78
पूर्ववर्ती अवधि के मुकाबले परिवर्तन				
संबद्ध देश	रू./एमटी		(***)	(***)
चीन	रू./एमटी		(***)	(***)
सऊदी अरब	रू./एमटी		(***)	(***)
ताइवान	रू./एमटी		(***)	(***)
अन्य देश	रू./एमटी		***	(***)
घरेलू उद्योग	रू./एमटी		(***)	(***)
कीमत कटौती	रू./एमटी			
संबद्ध देश	रू./एमटी	(***)	(***)	(***)
चीन	रू./एमटी	(***)	(***)	(***)
सऊदी अरब	रू./एमटी	(***)	(***)	***
ताइवान	रू./एमटी	***	***	***
अन्य देश	रू./एमटी	***	(***)	(***)
कीमत कटौती				
संबद्ध देश	%	(***)	(***)	***
रेंज		ऋणात्मक	ऋणात्मक	1-10
चीन	%	(***)	(***)	(***)
रेंज		ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक
सऊदी अरब	%	(***)	(***)	***
रेंज		ऋणात्मक	ऋणात्मक	1-10
ताइवान	%	***	***	***

रेंज		1-10	1-10	1-10
अन्य देश	%	1.42	-27.98	-13.47
रेंज		1-10	ऋणात्मक	ऋणात्मक

- i. पीओआई में घरेलू उद्योग ताइवान से कीमत कटौती झेल रहा था। परिणामस्वरूप पीओआई के दौरान ताइवान से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई थी। पीओआई की अंतिम तिमाही में ताइवान से आयात विगत वार्षिकीकृत आयातों के मुकाबले अधिक थे। इसके अलावा, 2020-21 में ताइवान के आयातों द्वारा कीमत कटौती की गई थी। परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उस वर्ष ताइवान के आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई।
- ii. सऊदी अरब से आयात कीमत में तेजी से गिरावट आई और इससे पीओआई के अंतिम तिमाही में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई थी। परिणामस्वरूप सऊदी अरब से आयात मात्रा में आयातों में समग्र गिरावट के बावजूद अंतिम तिमाही में वृद्धि हुई थी।
- iii. चीन से आयात घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे थे। तथापि, पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण मात्रा सीमित बनी रही। जब चीन के उत्पादकों ने पीओआई के क्यू2 में कीमतों में तेजी से कमी की तो आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई। चीन और अन्य संबद्ध देशों के बीच कीमत में अंतर में पीओआई के क्यू3 में एक बार फिर वृद्धि हुई और आयातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई।
- iv. तथापि, गैर संबद्ध आयातों की मात्रा में उनकी कीमत और अन्य आयातों की कीमत के बीच अंतर में वृद्धि के साथ तेजी से गिरावट आई।
- v. सऊदी अरब से आयात से 2019-20 में कीमत कटौती नहीं हुई थी और उनकी कीमत गैर संबद्ध देशों से अधिक थी। परिणामस्वरूप सऊदी अरब से आयात उस वर्ष गैर संबद्ध आयातों से कम थे। तथापि, उसके बाद सऊदी अरब के आयात गैर संबद्ध आयातों की तुलना में सस्ते हो गए। परिणामस्वरूप गैर संबद्ध आयातों के मुकाबले सऊदी अरब के आयातों में वृद्धि हुई।
- vi जब कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट नहीं भी आई और उनमें वृद्धि हुई तब भी घरेलू उद्योग को भारी कीमत की गिरावट का सामना करना पड़ा है।

अत: यह देखा गया है कि बाजार में उत्पाद के अनेक आपूर्तिकर्ता थे और घरेलू उद्योग को बाजार में प्रचलित न्यूनतम कीमत से अपनी कीमतों को बेंचमार्क करना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने बताया कि जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक कीमत कटौती इस तथ्य के कारण हुई थी कि पीओआई में ही कीमतों में तेजी से बदलाव हुआ था।

64. अत: यह जानकारी दर्शाती है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर दबाव पड़ा था। उद्योग ने कीमतें घटाकर इसका उत्तर दिया जिससे बिक्री मात्राओं में वृद्धि हुई परंतु घाटे अधिक हो गए। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को भी नोट करते हैं कि प्राय: जब भी विदेशी उत्पादक कीमत में बदलाव घोषित करते हैं तो घरेलू कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है जबकि आयातित उत्पाद काफी समय बाद भारत में आता है। अत: यद्यपि घरेलू आंकड़ों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है जबकि आयातित उत्पाद काफी समय बाद भारत में आता है। अत: यद्यपि घरेलू आंकड़ों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है जबकि आयातित उत्पाद काफी समय बाद भारत में आता है। अत: यद्यपि घरेलू आंकड़ों पर कीमत कटौती का प्रभाव तात्कालिक है। तथापि, आयात कीमत बाद के महीनों में कीमत में गिरावट को दर्शाती है। यह भी भलि-भांति ज्ञात है कि कटौती और ह्रास / न्यूनीकरण दोनों एक ही समय में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में जहां कीमत कटौती ऋणात्मक है। प्राधिकारी वे लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में एक ही समय ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव प्रहा प्रभाव पहाते की कि कटौती कीमत के यहा की पर तत्का प्रभाव तत्कालिक है। तथापि, आयात कीमत बाद के महीनों में कीमत में गिरावट को दर्शाती है। यह भी भलि-भांति ज्ञात है कि कटौती और ह्रास / न्यूनीकरण दोनों एक ही समय में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। अत: ऐसी स्थिति में जहां कीमत कटौती ऋणात्मक है। प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में एक ही समय ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। प्राधिकारी ने कीमतों पर भारी ह्रासकारी प्रभाव पाया है।

ग. कीमत ह्रास या न्यूनीकरण

65. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आवेदक ने (क) बिक्री की इकाई लागत,
 (ख) घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना दी है जैसा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (ए)	पीओआई (ए)
अवधि के लिए वास्तविक आंकड़े					
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	88	144	110
बिक्रियों की लागत	रू./केजी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	107	140	139
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	133	137
उपयोग	रू./केजी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	153	171
पूर्ववर्ती अवधि के मुकाबले परिवर्तन				•	
बिक्री कीमत	रू./केजी		(***)	***	(***)
बिक्रियों की लागत	रू./केजी		***	***	(***)
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी		***	***	***
उपयोग	रू./केजी		***	***	***

विवरण	यूनिट	पीओआई-क्यू1	पीओआई-क्यू 2	पीओआई-क्यू 3
अवधि के लिए वास्तविक आंकड़े				
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***
प्रवृत्ति		100	83	78
बिक्रियों की लागत	रू./केजी	***	***	***
प्रवृत्ति		100	94	91
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	***	***	***
प्रवृत्ति		100	99	103
उपयोग	रू./केजी	***	***	***
प्रवृत्ति		100	88	80
पूर्ववर्ती अवधि के मुकाबले परिवर्तन				
बिक्री कीमत	रू./केजी	-	(***)	(***)
बिक्रियों की लागत	रू./केजी	-	(***)	(***)
कच्ची सामग्री की लागत	रू./केजी	-	(***)	***
उपयोग	रू./केजी	-	(***)	(***)

- i. यद्यपि बिक्री लागत में 2020-21 में वृद्धि हुई परंतु बिक्री कीमत में गिरावट आई है।
- ii. अप्रैल 21 जून 22 में यद्यपि बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई परंतु बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में वृद्धि से काफी अधिक थी।
- iii. पीओआई के क्यू1 में यद्यपि बिक्री लागत में वृद्धि हुई। तथापि, बिक्री कीमत में भारी से गिरावट आई।
- iv. पीओआई के क्यू2 में यद्यपि बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई परंतु बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक थी।
- v. पीओआई के क्यू3 में यद्यपि बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई परंतु बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में गिरावट से थोड़ी अधिक थी।
- 67. अत: यह देखा गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग को अप्रैल 21 जून 22 तक कीमतों पर किसी ह्रासकारी /न्यूनकारी प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा था परंतु पीओआई में घरेलू उद्योग को भारी कीमत न्यूनकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा। 2020-21 में दर्ज प्रवृत्ति आपवादिक थी क्योंकि वह कोविड-19 महामारी के प्रकोप से प्रभावित थी। तथापि, पीओआई में लागत से कम कीमत पर आयातों की भारी मात्रा में प्रवेश से घरेलू उद्योग के पास कीमत घटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने ऐसी स्थिति में कीमत में कटौती की जहां इनपुट की लागत बढ़ रही थी। अत: संबद्ध आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण दोनों हुआ जिससे भारी क्षति हुई।
- 68. इसके अलावा, यह देखा गया है कि उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्रियों अर्थात् फारमेल्डी हाइड, एसीटेल्डी हाइड और कास्टिक सोडा की कीमतों जो कुल लागत का लगभग *** - *** प्रतिशत है, में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है और फिर भी संबद्ध देशों से आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है।

च.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

69. नियमावली के अनुबंध-।। में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है-:

क. <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां</u>

70. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22	पीओआई (ए)
				(ए)	
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	70	101	97
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	70	102	97

घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	115	121

- i. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि में सतत बनी रही है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में संगत अवधि में मांग में गिरावट और कोविड संबंधी समस्याओं के कारण आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है। तथापि, उत्पादन में अप्रैल 2021 से जून 2022 में वृद्धि हुई और पीओआई में थोड़ी गिरावट आई है।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में आधार वर्ष से पीओआई में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में बिक्री उस वर्ष में उत्पादन से काफी कम थी जिससे काफी मात्रा में मालसूची एकत्रित हो गई। तत्पश्चात् 2020-21 में उत्पादन में भारी गिरावट आई और बिक्री मात्राएं कम बनी रहीं। 2019-20 और 2020-2021 में उत्पादन और बिक्री कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई थी।

ख. <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

72.	पूरी क्षति अवधि के दौग	ान संबद्ध आयाते	ों और घरेलू उद्योग	का बाजार हिस्सा	निम्नानुसार रहा था:
12.	्रूरा जात जनाव नग्पा	ાંગ તેબેલ્ક ગાવાલ	ा जार भरेषू उद्याग	भग आजार छित्ता	ાગમ્પાયુલાર રહા બા.

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (ए)	पीओआई (ए)
संबद्ध देश	%	43.94	47.29	52.77	52.51
प्रवृत्ति		100	108	120	120
अन्य देश	%	31.47	20.02	14.30	9.03
प्रवृत्ति		100	64	45	29
कुल आयात	%	75.41	67.31	67.06	61.54
प्रवृत्ति		100	89	89	82
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	133	134	156
कुल हिस्सा	%	100.00	100.00	100.00	100.00

73. संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में भारी वृद्धि हुई है जबकि गैर संबद्ध देशों के हिस्से में काफी अधिक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण पहले दो वर्षों में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसा हुआ था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने तेजी से कीमत कटौती करके बाजार में अपना हिस्सा बनाए रखा है। चूंकि गैर संबद्ध आयात कीमतों में गिरावट नहीं आई बल्कि वृद्धि हुई है। इसलिए क्षति अवधि के दौरान अन्य देशों के बाजार हिस्से में भारी गिरावट जई है। यद्यपि पीओआई में संबद्ध आयातों के हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में 2 0प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, अन्य देशों के हिस्से में उसी अवधि में लगभग 71 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ग. <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>

74. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21- जून'22 (ए)	
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	रू/एमटी	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	-210	205	-348

पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	रू. लाख	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	-216	235	-420
नकद लाभ (पीबीटी+ ह्रासकारी)	रू/एमटी	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	-127	172	-218
नकद लाभ (पीबीटी+ ह्रासकारी)	रू. लाख	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	-130	197	-263
आरओसीई	%	***	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति		100	-204	249	-456

- i. घरेलू उद्योग आधार वर्ष में लाभ कमा रहा था। तथापि, उसे कोविड महामारी के कारण 2020-21 में भारी घाटा हुआ था। बाजार में सुधार के साथ और उचित कीमत पर भारतीय बाजार में आयातों का प्रवेश होने पर घरेलू उद्योग ने लाभ कमाना शुरू कर दिया। तथापि, भारी मात्रा में और लागत से कम कीमत पर पीओआई में पाटित आयातों में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग को पीओआई में भारी वृद्धि घाटा उठाना पड़ा।
- ii. नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और आरओआई में भी लाभ के जैसी प्रवृत्ति का पालन किया और उनमें तेजी से गिरावट दर्ज हुई। घरेलू उद्योग को पीओआई में नकद घाटा, ब्याज पूर्व ऋणात्मक लाभ और ऋणात्मक आरओआई का सामना करना पड़ा।
- 76. प्राधिकारी ने कीमतों में तेजी से गिरावट और लागत में गिरावट के बिना पीओआई के भीतर कीमत मापदंडों में रुझानों की जांच की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के ब्याज पूर्व लाभ, कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और आरओआई में तिमाही वार आधार पर पीओआई के भीतर तेजी से गिरावट आई।

विवरण	यूनिट	पीओआई (क)	पीओआई-क्यू1	पीओआई-क्यू 2	पीओआई-क्यू 3
बिक्रियों की लागत	रू./केजी	***	***	***	***
लाभ/(हानि)		100	106	99	96
बिक्री कीमत	रू./केजी	***	***	***	***
लाभ/(हानि)		100	116	96	90
लाभ/(हानि)	रू./केजी	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-52	-120	-128
लाभ/(हानि)	रू. लाख	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-12	-30	-34
पीबीआईटी	रू. लाख	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-11	-30	-31
पीबीआईटी	रू./केजी	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-48	-120	-124
नकद लाभ	रू. लाख	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-10	-30	-35

नकद लाभ	रू./केजी	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-43	-171	-126
आरओसीई	%	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		-100	-45	-119	-136

77. अत: यह देखा गया है कि आयात कीमत में भारी गिरावट के कारण कर पूर्व लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और आरओआई के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है।

घ. मालसूची

78. क्षति अवधि और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (क)	पीओआई (क)
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	4674	201	1725
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	4	37	24

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर में 2019-20 के अंत तक भारी वृद्धि हुई और इसके बाद मार्च, 2021 तक गिरावट आई। तत्पश्चात् मालसूची में एक बार फिर वृद्धि हुई। तथापि, मार्च, 2020 में मालसूची में वृद्धि कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण हुई थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसे कीमतों पर समझौता करके और अत्यधिक घाटों में बिक्री करके स्टॉक खत्म करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

ड. <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (क)	पीओआई (क)
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	98	98	112
वेतन और मजदूरी	रू लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	68	124	136
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	70	102	97

80. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:-

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तदनुसार, कर्मचारियों में वृद्धि के साथ प्रदत्त मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता स्थिर बनी रही है। इन मापदंडों में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखता है।

च. <u>उद्योग में नयी कंपनी का निष्पादन</u>

82. पर्सट्राप इंडिया ने 2024में भारत में पेंटाएरिथ्रिटोल की प्रचलित कीमत के बने रहने की स्थिति में उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा बतायी है। पर्सट्राप इंडिया ने बताया कि उसे वर्तमान बाजार कीमत पर *** एमटी पेंटाएरिथ्रिटोल की घरेलू बिक्री पर 2024 में *** लाख रूपए का काफी अधिक ऋणात्मक ईबीआईटीए को झेलना पड़ेगा। इससे कम क्षमता उपयोग की दर होगी और अल्प और मध्यावधि में अधिक स्थिर लागत होगी जिससे रोजगार भी प्रभावित होगा और भारत से पेंटाएरिथ्रिटोल के निर्यात भी प्रभावित होंगे।

छ. <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

83. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग घाटे उठा रहा है जो दर्शाता है कि इस उत्पाद के लिए निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता सीमित है।

ज. <u>पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा</u>

84. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

झ. <u>वृद्धि</u>

85. घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (क)	पीओआई (क)
उत्पादन	%		-30	46	-4
बिक्रियां	%		3	11	5
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%		-310	198	-270
आरओआई	%		-304	222	-282
नकद लाभ	%		-227	236	-226

86. यह देखा गया है कि विभिन्न कीमत मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि ऋणात्मक थी। यद्यपि मात्रा मापदंडों के संबंध में वृद्धि सकारात्मक थी परंतु वह कोविड संबंधी समस्याओं के कारण विगत अवधि में मात्रा मापदंडों के खराब निष्पादन के कारण हुई थी।

छ. <u>कारणात्मक संबंध और अन्य कारक (गैर-आरोपण विश्लेषण)</u>

87. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर अन्य कारकों की जांच की है और यह पता लगाया है कि क्या उसी समय घरेलू उद्योग को उनसे क्षति हो रही है। ताकि ऐसे अन्य कारकों से होने वाली क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात का रिल् हों।

क) तीसरे देशों आयातों की मात्रा और कीमतें

88. यह देखा गया है कि अन्य देशों से भारी आयात हुए थे। तथापि, गैर संबद्ध आयातों की मात्रा में पीओआई तक भारी गिरावट आई क्योंकि संबद्ध और गैर संबद्ध आयातों के बीच कीमत अंतर में भारी वृद्धि हो गई। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का एक कारण नहीं है। बल्कि अन्य देशों से आयातों में संबद्ध त्यातों के बारण नहीं है। बल्कि अन्य देशों से आयातों में संबद्ध आयातों के कारण नहीं है। बल्कि अन्य देशों से आयातों में संबद्ध आयातों के कारण नहीं है। बल्कि अन्य देशों से आयातों में संबद्ध आयातों के कारण पीओआई में भारी गिरावट आई थी। गैर संबद्ध आयात प्राथमिक रूप से मलेशिया, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन और तुर्की से हुए थे।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22 (क)	पीओआई (क)
1	आयात मात्रा					
i	संबद्ध देश	एमटी	11,273	9,396	11,593	10,396
ii	अन्य देश	एमटी	8,073	3,977	3,142	1,787
iv	कुल	एमटी	19,347	13,373	14,735	12,183
3	सीआईएफ कीमत					

i	संबद्ध देश	रू/एमटी	1,10,800	91,191	1,54,635	1,27,345
ii	अन्य देश	रू/एमटी	1,14,940	96,027	1,60,156	1,52,711

ख) मांग में संकुचन

89. यह देखा गया है कि 2020-21 को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है। 2020-21 में मांग में तेजी से गिरावट आई। तथापि, वह कोविड की वजह से हुआ था। तत्पश्चात् मांग में वृद्धि हो रही है।

ग) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

90. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थिति और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी परिवर्तन या किसी व्यापार व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का पता नहीं चला है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

92. यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

- 93. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया था।
- छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन
- 94. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा उन्हें अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

ज. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

- 95. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर पीओआई के लिए निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि में विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि में विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने पीओआई की प्रत्येक तिमाही के लिए एनआईपी का निर्धारण अलग-अलग किया है।
- 96. पहुंच कीमत और ऊपर यथा निर्धारित एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

देश	अवधि	आयात मात्रा	एनआईपी	पहुंच	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
		एमटी	यूएसडी/ एमटी	यूएसडी/ एमटी	यूएसडी/ एमटी	%	%
चीन	पीओआई-क्यू1	371	***	2,038.35	***	***	
	पीओआई-क्यू 2	1377	***	1,612.28	***	***	

	पीओआई-क्यू 3	72	***	1,546.97	***	***	
	पीओआई	1820	***	1,696.55	***	***	15-25
सऊदी अरब	पीओआई-क्यू1	1240	***	2,180.89	***	***	
	पीओआई-क्यू 2	1500	***	1,662.33	***	***	
	पीओआई-क्यू 3	1280	***	1,409.73	***	***	
	पीओआई	4020	***	1,741.85	***	***	15-25
ताइवान	पीओआई-क्यू1	567	***	1,781.97	***	***	
	पीओआई-क्यू 2	620	***	1,528.36	***	***	
	पीओआई-क्यू 3	770	***	1,356.70	***	***	
	पीओआई	1957	***	1,534.30	***	***	25-35

झ. <u>प्रकटन पश्चान अनुरोध</u>

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 97. अन्य इच्छुक पार्टियों ने प्रकटीकरण विवरण के प्रसार के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - (क) सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड (जीएएफटी) ने प्रस्तुत किया कि इस जांच के आधार पर सऊदी निर्यात पर लागू किए गए उपायों में उपायों को लागू करने के लिए उचित कानूनी आधार का अभाव होगा। GAFT ने अनुरोध किया कि निम्नलिखित कारणों से जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए:
 - परस्टॉर्प के नियंत्रण के कारण सऊदी निर्माता अपना बचाव ठीक से नहीं कर सका , जिससे मूल्य निर्धारण की निष्पक्षता प्रभावित हुई।
 - ii. कुल आयात, विशेष रूप से सऊदी अरब से, जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में 30% की गिरावट के साथ गिरावट आई।
 - iii. सऊदी अरब ने जांच अवधि के दौरान कीमतों में कटौती नहीं की, अन्य देशों और भारतीय बाजार के औसत की तुलना में इसकी बिक्री कीमतें सबसे अधिक थीं।
 - iv. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान सकारात्मक रुझान देखा, जिसमें बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, कर्मचारी, वेतन और इन्वेंट्री में कमी शामिल है।
 - v. नकारात्मक उद्योग रुझान आयात की मात्रा से मेल नहीं खाते, जो प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का सुझाव देते हैं।
 - (ख) मेथनॉल केमिकल्स कंपनी (चेमनोल) ने अनुरोध किया है कि निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करने में देरी को माफ किया जाए। जैसा कि पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, वैसा ही विशिष्ट परिस्थितियों के कारण था। इसके एकमात्र निर्यातक के साथ उत्पन्न हुई विशिष्ट परिस्थितियों के कारण देरी वास्तविक थी। कायम रहो.
 - (ग) चेमनॉल ने जांच की शुरुआत से ही तिमाही आधार पर डंपिंग मार्जिन के निर्धारण पर आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता द्वारा गणना किया गया सामान्य मूल्य गलत था और निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार नहीं था। यह स्थापित नहीं किया गया है कि इस अवधि के दौरान सामान्य मूल्य में भौतिक परिवर्तन हुआ है। चीन से एचएफसी मिश्रणों के मामले में, प्राधिकरण ने कहा था कि बिक्री मूल्य में गिरावट मात्र तिमाही जांच की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह स्थापित नहीं किया है कि सामान्य मूल्य में भी वास्तविक परिवर्तन हुआ है। प्राधिकरण ने केवल आयात कीमतों में गिरावट को त्रैमासिक जांच के लिए पर्याप्त आधार मानकर एक पेटेंट त्रुटि की है, बिना यह निर्धारित किए कि सामान्य मूल्य भी भौतिक रूप से बदल गया है।
- (घ) याचिकाकर्ता की लागत का उपयोग सऊदी अरब में सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि महामारी के दौरान कीमतों में अस्थिरता के कारण भारत में कच्चे माल की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत बढ़ गई थी। पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन करने के लिए एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड प्रमुख कच्चे माल हैं।
- (ङ) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात 11,273 मीट्रिक टन से घटकर 10,396 मीट्रिक टन हो गया। विशेष रूप से, सऊदी आयात 7,665MT से घटकर 5,360MT हो गया। इसके बावजूद, कुल संबद्ध देश के आयात में सऊदी आयात की हिस्सेदारी 39.62% से मामूली बढ़कर 44.00% हो गई। विशेष रूप से, सऊदी आयात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, जो 2019-20 के आधार वर्ष से कम हो गया।
- (च) उपभोक्ता प्राथमिकता सऊदी अरब में स्थानांतरित होने से घरेलू उद्योग के मूल्य निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सऊदी के मूल्य लाभ के बावजूद, इसने घरेलू उद्योग को कीमतों में कटौती के लिए मजबूर नहीं किया है।
- (छ) सऊदी आयात के कारण कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा; जमीन की कीमत रुपये से बढ़ी. 1,26,038/- से रु. 1,42,815/- प्रति मीट्रिक टन। न्यूनतम कटौती से पता चलता है कि मूल्य क्षति का कोई आधार नहीं है।
- (ज) सऊदी से आयात के कारण कीमत में कटौती से घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हो सकता था। चूंकि 2020-21 और अप्रैल'21-जून'22 में कुछ कटौती के बावजूद, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन तब तक स्थिर था। इस प्रकार, सऊदी अरब से आयात के कारण कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- (झ) अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए अप्रासंगिक है। चेमनॉल ने प्राधिकरण से अंतिम निष्कर्षों में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर संबद्ध देशों से आयात के प्रभाव का निर्धारण करते समय इस तथ्य को बाहर करने का अनुरोध किया है।
- (ञ) घरेलू उद्योग के मुनाफ़े में कमी का दोष केवल सऊदी आयात पर नहीं डाला जा सकता। जांच अवधि की शुरुआत के बाद से नकारात्मक लाभप्रदता मेट्रिक्स के बावजूद, सऊदी मूल्य कटौती अंतिम तिमाही तक नकारात्मक रही। उद्योग ने पर्याप्त रूप से यह नहीं दिखाया है कि कैसे सऊदी आयात के कारण POI की पहली और दूसरी तिमाही में क्षति हुई।
- (ट) भले ही भारत के घरेलू उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, ये कठिनाइयाँ विषयगत आयात के बजाय कोविड-19 महामारी के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित अन्य कारकों के परिणामस्वरूप कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुईं।
- (ठ) यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग के कार्यवृत्त और वार्षिक रिपोर्ट को प्रकटीकरण विवरण के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- (ड) यह अनुरोध किया गया है कि शुल्क मुक्त आयात यानी शुल्क मुक्त लाइसेंस के विरुद्ध आयात को विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (ढ) कुल आयात में यह देखा जाएगा कि रूस और स्वीडन से आयात भी नियमित और अच्छी मात्रा में रहा है।
- (ण) यह देखा जाएगा कि ताइवान से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत सऊदी अरब से अधिक है, और इसके अलावा, सऊदी अरब से आयात की पहुंच कीमत चीन की तुलना में अधिक है।
- (त) पर्सटॉर्प स्वीडन और पर्सटॉर्प इंडिया संबंधित कंपनियां हैं।
- (थ) घरेलू उद्योग को 92, 96, 98 और 99% की शुद्धता के अंतर के साथ संबद्ध वस्तुओं के उपयोग और कीमतों में अंतर पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
- (द) इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया है कि पर्सटॉर्प के नए संयंत्र की स्थापना से घरेलू उद्योग को जो फर्क पड़ेगा, उस पर गौर किया जाए।
- (ध) पीयूसी की कीमतें मेथनॉल के कच्चे माल की कीमतों से सीधे आनुपातिक हैं।
- (न) ग्राहकों की प्राथमिकता के संदर्भ में, प्राधिकरण को यह बताया गया है कि चीन और सऊदी अरब की तुलना में ताइवानी संबद्ध वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(ऩ) क्या प्राधिकरण को एशियन पेंट्स की जानकारी पर विचार करना चाहिए, इसके संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण को एशियन पेंट्स की जानकारी हटा देनी चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग के दृश्य

- 98. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण के प्रसार के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - (क) चीनी पेंटाएरीथ्रिटोल आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क 28 जून, 2022को समाप्त हो गया। घरेलू उद्योग ने मान लिया कि कीमतें उचित रहेंगी, इसलिए उन्होंने निर्णायक समीक्षा के माध्यम से कोई उपाय नहीं खोजा।
 - (ख) एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने के बाद, चीनी उत्पादकों ने आक्रामक रूप से पेंटाएरीथ्रिटोल को डंप कर दिया, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ। जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही में डंपिंग की स्थिति खराब हुई है।
 - (ग) चीनी डंपिंग ने अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारत में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को खतरा पैदा हो गया। अस्तित्व के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आवश्यक है।
 - (घ) जांच के तहत उत्पाद एक कमोडिटी उत्पाद है जो बाजार की कीमतों से प्रभावित होता है। जब एक स्रोत कीमतें कम करता है, तो अन्य प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उसका अनुसरण करते हैं, जिसमें अन्य देश और भारत में घरेलू उद्योग भी शामिल हैं।
 - (ङ) भारतीय बाजार मांग-आपूर्ति के अंतर का सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग ने कर्तव्यों के साथ मुनाफा कमाया, जिससे पर्सटॉप जैसे अन्य खिलाड़ियों ने निवेश किया। परस्टॉप ने रु. का निवेश किया. *** मीट्रिक टन पेंटाएरीथ्रिटोल का उत्पादन करने के लिए *** करोड़ रुपये, जो भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि, डंप किए गए आयात परस्टॉप की स्थापना को खतरे में डाल रहे हैं। पहले एंटी-डंपिंग शुल्क ने उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित किया, लेकिन डंप किए गए आयात से अब निवेश को खतरा है। भारत की आत्मनिर्भरता के लिए इन निवेशों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।
 - (च) यूरोपीय आयोग लक्ष्य मूल्य (गैर-हानिकारक मूल्य) निर्धारित करने के लिए निवेश की सुरक्षा को एक पैरामीटर के रूप में मानता है ।
 - (छ) परिमाणित कर्तव्यों का प्रभाव नगण्य है।
 - (ज) जांच अवधि के दौरान नकारात्मक मूल्य कटौती इस तथ्य के मद्देनजर थी कि जांच की अवधि के दौरान कीमत में बहुत अधिक बदलाव हुआ था।
 - (झ) आयात की गिरती कीमतों और अनुबंध बिक्री की मात्रा में कमी के कारण घरेलू उद्योग को हाजिर बिक्री से अधिक नुकसान का सामना करना पड़ा।
 - (ञ) कीमतें कम होने से अनुबंध बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन इससे अनुबंध बिक्री में अधिक घाटा भी हुआ।
 - (ट) जांच अवधि के अंत में, बढ़ती आयात कीमतें अनुबंध बिक्री की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप थीं, जिसके परिणामस्वरूप स्पॉट बिक्री से नुकसान कम हो गया।
 - (ठ) डंप किए गए आयात ने घरेलू कीमतों पर दबाव डाला, जिससे कीमतें कम हुईं और बिक्री बढ़ी, लेकिन घाटा भी बढ़ गया। विदेशी मूल्य समायोजन ने घरेलू कीमतों को तुरंत प्रभावित किया, जबकि आयात की कीमतें बाद के महीनों में दिखाई दीं। यदि अंडरकटिंग अनुपस्थित थी, तो प्राधिकरण को जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू कीमतों ने दमनकारी प्रभाव दिखाया है, जैसा कि उसके प्रकटीकरण वक्तव्य में सुझाव दिया गया है।
 - (ड) शुल्क अमेरिकी डॉलर में 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए
 - (ढ) पेरस्टॉर्प प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकरण के निष्कर्ष से सहमत है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

99. प्राधिकरण नोट करता है कि प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियाँ/प्रस्तुतियाँ अधिकतर पहले की गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति हैं। इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में इनकी पहले ही उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है। हालाँकि, प्रासंगिक पाए जाने तक इनकी नीचे जांच की गई है।

- 39
- 100. जहां तक अलग-अलग शुद्धता वाले उत्पाद के लेन-देन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इच्छुक पक्ष ने अलग-अलग शुद्धता के अस्तित्व और विश्लेषण पर उनके प्रभाव का प्रदर्शन नहीं किया है। वास्तव में, प्राधिकरण ने पार्टियों से टिप्पणियां मांगी थीं और कोई भी पक्ष विश्लेषण के उद्देश्य से पीसीएन पर विचार नहीं करना चाहता था।
- 101. इस तर्क के संबंध में कि भारत को निर्यात पर परस्टॉप नियंत्रण के कारण सऊदी निर्माता अपना बचाव ठीक से नहीं कर सका, प्राधिकरण नोट करता है कि निर्यात मूल्य निर्धारण के लिए उस कीमत के संबंध में पूरी जानकारी की आवश्यकता होती है जिस पर भारत को निर्यात किया गया है। सऊदी निर्माता ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत को होने वाले निर्यात पर परस्टॉप का ही नियंत्रण है। यदि परस्टॉप ने सऊदी निर्माता के साथ सहयोग नहीं करना पसंद किया है, तो प्राधिकरण नोट करता है कि यह प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से परे है। न केवल सऊदी निर्माता ने काफी देर से प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया है, बल्कि इसमें उस कीमत की जानकारी भी नहीं है जिस पर भारत को जवाब दाखिल किया है, बल्कि इसमें उस कीमत की जानकारी भी नहीं है जिस पर भारत को निर्यात किया गया है। सऊदी निर्माता के भीवर अपना जवाब दाखिल करने की छूट थी। हालाँकि, इसमें भी काफी देरी हुई। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सऊदी निर्माता ने वर्तमान जांच के लिए परस्टॉप के सहयोग और भागीदारी को महत्वपूर्ण और आवश्यक माना, लेकिन इसे सुनिश्चित करने में विफल रहा।
- 102. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि यह न केवल प्रतिक्रिया दाखिल करने में देरी का सवाल है, बल्कि यह तथ्य भी है कि भारत में निर्यात मूल्य के संबंध में जानकारी पर्सटॉप की भागीदारी के बिना काफी अधूरी है। निर्माता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका संपूर्ण निर्यात परस्टॉप के माध्यम से किया गया है। इन परिस्थितियों में, परस्टॉप के सहयोग और भागीदारी के बिना निर्यात मूल्य उचित और पर्याप्त रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- 103. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि त्रैमासिक तुलनाओं पर विचार करके डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकरण नोट करता है कि इस अवधि के दौरान सामान्य मूल्य में11 % से अधिक की गिरावट आई है। चूंकि सामान्य मूल्य में भी तिमाही आधार पर उल्लेखनीय गिरावट होती है, इसलिए तिमाही तुलना पर विचार करके डंपिंग मार्जिन निर्धारित करना भी उचित है। किसी भी मामले में, यह देखा गया है कि भले ही तुलना भारित औसत आधार पर की जाती है, इससे महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन होता है।
- 104. इस तर्क के संबंध में कि क्षति अवधि के दौरान सऊदी अरब से निर्यात में30 % की गिरावट आई है, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण संबद्ध देशों से संचयी रूप से किया गया है। सऊदी निर्माता ने कोई सबूत नहीं दिया है और न ही चोट के व्यक्तिगत मूल्यांकन की मांग की है। ऐसी स्थिति में जहां प्राधिकरण को संबद्ध देशों से संचयी रूप से किया गया है। सऊदी निर्माता ने कोई सबूत नहीं दिया है और न ही चोट के व्यक्तिगत मूल्यांकन की मांग की है। ऐसी स्थिति में जहां प्राधिकरण को संबद्ध देशों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है, अलग-अलग देशों से आयात की आवाजाही महत्वहीन है। किसी भी मामले में, प्राधिकरण ने प्रतिकूल मात्रा प्रभाव के कारण क्षति के अस्तित्व का निष्कर्ष नहीं निकाला है। क्षति पर निष्कर्ष घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रतिकूल मूल्य प्रभावों पर आधारित है। इस संबंध में, यह देखा गया है कि सऊदी अरब सहित सभी स्रोतों से आयात मूल्य में गिरावट आई है। नीचे दी गई तालिका दर्शाती है.

आयात मूल्य रु./मी.टन	चीन	सऊदी अरब	ताइवान
पीओआई-क्यू 1	1,51,203	1,61,776	1,32,184
पीओआई-क्यू 2	1,23,458	1,27,291	1,17,033
पीओआई-क्यू 3	1,19,015	1,08,457	1,04,376

105. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सऊदी अरब के उत्पादक ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं की, यह नोट किया गया है कि सऊदी अरब से आयात की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, जबकि सऊदी अरब के लिए कीमत में कटौती पीओआई की पहली और दूसरी तिमाही में नकारात्मक थी, पीओआई की तीसरी तिमाही में कीमत में कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण थी। यह भी देखा गया है कि जहां सऊदी अरब से आयात मूल्य क्यू 1और क्यू 2में चीन से आयात मूल्य से अधिक था, वही क्यू 3में कम था। इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि सऊदी अरब के उत्पादकों ने भी चीनी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कीमतों से मेल खाने के लिए अपनी कीमतें काफी कम कर दीं।

- 106. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सऊदी आयात से क्षति नहीं हुई, यह नोट किया गया है कि जांच से पता चला है कि संबद्ध आयात के परिणामस्वरूप कीमतों पर महत्वपूर्ण निराशाजनक प्रभाव पड़ा है और घरेलू उद्योग का प्रदर्शन जांच अवधि और तिमाही दर तिमाही में तेजी से खराब हुआ है। तिमाही आधार. इसके अलावा, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, नकदी हानि और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा।
- 107. नकारात्मक मूल्य कटौती से संबंधित प्रस्तुतियों की आगे जांच की गई है।
 - (क) घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि जांच अवधि के दौरान नकारात्मक मूल्य कटौती इस तथ्य के मद्देनजर थी कि पीओआई के दौरान कीमत में बहुत अधिक बदलाव हुआ था। न केवल कीमतें महीने-दर-महीने बदलती रहीं, बल्कि उसी महीने में रिपोर्ट किए गए आयात के संबंध में भी कीमतों में काफी अंतर आया। घरेलू उद्योग ने लेन-देन के अनुसार आंकड़ों से उजागर किया कि उत्पाद का आयात एक ही महीने में काफी अलग कीमतों पर हुआ।
 - (ख) मूल्य कटौती की अनुपस्थिति के संबंध में इच्छुक पार्टियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने लेनदेन-वार आयात डेटा की विस्तार से जांच की। यह देखा गया है कि वास्तव में एक ही महीने में उत्पाद का आयात काफी भिन्न कीमतों पर दर्ज किया गया था। नीचे दी गई तालिका जांच अवधि में विभिन्न महीनों में रिपोर्ट किए गए आयात की कम और ऊंची कीमतों को दर्शाती है। तालिका महीने के लिए भारित औसत कीमत भी दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के लिए उच्चतम या भारित औसत आयात मूल्य के आधार पर ग्राहकों से कीमत प्राप्त करना संभव नहीं है, जब महीने के भीतर कीमत में इतना गंभीर उतार-चढ़ाव हुआ हो। उपभोक्ता बाजार में प्रचलित कीमतों को देखते हैं और घरेलू उद्योग से भी इसकी बराबरी की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहां आयात काफी भिन्न कीमतों पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, घरेलू उद्योग उस कम कीमत के आधार पर कीमत की पेशकश करने के लिए बाध्य हो जाता है जिस पर आयात की सूचना दी जा रही है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में भारित औसत आयात कीमतों के आधार पर कीमत में कटौती का निर्धारण भ्रामक होगा। घरेलू उद्योग ने मांग की कि प्राधिकरण को केवल उन आयातों पर विचार करना चाहिए जो घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे थे। उसी के आधार पर, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि लगभग 45% आयात पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर रिपोर्ट किए गए थे।

एस.एन.	महीना	डीआई विक्रय मूल्य	संबद्ध देशों से आयात मूल्य			
			औसत	निम्नतम	उच्चतम	
1	जुलाई-22	***	154000	120950	181390	
2	अगस्त-22	***	156453	116667	179113	
3	सितम्बर 22	***	136856	116580	160900	
4	अक्टूबर-22	***	126213	109897	160900	
5	नवम्बर-22	***	136829	116482	144381	
6	दिसम्बर-22	***	127958	104438	152475	
7	जनवरी-23	***	105601	98760	123876	
8	फ़रवरी-23	***	111200	95163	123236	
9	मार्च-23	***	1,04,907	96,025	1,42,662	

(ग) प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट कर लिया है। यह नोट किया गया है कि किसी भी इच्छुक पक्ष ने घरेलू उद्योग के दावे पर विवाद नहीं किया है। एंटी-डंपिंग नियम आयात से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करने के लिए विभिन्न आर्थिक मानदंड निर्धारित करते हैं। क्षति के निर्धारण के लिए कीमत में कटौती एक पहलू है, तथापि, यह नोट किया गया है कि कीमत में कटौती क्षति का आकलन करने के लिए 'मुख्य' कारक नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां कीमत में कटौती नकारात्मक है, क्षति के पहलू पर आगे की जांच आयात के कारण घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले दमन और मंदी के प्रभाव की है। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ सभी तीन पैरामीटर *अर्थात*। जरूरी नहीं कि कटौती, दमन और अवसाद एक ही समय में सकारात्मक हों। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहां कीमत में कटौती नकारात्मक है, प्राधिकरण को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें दमनकारी या निराशाजनक प्रभाव दिखाती हैं। वर्तमान जांच के तथ्यों में, प्राधिकरण ने नकारात्मक मूल्य कटौती के बावजूद घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण दमनकारी प्रभाव पाया है जो कि क्षति निर्धारण के मापदंडों में से एक को स्थापित करता है / मूल्य दमन सकारात्मक है.

- 108. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि उपभोक्ताओं की प्राथमिकता सऊदी अरब से आयात की ओर बढ़ रही है, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और विशेष रूप से चूंकि सऊदी अरब से आयात मूल्य Q 1 और Q 2में ताइवान और चीन से अधिक था; यह देखा गया है कि तीसरी तिमाही में सऊदी से आयात कीमतें चीन की तुलना में कम थीं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि सउदी अरब से आयात मूल्य में भी जांच अवधि के दौरान तिमाही-दर-तिमाही आधार पर भारी गिरावट आई है।
- 109. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में वॉल्यूम मापदंडों के संबंध में सुधार हुआ है, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति के रूप में प्रतिकूल वॉल्यूम प्रभाव का भी दावा नहीं किया है। न ही प्राधिकरण ने पाया है कि डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राधिकरण ने पाया है कि देश में उत्पाद की डंपिंग से घरेलू उद्योग पर कीमत पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह जांच अवधि में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न में गिरावट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह भी देखा गया है कि जांच अवधि के भीतर डंपिंग मार्जिन, कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन में काफी वृद्धि हुई है।
- 110. जहां तक सऊदी आयात के कारण मूल्य प्रभाव की अनुपस्थिति का संबंध है, प्राधिकरण का मानना है कि लाभ, नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर विचार करके प्रतिकूल मूल्य प्रभाव को देखा जाना आवश्यक है । जांच से स्पष्ट रूप से पता चला है कि घरेलू उद्योग को उनकी कीमतों पर काफी निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। आयात के कारण कीमत में गिरावट के कारण लाभ, नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- 111. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सऊदी अरब से आयात मूल्य में 13% की वृद्धि हुई है, यह देखा गया है कि बिक्री की लागत में 39% की वृद्धि हुई है जबकि आयात की पहुंच कीमत में केवल 13% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल और उपयोगिता लागत में क्रमशः 37% और 71% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि के साथ आयात की कीमतें नहीं बढ़ी हैं।
- 112. जहां तक रूस और स्वीडन से आयात का संबंध है, गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण और गैर-विषय स्रोतों से आयात में इसकी उचित जांच की गई है। यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि गैर-विषय देशों से आयात या तो मात्रा में महत्वहीन है या कीमतों में अधिक है।
- 113. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ताइवान से आयात की कीमत सऊदी अरब से अधिक है, और सऊदी की कीमतें चीन की तुलना में अधिक हैं, यह ध्यान दिया जाता है कि सऊदी उत्पादक ने इसके विपरीत तर्क दिया है और प्रस्तुत किया है कि उनकी कीमतें सबसे अधिक हैं। किसी भी मामले में, प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी विश्लेषण किया है।
- 114. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि परस्टॉप स्वीडन और परस्टॉप इंडिया संबंधित संस्थाएं हैं, प्राधिकरण नोट करता है कि यह मुद्दा पूरी तरह अप्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान जांच में परिभाषित घरेलू उद्योग में परस्टॉप इंडिया शामिल नहीं है।
- 115. जहां तक परस्टॉप इंडिया की नई विनिर्माण सुविधाओं का संबंध है, यह ध्यान दिया गया है कि उक्त संयंत्र जांच अवधि के काफी बाद उत्पादन में आया था। इसलिए, जांच अवधि में पाई गई घरेलू उद्योग की क्षति के लिए पर्सटॉप इंडिया की नई उत्पादन सुविधाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- 116. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पीयूसी की कीमतें मेथनॉल के कच्चे माल की कीमतों से सीधे आनुपातिक हैं, प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति विश्लेषण में इस पर उचित रूप से विचार किया गया है।
- 117. इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि यूरोपीय आयोग लक्ष्य मूल्य (गैर-हानिकारक मूल्य) निर्धारित करने के लिए निवेश की सुरक्षा को एक पैरामीटर के रूप में मानता है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी की गणना एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III के अनुसार की गई है। और प्राधिकरण का सतत अभ्यास।
- 118. जहां तक ताइवानी उत्पाद की प्राथमिकता का संबंध है, यह ध्यान दिया गया है कि ताइवान से आयात मूल्य अन्य सभी देशों से आयात मूल्य से कम रहा है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि ताइवान से आयात की मात्रा अन्य

देशों से आयात की मात्रा से कम थी, और क्षति अवधि के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई। इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी ताइवानी सामग्री को प्राथमिकता देने की कोई संभावना नहीं सुझाती है।

119. एशियन पेंट्स से संबंधित जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने माना है कि एशियन पेंट कैप्टिव खपत के लिए उत्पाद का उत्पादन कर रहा है। इसलिए प्राधिकरण ने चोट के विश्लेषण के लिए एशियन पेंट से संबंधित किसी भी जानकारी पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है, भले ही एशियन पेंट का उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन में शामिल है या नहीं।

ञ. सार्वजनिक हित

ञ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार

- 120. अन्य इच्छुक पार्टियों ने सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:
 - i) अंतिम उपयोगकर्ता को घरेलू उत्पाद के साथ आयातित उत्पाद के प्रतिस्थापन के संबंध में एक पत्र प्रदान करना चाहिए।
 - ii) प्राधिकरण को उपभोक्ता के हित और आम जनता के हित की गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए।

ञ.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 121. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:
 - i) समान अवसर सुनिश्चित करने और भारत को उत्पाद पर केवल आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। भारत में कोई अन्य उद्योग भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु नहीं बेच रहा है, जिसका मतलब यह होगा कि आवेदक के पतन की स्थिति में, भारतीय बाजार संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएगा, जिससे इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे। बड़ी तस्वीर में ऊँची कीमतें, बाधित उपलब्धता, या व्यापार घाटा।
 - ii) यह उपभोक्ताओं के हित में है कि प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग द्वारा संचालित उचित मूल्य वाले उत्पादों वाला एक बाजार हो जो आयात के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।
 - iii) विनिर्माण महाशक्ति बनने में अपनी भूमिका में सहायता के लिए भारत में घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। घरेलू उत्पादन से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी।
 - iv) 2002से लगाए गए पिछले शुल्कों ने कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।
 - v) अन्य पार्टियों ने उपभोक्ताओं के हितों की जांच करने की मांग की है, हालांकि, किसी ने भी साक्ष्य के साथ इसकी पुष्टि नहीं की है। जबकि आवेदक ने मामले में विस्तृत ईआईक्यू प्रस्तुत किया है।

ञ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षा

- 122. प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके। जो देश के व्यापक हित में है। डंपिंग रोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है।
- 123. प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी इच्छुक पार्टियों से विचार आमंत्रित करते हुए आरंभिक अधिसूचना जारी की और उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए जानकारी मांगने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी *। अन्य बातों के अलावा*, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव ऐसे कारक जो नई स्थिति में समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना रखते हैं। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाकर ।
- 124. प्राधिकरण को घरेलू उद्योग के अलावा इच्छुक पार्टियों को जारी प्रश्नावली का कोई जवाब नहीं मिला है।

- 125. यह ध्यान दिया गया है कि संबद्ध वस्तुओं की प्राथमिक खपत मुख्य रूप से पेंट उद्योग (कुल खपत का 90% से अधिक) में उपयोग की जाती है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का पुराना इतिहास है, इसलिए उसने एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसे विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट पर भरोसा किया है। यह देखा गया है कि पेंट उद्योग ने पहले लगाए गए कर्तव्यों के कारण बढ़ी हुई लागत या कठिनाई का उल्लेख नहीं किया है। प्राधिकरण का मानना है कि शुल्क पीओआई से पहले लागू थे और इन उद्योगों के प्रदर्शन पर, जैसा कि रिकॉर्ड पर रखी गई वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से देखा गया है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि हालांकि शुल्कों का उपभोक्ताओं पर कोई ज्ञात प्रतिकूल प्रभाव नहीं था, संबद्ध देशों से विषय वस्तु पर एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति का घरेलू उद्योग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जैसा कि किए गए क्षति विश्लेषण से स्पष्ट है। यह अधिसूचना.
- 126. इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि भारत में आयात आवश्यक है क्योंकि भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है और भारत में एकल घरेलू उत्पादक के पास सीमित क्षमता है और वह भारत में पेंटाएरीथ्रिटोल की पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर भारत में उत्पाद की डंपिंंग को उचित नहीं ठहरा सकता है, खासकर जब इससे मौजूदा घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा हो। साथ ही, यह भी नोट किया गया है कि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर की स्थिति को नए घरेलू उत्पादक, पर्सटॉर्प इंडिया के निवेश से ठीक किया जाएगा। पर्स्टॉर्प इंडिया ने नवंबर 2023 में पेंटाएरीथ्रिटोल इंडिया का उत्पादन शुरू किया है और इसकी क्षमता 40, 000मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। भारत में घरेलू उत्पादकों की संयुक्त क्षमता अब भारत में पेंटाएरीथ्रिटोल की मांग से कहीं अधिक है। हालाँकि, पर्स्टॉर्प ने दावा किया है कि डंप किए गए आयात से कंपनी की प्रभावी स्थापना को खतरा है। पहले लागू एंटी-डंपिंग कर्तव्यों ने भारतीय उद्योग को घरेलू मांग को पूरा करने के लिए निवेश और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
- 127. विरोध करने वाले इच्छुक पक्षों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि एंटी-डंपिंग शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम ग्राहकों पर किस तरह प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ताओं, यानी पेंट उद्योग पर शुल्क के प्रभाव की गणना प्रदान की है। यह देखा गया है कि विषय वस्तु, विषय वस्तु के उत्पादन में एक प्रमुख इनपुट भी नहीं है। इस प्रकार, एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा।

<u>उपायों के विस्तार का औचित्य</u>: 28 जून 2022 तक चीन से पेंटाएरीथ्रिटोल आयात पर एंटी-डंपिंंग ड्यूटी (एडीडी) लागू थी। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उसका मानना है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी समाप्त होने के बाद कीमतें स्थिर और उचित रहेंगी, और तदनुसार, निर्णायक समीक्षा नहीं की गई। अनावश्यक उपचार अनुरोधों से बचें. हालाँकि, एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति के बाद, विदेशी उत्पादक एक बार फिर आक्रामक डंपिंग में लग गए, जिससे घरेलू उद्योग को नए सिरे से चोट और नुकसान हुआ। यह प्रदर्शन मापदंडों में दर्ज रुझानों से भी स्पष्ट है। यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान डंपिंग की तीव्रता में वृद्धि हुई है, जैसा कि जांच की अवधि (पीओआई) की प्रत्येक तिमाही में डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि में देखा गया है। नतीजतन, अन्य देशों ने भी भारतीय बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी को सुरक्षित रखने के लिए आक्रामक डंपिंग का सहारा लिया है, जिससे घरेलू उद्योग के अस्तित्व के लिए समान अवसर की आवश्यकता हुई है।

- 128. इस मामले में पीयूसी एक कमोडिटी उत्पाद है, जहां खरीदारी प्रचलित बाजार कीमतों से काफी प्रभावित होती है। एक स्रोत से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण दबाव के कारण, अन्य सभी आपूर्तिकर्ता अपने मूल्य निर्धारण को तदनुसार समायोजित करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए, जब भी एक निर्यातक ने अपनी कीमतें कम कीं, तो बाजार में अन्य आपूर्तिकर्ताओं ने भी भारतीय बाजार में मौजूद रहने के लिए कदम उठाया और अपनी कीमतें मौजूदा कीमतों के अनुरूप कर लीं।
- 129. इसके अलावा, यह देखा गया है कि पहले लागू एंटी-डंपिंग शुल्क और उचित बाजार स्थिति ने उद्योग को भारतीय मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं स्थापित करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राधिकरण मानता है कि निवेश की सुरक्षा आवश्यक है , क्योंकि डंप किए गए आयात इन निवेशों और कंपनी के संचालन की स्थापना को खतरे में डाल सकते हैं। देश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए अतिरिक्त निवेश की सुरक्षा करना जरूरी है।

ट. <u>निष्कर्ष</u>

- 130. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्रस्तुतियों, प्रदान की गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:
 - विचाराधीन उत्पाद का दायरा" पेंटाएरीथ्रिटोल "है जो चीन पीआर, सऊदी अरब और ताइवान में उत्पन्न या निर्यात किया जाता है।
 - ii) आवेदन मेसर्स कनोरा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। मेसर्स एशियन पेंट्स (इंडिया) लिमिटेड ("एशियन पेंट्स ("भी भारत में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। आवेदक भारत में विषय वस्तु का प्रमुख उत्पादक है और नियमों के नियम 2(बी) के तहत एशियन पेंट्स के उत्पादन के साथ-साथ एशियन पेंट्स के उत्पादन को बाहर करने के बाद घरेलू उद्योग का गठन करता है और मानदंडों को पूरा करता है। नियम 5(3) के अनुसार।
 - iii) पर्सटॉर्प इंडिया ने प्रस्तावित उपाय के समर्थक के रूप में भाग लिया है और प्रस्तुत किया है कि वे रुपये के निवेश पर विचाराधीन 40000 एमटीपीए उत्पाद की विनिर्माण इकाई स्थापित कर रहे हैं। 800करोड़. कंपनी ने अब प्रस्तुत किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि डंपिंग को रोकने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना जरूरी है, क्योंकि इस डंपिंग से उन्हें लाभकारी कीमतों पर उत्पादन और बिक्री करने की अनुमति नहीं मिलेगी और उनके द्वारा किए जा रहे निवेश को काफी नुकसान होगा।
 - iv) व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकरण द्वारा चेमनोल के जवाब को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने और समय पर विस्तार की मांग करने में अत्यधिक देरी हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने बेहद अधूरा जवाब दाखिल किया। भारत को निर्यात पर्सटॉर्प एबी द्वारा किया गया है। हालाँकि , पर्स्टोर्प एबी ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। इसलिए, चेमनॉल द्वारा दाखिल की गई प्रतिक्रिया व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। समय पर जवाब दाखिल न करने और प्रश्नावली का पूरा जवाब सुनिश्चित न कर पाने के लिए चेमनोल द्वारा दिए गए कारण स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। प्राधिकरण का मानना है कि यह सुनिश्चित करना संबंधित उत्पादक का काम है कि प्रश्नावली का उत्तर पूरा हो गया है और व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकरण को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई है।
 - v) जांच अवधि के दौरान आयात कीमतों और कच्चे माल की कीमतों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव को देखते हुए,
 डंपिंग और क्षति मार्जिन दोनों की मात्रा का निर्धारण तिमाही आधार पर किया गया है।
 - vi) डंपिंग मार्जिन न केवल *न्यूनतम* स्तर से ऊपर है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। जांच अवधि के भीतर डंपिंग मार्जिन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है।
 - vii) संबद्ध देशों से आयात पूरी जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान लगभग समान रहा। क्षति अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात में गिरावट आई।
 - viii) जांच अवधि के भीतर आयात कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वह अपनी कीमतों को बाजार में प्रचलित सबसे कम कीमतों पर बेंचमार्क करने के लिए मजबूर है, चाहे वह किसी भी देश का हो, यह देखते हुए कि उत्पाद एक शुद्ध वस्तु उत्पाद है। जांच अवधि के दौरान कीमत में औसत कटौती इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नकारात्मक थी कि जांच अवधि के दौरान कीमत में बहुत अधिक बदलाव हुआ था।
 - ix) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। जबकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, यह देखा गया है कि यह घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मूल्य सुधार के कारण है।
 - x) उत्पाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की मात्रा को बनाए रखा गया, और बिक्री को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग ने लगातार और तेजी से मूल्य सुधार किए।

- xi) बाजार न खोने और उत्पादन चालू रखने के लिए, घरेलू उद्योग के पास डंप किए गए आयात द्वारा निर्धारित मूल्य स्तरों का पालन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि में लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई।
- xii) आधार वर्ष में घरेलू उद्योग मुनाफा कमा रहा था. हालाँकि, 2020-21 में कोविड महामारी के कारण इसे नुकसान हुआ। बाजार में सुधार और उचित मूल्य पर आयात के साथ घरेलू उद्योग ने मुनाफा कमाया। हालाँकि, शुल्कों की समाप्ति और डंप किए गए आयात में वृद्धि और पीओआई में लागत से भी कम कीमतों पर, घरेलू उद्योग को पीओआई में महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ है।
- xiii) भारतीय बाजार में एक नए उत्पादक, यानी पस्ट्रॉप इंडिया के प्रवेश पर विचार करते हुए, उनके प्रस्तुतीकरण से यह नोट किया गया है कि यदि भारत में पेंटाएरीथ्रिटोल की प्रचलित कीमतें कायम रहती हैं, तो उनके प्रदर्शन और परिणामस्वरूप उनकी स्थापना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन सुविधाएं।
- xiv) प्राधिकरण ने किसी अन्य कारक पर अन्य पक्षों द्वारा की गई दलीलों की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को जो वास्तविक क्षति हुई है, वह संबद्ध देशों से डंप किए गए आयात के कारण हुई है।
- xv) प्राधिकरण ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच में सभी इच्छुक पक्षों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है। किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा कोई आर्थिक हित प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा का निर्धारण भी प्रदान किया है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। ऐसा देखा जा रहा है कि प्रस्तावित उपायों का प्रभाव न्यूनतम होगा।
- 131. उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकरण ने पाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उत्पाद को डंर्पिंग कीमतों पर निर्यात किया गया है और उत्पाद की ऐसी डंर्पिंग से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ठ. <u>सिफारिश</u>

- 132. एंटी-डंपिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, चोट और कारण लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि डंपिंग और इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना आवश्यक है। चोट। प्राधिकरण संबद्ध देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।
- 133. कम शुल्क नियम का पालन करने के संबंध में, प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर एंटीडंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए सिफारिश करता है। इस उद्देश्य के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

क्र.सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता/निर्यातक	मात्रा	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2905.42.90	पेंटाएरीथ्रिटोल	चीन	चीन	कोई			
			पीआर	पीआर		245 45		
				सहित कोई		345.15	मीट्रिक टन	यूएसडी
				भी देश				

शुल्क तालिका

<u> </u>	2005 42.00		चीन	चीन	कोई			
2.	2905.42.90	पेंटाएरीथ्रिटोल	चान पीआर के अलावा कोई भी देश	चान पीआर	काइ	345.15	मीट्रिक टन	यूएसडी
3.	2905.42.90	पेंटाएरीथ्रिटोल	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	कोई	300.15	मीट्रिक टन	यूएसडी
4.	2905.42.90	पेंटाएरीथ्रिटोल	सऊदी अरब के अलावा कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई	300.15	मीट्रिक टन	यूएसडी
5.	2905.42.90	पेंटाएरीथ्रिटोल	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई	499.01	मीट्रिक टन	यूएसडी
6.	2905.42.90	पेंटाएरीथ्रिटोल	ताइवान के अलावा कोई भी देश	ताइवान	कोई	499.01	मीट्रिक टन	यूएसडी

***नोट-सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और एंटी-डंर्पिंग शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

134. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें धारा 3, 8बी, 9, 9ए के तहत कर्तव्यों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं। उक्त अधिनियम.

ड. आगे की प्रक्रिया

135. इस अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी के इस निर्धारण/समीक्षा के खिलाफ अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप,निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

FINAL FINDINGS

CASE NO. AD-OI-04/2023

Subject: Final Finding in anti-dumping investigation concerning imports of "Pentaerythritol" originating in or exported from China PR, Saudi Arabia, and Taiwan.

F. No. 06/04/2023 -DGTR.-

A. BACKGROUND OF THE CASE

- 1. M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd. (hereinafter referred to as the "applicant" or the "petitioner") filed an application in the form and manner prescribed before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of "Pentaerythritol" (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR, Saudi Arabia, and Taiwan (hereinafter also referred to as the "subject countries").
- 2. Previous investigations conducted by the Authority on the subject goods are provided herein below:

	Original Investigation	Sunset Review - I	Sunset Review - II
Subject countries	China PR and Sweden	China PR and Sweden	China PR
Initiation Notification No.	14/16/2004-DGAD	15/03/2010-DGAD	15/01/2016-DGAD
Initiation Notification date	04 th Feb. 2005	26 th March 2010	07 th June 2016
Preliminary Finding - MOC	05 th August 2005	-	-
Provisional Duty - MoF	20 th October 2005	-	-
Customs Notification of Provisional Duty	93/2005	-	-
Final Finding-DGAD	02 nd February 2006	25 th March 2011	12 th May 2017
Definitive Duty - MoF	20th April 2006	14 th June 2011	29 th June 2017

Table 1: Details of previous anti-dumping investigations against China PR

Table 2: Details of previous anti-dumping investigations against Saudi Arabia

	Fresh Investigation
Subject countries	Saudi Arabia
Initiation Notification No.	14/11/2011-DGAD
Initiation Notification date	22 nd May 2012
	Terminated on 08 th Nov. 2013

Table 3: Details of previous anti-dumping investigations against Taiwan

	Original Investigation	Sunset Review - I	Mid Term Review	Sunset Review - II
Subject countries	Taiwan, Japan, Canada	Taiwan and Japan	Taiwan	Taiwan
Initiation Notification No.	48/1/2001-DGAD	15/07/2006-DGAD	15/10/2010-DGAD	15/19/2012-DGAD

Initiation Notification date	22 nd Nov. 2001	15 th Mar. 2007	22 nd June 2010	27 th Apr. 2013
Preliminary Finding - DGAD	15 th Feb. 2002	-	-	-
Customs Notification of Provisional Duty	27 th Mar. 2002	-	-	-
Customs Notification of Provisional Duty	33/2002	-	-	-
Final Finding- DGAD	08 th Oct. 2002	05 th Mar. 2008	17 th June 2011	16 th Oct. 2014
Definitive Duty – MoF	31 st Oct. 2002	28 th Apr. 2008	12 th Aug. 2011	31 st Dec. 2014

B. PROCEDURE

- 3. The procedure described below has been followed with regards to the investigation:
- i) The Authority notified the embassies of the subject countries/territories in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
- ii) The Authority *vide* notification no.6/04/2023-DGTR dated 12th May 2023 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- iii) The Authority forwarded a copy of the public notice along with the questionnaires to the embassies of the subject countries in India, all known exporters, importers and users (whose details were made available by the applicant) and gave them the opportunity to make their views known in writing in accordance with Rule 6(2) of the anti-dumping rules. They were advised to reply within thirty days from the date of receipt of notice.
- iv) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassies of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the anti-dumping Rules. A copy of the application was also provided to the other interested parties, as requested.
- v) The Authority sent questionnaire to elicit relevant information to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD rules:

S.No.	Name of known Exporter/ Producer	S.No.	Name of known Exporter/Producer		
1.	Guizhou Crystal Chemicals Co. Ltd.	2.	China National Chemicals Construction Corporation		
3.	Sincohem Jiangsu Import & Export Corporation	4.	Shanxi Sanwei Group Company Ltd.		
5.	Cosmoss VU Limited	6.	Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd.		
7.	PuyangPengxin Chemical Co. Ltd.	8.	Shanghai Covan Chemical Co.		
9.	Sinoright International Trade	10.	Star Chemicals Far East Co. Ltd.		
11.	Wuhan Biet Co. Ltd.	12.	Zhejiang Medicines & Health Products		
13.	Perstop Specialty Chemicals AB	14.	Chemanol (Methanol Chemicals Company)		
15.	LCY Chemical Corp.	16.	Ocean Chemical Co. Ltd.		
17.	Roshal Group	18.	Metafrax Chemicals		
19.	Karbolit JSC (Metafrax Group)				

vi) Methanol Chemicals Company ("Chemanol") producer/exporter from Saudi Arabia filed an Exporter Questionnaire Response but with a delay of 44 days and without seeking extension of time for such a significant delay. Since, there has been considerable delay in filing of response, the Authority is constrained not to accept the same. However, submissions made by the Chemanol have been appropriately considered by the Authority wherever necessary.

S.No.	Name of Known Importer/User	S.No.	Name of Known Importer/User
1.	Amber Chemicals	2.	Amjey Chem Trade Pvt. Ltd.
3.	Aron Universal Ltd.	4.	Asian Paints Ltd.
5.	Aureole Rubbers Pvt. Ltd.	6.	B Pankaj Kumar & Company
7.	Berger Paints India Ltd.	8.	Bharat Solvent & Chemical Corp.
9.	Boro Criss	10.	Chemical Corp Pvt. Ltd.
11.	Esdee Paints Ltd.	12.	Fine Organic Industries Ltd.
13.	Gumpro Drilling Fluids Pvt. Ltd.	14.	Hardware Trading Corporation
15.	Hubergroup India Pvt. Ltd.	16.	J Kirit and Brothers
17.	J P DyechemPvt. Ltd.	18.	JaimarutiPolychem LLP
19.	K K Global	20.	Kansai Nerolac Paints Ltd.
21.	Kushal Chemicals	22.	Leo Chemo PlastPvt. Ltd.
23.	Lok Chemicals Pvt. Ltd.	24.	Macro Polymers Pvt. Ltd.
25.	N.R. Colours Ltd.	26.	Paarichem Resources LLP
27.	Pawan Chemicals	28.	Peekay Agencies Pvt. Ltd.
29.	Perstorp Chemicals India Pvt. Ltd.	30.	Pioneer Chemical Industries Pvt. Ltd.
31.	R Nandlal& Sons	32.	R.R. Innovative Pvt. Ltd.
33.	Ramniklal S Gosalia& Co.	34.	Resins and Plastics Ltd.
35.	Saanvi Chemicals	36.	Sanjay Chemicals (India) Pvt. Ltd.
37.	Santwani Brothers Pvt. Ltd.	38.	Shah C J World LLP
39.	Shlok Chemicals	40.	Solar Industries India Ltd.
41.	SpakOrgochem (India) Pvt. Ltd.	42.	Su-Rasayan
43.	Uniform Synthetics Pvt. Ltd.	44.	Vandana Chemicals
45.	Ratnaka Machinery and Spares	46.	A V M Sales Pvt. Ltd.
47.	Subham Oils & Resins Private Ltd.	48.	Addison Paints & Chemicals Ltd.
49.	Century Enka Ltd.	50.	Ciba Specialty Chemicals India Ltd.
51.	Coates of India Ltd.	52.	Decpro Paints
53.	Dujodwala Paper Chemicals Ltd.	54.	Gargi Industries Prop.
55.	GoodlassNerolac Paints Ltd.	56.	Hardcastle &Waud Mfg. Co. Ltd.
57.	Hero Dye Chem Industries	58.	Hindustan Inks & Resins Ltd.
59.	IVP Ltd.	60.	Jenson & Nicholson (I) Ltd.
61.	Mitsu Industries Ltd.	62.	Paras Dyes & Chemicals Pvt. Ltd.
63.	Resin & Pigments	64.	Perstorp Chemicals India Pvt. Ltd.
65.	A.V.M. Sales Pvt. Ltd.	66.	Alcon Enterprises
67.	Chemi Colour Agency	68.	Eastcorp International
69.	Garaware Polyester Ltd.	70.	H.R. Trading Co. Pvt. Ltd.
71.	Leo ChemoplastPvt. Ltd.	72.	Samir Dye Chem
73.	Sanman Trade Impex Pvt. Ltd.	74.	Saraf Chemicals Ltd.

	S.No. Name of Known Importer/User		S.No.	Name of Known Importer/User
ĺ	75.	Vibgyor Paints Pvt. Ltd.	76.	Indian Paints Association
ĺ	77.	Indian Resin Manufacturer's Association	78.	Indian Small Scale Paint Association

- viii) M/s Sandeep Organics, an importer of the subject goods in India, did not file an Importer Questionnaire Response but has submitted comments during the course of the investigation. The same have been appropriately addressed wherever necessary.
- ix) The Government of Saudi Arabia participated in the present investigation as well as submitted its comments.
- x) The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry. Response to EIQ was submitted only by the domestic industry.
- xi) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xii) Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary.
- xiii) Verification of the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xiv) The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv) The period of investigation for the purpose of the present review is 1st July 2022 to 31st March 2023 (9 months) (hereinafter referred to as the "period of investigation" or "POI"). The Authority had recorded reasons in the initiation notification of the present investigation, for considering a period of 9 months as POI. It had been stated that the POI was considered to be this period after (a) excluding the period during which duties on China were in force, and the period for which data/information is not available, (b) considering urgency in undertaking investigation, having regard to irreparable loss and damage that is occurring to the domestic industry. It had also been specified in the initiation notification, that other parties may comment an appropriateness of POI. In the absence of any comments received, and the aforesaid factors, the Authority considers the POI, i.e.,1st July 2022 to 31st March 2023 to be appropriate for the present investigation. The injury analysis period included the period of investigation and the preceding years, 2019-20, 2020-21, April 2021- June 2022. Further, since the POI is of 9 months and the immediately preceding year is 15 months, hence the Authority to appropriately examine the trends of the injury period, has annualized these two periods. The actual figures for these two periods have been annualized by implementing the following formula: (x/15) *12 and (x/9) *12, respectively.
- xvi) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views during the oral hearing held on 22nd September 2023. The interested parties were requested to submit their written submissions by 29th September, 2023 and rejoinder submissions by 6th October. 2023 at the latest.
- xvii) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xviii) In accordance with Rule 16 of the Rules Supra, the essential facts were disclosed by the Authority on 17th January, 2024 to the concerned interested parties. Comments were requested by 24th January, 2024. Comments received on the disclosure statement to the extent considered relevant by the Authority have been considered in this final finding.
- xix) ***In this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx) Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is $1 \text{ USD} = \mathbf{Rs. 82.16}$.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 VIEWS OF THE OTHER INTERESTED PARTIES

- 4. Following submissions have been made by other interested parties with regard to scope of the product under consideration (PUC) and like article:
- i) The domestic industry manufactures pentaerythritol of purity 92% & 96%. Whereas imports entering the Indian market are of minimum 98% purity. Actual purity of imports from Russia is minimum 99%. There is a difference in usage & price as per purity, and therefore, data should be compared as per purity. Further, in this regard certificate of analysis should be examined.

C.2 Views of the domestic industry and supporter

- 5. The Indian industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:
 - i) The product under consideration is Pentaerythritol, excluding Di-Pentaerythritol. It is an organic compound and constitutes of four hydroxyl groups, indicated by the term "erythritol", and five carbon atoms indicated by the prefix "Penta". It can be produced in two grades, in which the difference is primarily on the basis of the purity, crystal size, and uniformity of crystals. Apart from this, there is no material difference between the two grades.
 - ii) Pentaerythritol is used in the manufacture of derivatives such as alkyd resins, esters, and other derivatives. These derivatives are used as drying agents in paint, varnishes, and other surface coating industries and more recently, as lubricants in various industries.
 - iii) With respect to alleged difference with respect to purity of subject goods, the same has been examined previously, both by the DGTR and also by other jurisdiction which conducted an investigation on subject goods. The European Commission in Regulation (EC) No 2007/214/EC of 3 April 2007¹, had noted that all grades share the same chemical and physical characteristics, and are used for the same purpose.

C.3 Examination by the Authority

- 6. The product under consideration in the present investigation is, 'Pentaerythritol'. Pentaerythritol is an organic compound. The term "erythritol" indicates the presence of four hydroxyl groups, and the prefix "Penta" indicates that there are five carbon atoms in the molecule.
- 7. Pentaerythritol is produced using electrodialysis separation technology or fractional crystallization technology having molecular formula of $C_5H_{12}O_4$ and molecular weight of 136.
- 8. There is no difference in product properties produced through the two technologies. Major raw materials required for production of Pentaerythritol are methanol, ethanol, caustic soda, and activated carbon.
- 9. Pentaerythritol can be of either technical or nitration grade. The principal difference in the two grades is in purity, crystal size and uniformity of crystals. Both the grades are produced out of the same process. However, it is only a matter of gradation, after production and at the stage of analytical testing of the product. Pentaerythritol having purity above 98% and better crystal formation can be used in the explosive industry and therefore, this grade has been designated as "nitration grade" in commercial parlance. However, Pentaerythritol considered as "nitration grade" can also be used for production of alkyd resins and other products (where the other grade, "technical grade" Pentaerythritol is used). It is noted that the production process, largely results in production of "technical grade" and less than 2% production results in nitration grade. Production of Di-penta is less than 0.5%. In terms of imports of subject goods, these are also primarily of technical grade.
- 10. There is no material difference between technical or nitration grade. Nitration grade is sold at nominally higher price due to its higher purity compared to the technical grade. However, the aforesaid price difference is insignificant. Di-pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration of the present investigation.
- 11. The price difference between technical and nitration grade is insignificant. Consistent with the past determination of this the Authority in previous investigations conducted in the product under consideration², has considered that there is no difference between the two grades for the purpose of the present investigation.

¹https://eur-lex.e,uropa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0214

² Final Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Pentaerythritol originating in or exported from Russia-reg. dated 11th Dec., 2014

- 12. The applicant is also involved in the production of Di-pentaerythritol. Di-pentaerythritol is produced by further processing of Pentaerythritol. However, Di-pentaerythritol is beyond the scope of the product under consideration of the present investigation.
- 13. Pentaerythritol used in the manufacturing of derivatives, and finds its application in paint, varnishes, and other surface coating industries. It is mostly used in the manufacturing of alkyd resins, rosin esters, plasticizers, printing inks, synthetic rubber, stabilizers for plastics, modified drying oils, detonators, explosives, pharmaceuticals, and core oils and synthetic lubricants, etc. The applicant in their Economic Interest Questionnaire (EIQ), has submitted that major consumption of the subject goods is in the paint industry. About 90% of Pentaerythritol is consumed in the paint industry. Asian Paints (India) Ltd., Kansai Nerolac Paints Ltd., Berger Paints, Esdee Paints Ltd., Macro Polymers Pvt. Ltd. constitute majority consumers of the Pentaerythritol in the paint industry.
- 14. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 2905.42.90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of the other interested parties

15. No submission has been made by other interested parties with regard to the domestic industry and standing.

D.2 Views of the domestic industry

- 16. The domestic industry has made the following submissions with regard to the domestic industry and standing:
 - i) The application has been filed by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited (Kanoria).
 - ii) The applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor related to any importer in India or producer/exporter from the subject countries.
 - iii) There is one more producer in India, M/s Asian Paints (India) Ltd.
 - iv)Perstorp Industries India Pvt. Ltd., is a new producer, and has participated in the present investigation and supported the application.
 - v) Asian Paints produces the goods for captive consumption. However, their production is insufficient to meet their own requirements. The company supplements its requirement through purchases from the market.
 - vi)Asian Paints should not be included in the eligible production, as neither does this production compete with the dumped imports from the subject countries nor does it compete with the sales made by the Indian producers.
 - vii) The applicant constitutes a 'major proportion' (53%) of the total Indian production according to Rule 2(b).

D. 3 Examination by the Authority

- 17. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:
- "(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"
- 18. The present application has been filed by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Limited ("Kanoria"). The applicant has not imported the subject goods and are neither related to an importer or exporter thereof. The applicant company is an eligible the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b).
- 19. The applicant has been supported by M/s Perstorp Industries India Pvt. Ltd. ("**Perstorp India**" or **Perstorp**). Perstorp submitted that it has made substantial commitment in setting up manufacturing facility of Pentaerythritol in India. It has set up a plant having capacity of *** MT per annum for manufacturing of Pentaerythritol in India. It has invested about Rs. *** crores in setting up this facility and has plans to invest further. The company has further stated that it was scheduled to start the production from September 2023, which was earlier planned for July 2023, but the same has been delayed. In their subsequent submission to the Authority, they have submitted that **Perstorp**, has now started production of Pentaerythritol in November 2023 at Sayakha, Gujarat.
- 20. M/s Asian Paints (India) Ltd. ("Asian Paints") is also a producer of the subject goods in India. The applicant has identified Asian Paints as a (a) producer, (b) consumer (c) importer and (d) customer of the applicant in respect of the product under consideration. Asian Paints has not participated in the present investigations. The past

findings notified by the Authority also considered Asian Paints as a captive producer of Pentaerythritol. The company has neither supported nor opposed the present investigation. It has been claimed that Asian Paints is another producer, producing the product for its own captive requirements. The applicant has submitted that the production of Asian Paints should be excluded since the production of Asian Paints was not competing in market and they have not experienced injury from such dumping of subject goods in the Indian market.

- 21. As per the Anti-dumping Rules, the Authority is required to examine whether (a) the production by the domestic industry constitutes "a major proportion" of total Indian production (b) domestic producers expressly supporting the application account for more than twenty five percent of the total production of the like article by the domestic industry; and (c) the application is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. Considering the facts of the present case, and submissions made above, the share of production by the applicant in total Indian production has been determined considering both, the production of Asian Paints, as well as after exclusion Asian Paints' production. The applicant accounts for 100 % of Indian production after excluding production of Asian Paints and ***% after including production of Asian Paints. The Authority considers that it was not necessary to adjudicate whether production of Asian Paints is required to be included or excluded for the purpose of deciding standing of the applicant, as (a) the company has preferred non-cooperation, (b) the company has been identified as a major consumer of the product under consideration, (c) the company is an importer of the product, (d) the company has bought Pentaerythritol from the applicant domestic industry.
- 22. It is seen that the applicant accounts for a major proportion in Indian production, in both the scenario i.e., after excluding production of Asian Paints for captive consumption; as well as including production of Asian Paints for captive consumption. The application thus satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Further, the applicant, Kanoria Chemicals, constitutes the domestic industry within the meaning of the Rules.

E. ASSESSMENT OF DUMPING AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 Views of the other interested parties

- 23. The other interested parties have made the following submissions with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - i) The respondent was under the *bona fide* belief and understanding that the due date for filing the questionnaire response fell on 23rd June 2023 and had filed its interested party letter on the same date asking for a further extension of time by 4 weeks. There was no response from the Authority.
 - ii) The respondent in view of the Eid Holidays in the month of June and July in Saudi Arabia, which reduced the number of operational days and necessitated additional time to complete the questionnaire in the form and manner prescribed requested for further extension of times.
 - iii) On receipt of this email on 2nd August 2023 from Perstorp, stating that it supports the levy of antidumping duty, it became clear as to why there was no response from Perstorp to the repeated requests by Chemanol for sharing information relevant for filing the Exporters' Questionnaire Response.
 - iv) The delay in submitting the EQR by the respondent was occasioned due to the unique circumstances which were beyond its control and are therefore required to be condoned.
 - v) The Designated Authority has further discretion with itself to grant an extension in filing the Questionnaire Response in with retrospective effect where sufficient cause is shown for the same as done in various cases such as aluminium frame, VFY, Flax yarn etc.
 - vi) The Authority should consider the facts and circumstances of this case on merit and accept the response filed by it since the exporter turned hostile due to the abovementioned change in its nature of interest in the market for the subject goods in India. Reference has been made to text of paragraph 8(v) of the "GENERAL section" of the format of Exporters' Questionnaire which states as follows:

In case, any unrelated exporter does not cooperate and does not provide the relevant information, the Designated Authority may disregard the information provided by the concerned participating producer(s)/exporters(s). However, the Designated Authority may consider the facts and circumstances of each case on merit, before taking such decision."

vii) Resorting to constructed normal value is erroneous and inconsistent with Article 2.2 of ADA as well as Section 9A (1) of the Act and cannot be considered either adequate or accurate information vis-à-vis normal value or a dumping margin calculated on that basis. It had to establish that there exist two conditions to resort to (a) where there are no sales of the like article in the domestic market of the exporting country (b) when because of the particular market situation or low volume of sales in the domestic market of the exporting country, such sales do not permit a proper compassion.

- viii) The costs of the domestic industry could not have been used to construct the normal value in Saudi Arabia for the further reason that its cost of production was inflated due to an unprecedented increase in the cost of raw materials in India arising out of an instability in prices as a result of the pandemic.
- ix) No evidence has been provided by the applicants in respect of the adjustments claimed in the petition and the adjustments are high.

E.2 Views of the domestic industry and supporter

- 24. The submissions of the Indian industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:
 - i) China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
 - ii) The Authority shall follow Para 1 6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
 - iii) Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules does not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.
 - iv) Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
 - v) The applicant has constructed the normal value on the basis of the estimate of cost of production in the subject country considering the costs of the domestic industry in India, duly adjusted to include selling, general and administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits, after addition for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
 - vi) This investigation requires, dumping margin to be computed on quarterly basis. Reliance placed on Article 2.4.2 of the ADA, para no. 9.6.20 of DGTR's manual of operating practices, and Appellate Body in US Anti-Dumping Methodologies (China), to state that the Authority is required to only examine a pattern of export price. If it is found that there exists a pattern of export price, the Authority has discretion to undertake any appropriate methodology for determination of dumping margin. In this regard, reliance also placed on Issues and Decision Memorandum for the Anti-dumping Duty Investigation of Large Residential Washers from the Republic of Korea, and Appellate Body in US Washing Machines, to submit that deviation in dumping margin methodology can be made, if
 - a. Volatility in Input cost or selling prices;
 - b. Volatility in volume of imports;
 - c. Volatility in landed value;
 - d. Volatility in export price,
 - e. Volatility in normal value;
 - vii) DGTR and other authorities have conducted quarterly examination in Phenol originating in or exported from Japan and Thailand; Carbon Black used in rubber applications' originating in or exported from Australia, China PR, Iran, Malaysia, Russia and Thailand; Phenol originating in or exported from Japan and Thailand; 'Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)- Whether or not further processed into compound' from Korea RP and China PR; Melamine originating in or exported from the European Union, Japan, Qatar and the United Arab Emirates; Mid-Term Review investigation in respect of the anti-dumping duties imposed on imports of, 'Acetone' originating in or exported from Chinese Taipei; Sunset Review of anti-dumping duty on Viscose Staple Fibre from China PR; Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series, originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand; EU's investigation on certain hot-rolled flat products of iron, nonalloy or other alloy steel originating in the People's Republic of China.

- viii) In the present case also, there is also significant difference in, normal value, export price and resultantly dumping margin.
- ix) Highly unfair to not only the domestic industry but also to other parties, if EQR of the exporter is accepted. Not only the Authority has already rejected the response, but also the oral hearing is already over. Above all, the delay is not in few minutes or hours, but of several days. No global Authority allows such delayed responses. GCC practice referred where Indian producers were given 2-3 days to file response.
- x) Further, in a situation where more than 90% of the sales are of a company that is non-cooperative, in any case, dumping margin cannot be determined, as value chain is severely missing and incomplete.
- xi) While the applicant had made efforts to gather information on actual transactional prices prevailing in the domestic market of Saudi Arabia, the same was not available. Having no information/evidence available either in public domain or in published sources, for the purposes of the application and computation of dumping margin, the applicant was constrained to rely on constructing the normal value.
- xii) It is not the argument of interested party that some information was available with respect to normal value and the domestic industry has deliberately not provided the same. Saudi government does not even make public information such as trade data, which is made public by other major WTO members. Should the other party make available any other appropriate evidence other than the aforesaid, then the same may be accepted by the Authority.
- xiii) With respect to the argument that the costs of the domestic industry could not have been used to construct the normal value in Saudi Arabia as it was inflated due to the pandemic, the same is incorrect. The period of investigation is July 2022 to March 2023, a period that was not impacted by the pandemic. The applicant believes that the argument of the exporter is misplaced.
- xiv) As regards no evidence being provided for adjustment claimed, the applicant has provided the same for freight. With respect to all other adjustments claimed, the same is based on market intelligence. There is no basis for stating that the amount of adjustments claimed are high, and no evidence has been provided.
- xv) All claims made in Chemanol's written submission are denied, by Perstorp.
- xvi) Chemanol has only reproduced and reiterated details of the investigation.
- xvii) In reference to condonation of delay requested by Chemanol, any request for extension should be submitted within original time limit prescribed by the EQR.
- xviii) When there is no response from the Authority regarding extension, consistent practice is that it is not granted and it is granted, there is a notice expressly stating so.
- xix) Chemanol filed an extension of time for 4 weeks on 23rd June, and even if granted, the response would be due on 22rd July. EQR was admittedly submitted on 5th August which is a delay of 14 days.
- xx) Respondent notes that Chemanol filed a request for registration as an interested party along with request for extension of time for filing EQR on 23rd June. Chemanol failed to register itself as an interested party within the prescribed time, and further failed to file the EQR within the prescribed time.
- xxi) Emails sent to the Authority by Chemanol for extension of time limit was not provided by Chemanol and Perstorp understands that Chemanol also never informed the Authority the cause for delay within the time limit.
- xxii) In any case, nothing prevented Chemanol from filing EQR containing its own information within the time limit. In reference to submissions made by Chemanol against Perstorp AB Sweden, the respondent notes that accusations by Chemanol are redundant and have no legal relevance and that the Authority is not required to adjudicate on the bona fides of Perstorp AB Sweden. Perstorp AB Sweden is not even registered as an interested party in the investigation.
- xxiii) With regard to the specific allegation that Perstorp AB Sweden has become hostile and not complied with the requirement of the trade notice, Perstorp stated that Chemanol's statement is unwarranted and has no legal basis. Legal obligation is on Chemanol to provide information regarding its exports to India. Chemanol cannot shift the burden, and there is no mandate under the anti-dumping rules that an unrelated trader of producer has to comply with the request of producer unconditionally.
- xxiv) No assurances were given orally or in writing to Chemanol, that Perstorp AB Sweden would submit an EQR, and in any case, no obligation is formed on Perstorp AB Sweden.

xxv) EQR filed by Chemanol should be rejected as it is incomplete and because the unrelated trader through whom Chemanol has exported the product to India has not cooperated in the present investigation. This is also the Authority's consistent practice.

E.3 Examination by the Authority

- 25. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
 - *i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- 26. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit.
- 27. The exporter questionnaire response was due on 21.06.2023. However, Methanol Chemical Company (Chemanol)-Saudi Joint Stock Company (hereinafter referred as Chemanol), submitted the Exporter Questionnaire Response well beyond the prescribed time limit, on 05.08.2023 (delay of 44 days).
- 28. The exporter, in fact registered itself as an interested party, and sought extension, after expiry of the deadline i.e., on 23.06.2023. The request for extension was based on holidays for Eid that had reduced the number of operarational days. Notwithstanding the delay in registering as an interested party and seeking extension in a timely manner it is noted that the extension was sought for four weeks, i.e., till 21st July 2023 and the response has been filed on 5th August., 2023. It has been submitted by the producer that it was waiting for the exporter, Perstorp AB, to cooperate in this investigation by providing relevant information, in order to effectively respond to the questionnaire issued. However, the questionnaire response filed on 5th August, 2023 is without questionnaire response of the exporter. It is noted from the questionnaire response that no exports have been made by the company to India. Exports to India have been made by Perstorp AB. Since Perstorp AB has not filed questionnaire response, the Authority can, in anyway, not determine export price appropriately and cannot accept the response filed by Chemanol.

E.3.1 Determination of dumping margin on quarterly basis

- 29. The domestic industry, in its petition, determined dumping margin, and injury margin on quarterly basis and contended that the same was necessary in view of significant decline in the import prices without proportionate decline in the cost of production. No interested party has disputed the claim of the domestic industry for determination of dumping margin on quarterly basis.
- 30. In view of significant fluctuations in the import prices and raw material prices during the POI, it is considered appropriate to compare normal value with export price on basis quarterly averages. Considering the material changes in the raw materials prices, the Authority considers that a dumping margin determined on the basis of weighted average for the POI would not be appropriate. The Authority has therefore undertaken quarterly quantification of both dumping margin and injury margin. Weighted average dumping margin and injury margin for the POI has been determined on the basis of associated weights.

E.3.2 Normal value for China PR

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

- "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:
- "(a) In determining price comparability under Article YI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- (iii) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
- (iv) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- (v) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "
- 32. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:
- In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.
- 33. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. There is no evidence of price or constructed value prevailing in market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject countries in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume. Thus, imports into India from market economy third country could not be considered for determination of normal value. The normal value could not be based on the price from a market economy third country to other country, including India as this subject good does not have dedicated customs classification. Therefore, price from a market economy third country to other country, including India as this subject good does not have dedicated customs classification. Therefore, price from a market economy third country to other country, including India, cannot be considered for the present purposes.

- 34. Therefore, the Authority has determined normal value for the subject imports in China as per any other reasonable basis including the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.
- 35. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from China, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. However, none of the producers/exporters from China PR have participated in the present investigation.

E.3.3 Export price for China

- 36. The Authority notes that none of the producers/exporters from China have participated in the present investigation or filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in China, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of export price for all non-cooperative producers/exporters from China.
- 37. The Authority has determined the export price on the basis of volume and value of imports as per DGCI&S transaction by transaction data. Price adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges, on the basis of facts available, in view of non-cooperation. The export price so determined is stated in the table below.

E.3.4 Normal value for Saudi Arabia

38. The Authority notes that even though the producer/exporter from Saudi Arabia has participated in the present investigation, the same has not been accepted by the Authority for the reasons specified above. In the absence of timely cooperation from the producers/exporters of the PUC, the Authority is constrained to proceed on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of normal value for all non-cooperative producers/exporters. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all producers/exporters from Saudi Arabia on the basis of the facts available with regard to the cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, and a reasonable profit margin. As noted above, in view of steep changes in the import prices without proportionate decline in the input prices, comparison of normal value and export price on the basis of weighted average for the POI would result in a skewed quantification of dumping margin. Thus, normal value has been determined on quarterly basis. The constructed normal value so determined for producers/exporters from Saudi Arabia is mentioned in the dumping margin table below.

E.3.5 Export price for Saudi Arabia

- 39. The Authority notes that none of the producers/exporters from Saudi Arabia have filed timely questionnaire response. It is further noted that the responding producer Chemanol has stated that all the goods were in fact sold in the Indian market by Perstorp AB. Perstorp AB has not cooperated in the present investigation. Since the goods have been sold in the Indian market by Perstorp AB, the Authority considers that export price in any case cannot be appropriately determined without complete value chain of exports from Chemanol. In the absence of timely cooperation from the producers/exporters of the PUC in Saudi Arabia, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of export price for all non-cooperative producers/ exporters from Saudi Arabia.
- 40. The Authority has determined the export price after considering the volume and value of imports in the POI as per DGCI&S data. As noted above, in view of steep changes in the import prices without proportionate decline in the input prices, comparison of normal value and export price on the basis of weighted average for the POI would result in a skewed quantification of dumping margin. Thus, export price has been determined on quarterly basis. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges. The export price so determined is stated in the below mentioned dumping margin table.

E.3.6 Normal value for Taiwan

41. In the present case, the Authority notes that none of the producers/exporters from Taiwan have participated in the present investigation or filed a timely questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of normal value for all non-cooperative producers/exporters. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all producers/exporters from Taiwan on the basis of the facts available with regard to cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, and a reasonable profit margin. As noted above, in view of steep changes in the import prices without proportionate decline in the input prices, comparison of normal value and export price on the basis of weighted average for the POI would result in a skewed quantification of

dumping margin. Thus, normal value has been determined on quarterly basis. The constructed normal value so determined for producers/exporters from Taiwan is mentioned in the dumping margin table below.

E.3.7 Export price for producers/exporters of Taiwan

- 42. The Authority notes that none of the producers/exporters from Taiwan have participated in the present investigation or filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in Taiwan, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of export price for all non-cooperative producers/exporters from Taiwan.
- 43. The Authority has determined the export price after considering the volume and value of imports for the POI as per DGCI&S data. As noted above, in view of steep changes in the import prices without proportionate decline in the input prices, comparison of normal value and export price on the basis of weighted average for the POI would result in a skewed quantification of dumping margin. Thus, export price has been determined on quarterly basis. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges. The export price so determined is stated in the below mentioned dumping margin table.

E.3.8 Determination of Dumping margin

44. Considering the normal value and the export price for the subject goods, determined as stated above, dumping margin for the subject goods from the subject countries have been determined as shown in table below. Further, as stated above, the dumping margin have been determined for all producers and exporters from subject countries by undertaking quarterly quantification of normal value and export price.

Country	Period	Import volume	Normal value	Export price	Dumping margin	%	
		MT	USD/MT	USD/MT	Amount	%	range
China	POI-Q1	371	***	1,710	***	***	
	POI-Q2	1377	***	1,342	***	***	
	POI-Q3	72	***	1,286	***	***	
	POI	1820	***	1,415	***	***	30-40
Saudi Arabia	POI-Q1	1240	***	1,904	***	***	
	POI-Q2	1500	***	1,437	***	***	
	POI-Q3	1280	***	1,209	***	***	
	POI	4020	***	1,508	***	***	25-35
Taiwan	POI-Q1	567	***	1,549	***	***	
	POI-Q2	620	***	1,321	***	***	
	POI-Q3	770	***	1,166	***	***	
	POI	1957	***	1,326	***	***	45-55

Dumping margin Table from China PR, Saudi Arabia and Taiwan

F. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Views of other interested parties

- 45. The other interested parties have made the following submissions with regards to injury and continuation or recurrence of injury:
 - i) Imports from Saudi Arabia decreased in both absolute terms and in relation to consumption in India.
 - ii) No injury was caused by imports from Saudi Arabia as the performance of the petitioner was stable till June 2022 despite the presence of price undercutting.

- iii) Domestic sales of the petitioner increased since the base year of 2019-20, despite the petitioner's capacity remaining the same, and capacity utilization has been nearly 100%.
- iv) Closing inventories of the petitioner have gone down significantly since the base year of 2019-20.
- v) The petitioner's market share has increased since the base year and has gone up to 32.33 in the year 2020-21.
- vi) Profitability of the petitioner depends on the fluctuations of the prices for methanol and ethanol, which are used in the production of acetaldehyde and formaldehyde.
- vii) Profit margins could have been affected by the trend of the Rupee against the US Dollar.
- viii) Number of employees and productivity per day per employee has shown a healthy improvement over the injury period and wages also increased by a substantial degree.
- ix) The petitioner has witnessed significant improvements across all volume parameters as both sales and production have increased in relation to the increase in capacity and decrease in inventories.
- x) The domestic industry has witnessed significant improvement across all its volume parameters as both sales and production have increased commensurately to the increase in capacity and inventories have also decreased. Reference made to MEG.
- xi) Ukraine Russia war was a factor that had impacted pricing and demand-supply of the subject goods.
- xii) Further, effect of imports from other countries such as Japan, Korea, Europe, to be considered.
- xiii) It has also been submitted that in the POI, changes in the pricing & demand-supply of factors such as raw material, methanol, crude oil, freight, currency etc., should be provided. Whereas the domestic industry had agreed that there has been some decline in the raw material costs as well, but it has neither been quantified nor mentioned by name.
- xiv) The domestic industry should explain the result/effect of the past anti-dumping duties & cessation thereof on imports from Europe, Russia, China & Taiwan.
- xv) Significant volume of imports implies high demand from the end consumers including the paint industry.
- xvi) Further, it has also been submitted that COVID & non-financial performance by countries such as Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka etc. had impacted global demand-supply & pricing.
- xvii) It has also been submitted that data from the post-POI period will reflect a better picture.
- xviii) It has been submitted that annual reports of the domestic industry have not been provided.
- xix) In order to eliminate the possibility of manipulation of data, the POI should be of minimum 2 years.

F.2 Views of the domestic industry and supporter

- 46. The following submissions were made by the domestic industry, and the supporter, with regard to injury and causal link:
 - Import price of the product declined very steeply without proportionate decline in the costs of inputs. While there has been some decline in the raw material costs as well, the domestic industry has been forced to sell the product at significant financial losses. The exporters/producers have resorted to predatory pricing.
 - ii) The subject imports are causing injury to the domestic industry.
 - iii)Imports from other countries are either negligible or at abnormally higher prices.
 - iv) The demand in the base year declined due to COVID-19, after which it increased till the POI and achieved levels similar to that of the base year.
 - v) The import prices in the POI were low, witnessing a very steep decline.
 - vi)Prices of the dumped imports were controlled by China, and it is seen that Saudi Arabia and Taiwan followed the trend that was set by China in any event.
 - vii) Price undercutting is positive and has been determined by comparing the landed price of subject imports with the Net Sales Realization of the domestic industry.
 - viii) The depression of the domestic industry prices by the subject goods have forced the domestic industry's net selling price to be reduced to lower than the cost of production. The selling price has to be lowered below cost despite an increase in cost of sales, in the POI.

- ix)The domestic industry's capacity remained constant, however the production and capacity utilization declined from base year to 2020-21 due to the decline in demand, increased in 2021-22 and then declined again in the POI.
- x) The sales of the domestic industry increased from the base year to the POI.
- xi) The domestic industry has attempted to maintain its utilization and sales by reducing prices, even below cost.
- xii) Inventories of the domestic industry increased from the base year to 2020-21, with a considerable decline in 2021-22, and increased significantly in the POI.
- xiii) The wages paid and the number of employees both have declined from the base year to 2020-21, and then increased in the POI. However, wages have shown improvement over the injury period.
- xiv) Price parameters have seen negative growth due to the subject imports in the POI. Growth in terms of volume parameters such as sales, production, and market share has also remained adverse.
- xv) Dumping margins are significantly more than *de-minimis* and quarterly analysis of the dumping margin shows that the dumping intensified within the POI.
- xvi) Imports into India at unfair prices would prevent Perstorp from achieving its projected results; Perstorp supports the claims made by the domestic industry and requests recommendation of anti-dumping duty.
- xvii) Total volume of imports from the subject countries have consistently and significantly increased since 2020-21; 9490 MT to 15,681 MT in POI (annualized).
- xviii) Import price of the subject good has declined in the recent period as imports from the subject countries are forcing the prices to dip lower due to aggressive pricing policies and is exerting price pressure in the Indian market.
- xix) Perstop has already invested approx. INR *** crore for setting up a manufacturing facility for Pentaerythritol. Perstorp has further plans to invest approx. INR ***crore for production of Pentaerythritol. It provides direct employment to 106 employees, and has established production facility in *** acres.
- xx) Production of Pentaerythritol was earlier planned to start from August- September 2023 but the same has been slightly delayed. Continued dumping of subject goods from China PR, Taiwan, and Saudi Arabia has compelled Perstorp to postpone its schedule for commencement of production. Perstorp India has started production of Pentaerythritol in India in November 2023 at Sayakha, Gujarat.
- xxi) Perstop will produce 2 products namely, Pentaerythritol and Calcium Formate. Calcium Formate is used as an animal feed preservative in various European countries. It is also used as a masking agent in chrome tanning of leather. Total production capacity of Calcium Formate is ***MT per annum. Almost entire production of Calcium Formate will be exported outside India.
- xxii) Formaldehyde and acetaldehyde, raw materials of Pentaerythritol, would be sourced locally by Perstorp. It has entered into long term supply agreements with raw material suppliers such as Balaji Formalin Private Limited and Lakshmi Organics Industries Ltd. Both these raw material suppliers have invested in greenfield and brownfield projects in line with long term supply contracts, of INR 130 Cr and INR 100 Cr, respectively.
- xxiii) Perstorp supports the claims made by the domestic industry concerning dumping of subject goods from subject countries and material injury and requests for recommendation of anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR, Saudi Arabia and Taiwan. Adequate trade remedy measures will also support "Make in India" initiative. It also requests imposition of provisional duties.
- xxiv) Imports into India at unfair prices will prevent Perstorp India from achieving its projected results and earn reasonable rate of return on its investment. The anti-dumping duty on Pentaerythritol from China PR expired on 28th June 2022 and import price from China PR has declined significantly thereafter. Exporters from Saudi Arabia and Taiwan are forced to match import price from China PR.
- xxv) With the commencement of production by Perstorp, the total capacity of Indian producers for the subject good would exceed the total demand of the subject good in India; imports would not be required to bridge the demand-supply gap.
- xxvi) As to why the Indian industry did not expand the capacity, it is to be considered the profitability of this product over last two decades and this requirement of return. It would be evident that there was no justification for this investment.

xxvii) In terms of evidentiary and legal standards regarding dumping, injury, and causal link between the alleged dumping and injury, Perstorp reiterates submissions made in its WS and has no additional rejoinder.

F.3 Examination by the Authority

- 47. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 48. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

F.3.1 Cumulative Assessment

- 49. Annexure II (iii) of the Anti-Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to imports from each country/territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively account for more than seven percent of the imports of like article, and;
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of conditions of competition between the imported articles and the like domestic articles.
- 50. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effect of imports.

F.3.2 Assessment of Demand/Apparent Consumption

51. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and all other Indian producers and imports from the subject countries as per DGCI&S data, and imports from all other sources. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources, twice – once including and once excluding captive consumption by Asian Paints. The demand so assessed can be seen in the tables below, both including and excluding captive production.

Demand	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	115	121
Sales of other producers	MT	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-
Import from Subject countries	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	103	92
Import from other countries	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	49	39	22
Demand excluding captive	MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	77	86	77
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Demand including captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	89	82

^{52.} It is seen that the demand for pentaerythritol declined in 2020-21. This period was affected with COVID-19. The demand thereafter has increased thereafter before declining in POI. Overall, the demand has declined during the injury period.

F.3.3 Volume Effect of Dumped Imports on the domestic industry

a. Import Volumes and Share of Subject Countries in Imports

53. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21- Jun'22 (A)	POI (A)
Import Volume					
Subject Country	MT	11,273	9,396	11,593	10,396
Trend	Indexed	100	83	103	92
China	MT	2,719	1,116	1,789	2,427
Trend	Indexed	100	41	66	89
Saudi Arabia	MT	7,665	5,060	9,108	5,360
Trend	Indexed	100	66	119	70
Taiwan	MT	889	3,220	696	2,609
Trend	Indexed	100	362	78	294
Other Countries	MT	8,073	3,977	3,142	1,787
Trend	Indexed	100	49	39	22
Total	МТ	19,347	13,373	14,735	12,183
Trend	Indexed	100	69	76	63
Share in imports					
Subject Countries	%	58.27%	70.26%	78.68%	85.33%
China	%	14.06%	8.35%	12.14%	19.92%
Saudi Arabia	%	39.62%	37.84%	61.81%	44.00%
Taiwan	%	4.60%	24.08%	4.72%	21.42%
Other Countries	%	41.73%	29.74%	21.32%	14.67%
Total	%	100%	100%	100%	100%
Subject country imports in relation to					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend		100	120	101	95
Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend		100	108	120	120

54. It is seen that:

- i. Imports from the subject countries declined in 2020-21 and increased thereafter before declining marginally during the POI. The imports from the subject countries have remained nearly the same throughout the POI and the injury period.
- ii. Share of subject imports in total imports increased consistently over the injury period, from 58% in base year to 85% in the POI.
- iii. Imports from other countries have declined steeply over the injury period. Share of imports from other countries have declined from 41% to 14% in the POI.

F.3.4 Price Effect of Dumped Imports

- 55. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
- 56. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject countries. In view of the steep changes in the input prices, the Authority has undertaken quarterly comparison of NSR, cost of production and landed price of imports.

a. <u>Evolution of prices</u>

57. Table below shows the import price from subject and non-subject countries and prices of major input materials.

CIF Price	2019-20	2020-21	Apr'21- Jun'22 -A	POI-A	POI-Q1	POI-Q2	POI-Q3
Subject Country	1,10,800	91,191	1,54,635	1,27,345	1,52,271	1,23,963	1,07,334
China	99,873	90,814	1,44,343	1,28,938	1,51,203	1,23,458	1,19,015
Saudi Arabia	1,16,433	93,688	1,56,791	1,31,931	1,61,776	1,27,291	1,08,457
Taiwan	95,656	87,399	1,52,882	1,16,443	1,32,184	1,17,033	1,04,376
Other Countries	1,14,940	96,027	1,60,156	1,52,711	1,42,004	1,65,124	1,29,933
Raw materials prices of DI	***	***	***	***	***	***	***

58. It is seen that:

- i. Import price from non-subject countries were marginally higher than the import price from subject countries in 2019-20. Also, the volume of imports from non-subject countries was significant in that year. However, by the investigation period, the import price from subject countries became materially lower than import price from non-subject countries. The resultantly, subject imports displaced significant portion of imports from other sources to such an extent that import volumes from non-subject countries in the last two quarters of POI were much lower as compared to imports from the subject countries.
- ii. Comparison of import prices with changes in raw materials, from the table herein above, shows that there was no decline in price of raw materials (raw material prices rather increased), import price from the subject countries declined significantly.
- iii. It is seen that amongst the other countries, only imports from EU is substantial in the POI, however, in absolute terms the same have declined from 8,025 MT in the base year to 1,440 MT in the POI and the import price are significantly higher than the import price from subject countries.
- 59. The Authority compared the trends registered in import price and selling price of the domestic industry in the current investigation period. It is seen that there was a steep decline in the import price within the POI. Consequently, the selling price of the domestic industry has also declined significantly. Further, there was some increase in the domestic industry prices after January 2023 and in the import price after March 2023. However, overall prices have shown significant decline over the POI.



- 60. The domestic industry submitted that imports started having adverse effect on the domestic industry since lapse of duties on China i.e. post 28th June 2022. Import price declined significantly since Q2 (July-September) of 2021-22. It has also been claimed that the rapid decline in import prices has led to an aggravated situation of the industry over the injury period.
- 61. In view of the claim of adverse price effects on the domestic industry, selling price of the domestic industry has been compared with landed prices of subject imports, raw material prices prevailing globally, and raw material prices of the domestic industry. The table below shows the relevant data. It is noted that raw material prices of the domestic industry are based on information filed by the domestic industry, that has been verified from the applicant's system generated reports, during verification undertaken by the Authority while international raw material prices have been sourced from secondary source i.e. trade map. It is seen that the decline in the import prices is not commensurate with the prevailing global raw material. Further, it is also seen that the domestic industry's purchasing price of raw material, has been well below the prevailing global raw material prices. Thus, raw material prices paid by the domestic industry could not be attributed as a cause of losses suffered by the domestic industry. It is evident that reduced import prices of the subject goods of foreign producers, despite no corresponding decline in input prices, could be the reason for declining domestic prices.

SN	Month	RM	prices		Selling price/Landed price				
		Global	D.I.	D.I	China	Saudi	Taiwan		
А	Actual price (Rs/MT)								
1	Jul-22	***	***	***	1,58,652	1,79,162	1,68,246		
2	Aug-22	***	***	***	1,73,773	1,75,718	1,50,086		
3	Sep-22	***	***	***	1,44,571	1,68,336	1,31,824		
4	Oct-22	***	***	***	1,32,846	1,46,397	1,28,477		
5	Nov-22	***	***	***	1,33,811	1,32,427	1,31,346		
6	Dec-22	***	***	***	1,48,213	1,35,430	1,21,589		
7	Jan-23	***	***	***	1,34,096	1,17,203	1,11,495		
8	Feb-23	***	***	***	1,20,556	1,20,899	1,15,407		

9	Mar-23	***	***	***	1,54,431	1,11,379	1,13,316
10	Apr-23	***	***	***	1,18,689	1,26,547	1,16,450
11	May-23	***	***	***	-	1,27,558	1,10,793
12	Jun-23	***	***	***	-	1,16,469	-
В	Trends						
1	Jul-22	100	100	100	100	100	100
2	Aug-22	110	101	92	110	98	89
3	Sep-22	106	100	85	91	94	78
4	Oct-22	103	101	81	84	82	76
5	Nov-22	107	102	76	84	74	78
6	Dec-22	111	97	71	93	76	72
7	Jan-23	119	106	71	85	65	66
8	Feb-23	111	103	72	76	67	69
9	Mar-23	114	103	73	97	62	67
10	Apr-23	122	97	75	75	71	69
11	May-23	114	98	76	-	71	66
12	Jun-23	101	98	81	-	65	-

b. Price undercutting

62. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. The analysis for price undercutting is given in table below:

Particulars	Units	2019-20	2020-21	Apr'21- Jun'22 (A)	POI (A)
Landed price of imports		l			
Subject Countries	Rs./MT	1,19,941	98,715	1,67,392	1,37,851
Trend	Indexed	100	82	140	115
China	Rs./MT	1,08,113	98,306	1,56,251	1,39,576
Trend	Indexed	100	91	145	129
Saudi Arabia	Rs./MT	1,26,038	1,01,417	1,69,726	1,42,815
Trend	Indexed	100	80	135	113
Taiwan	Rs./MT	1,03,547	94,610	1,65,495	1,26,049
Trend	Indexed	100	91	160	122
Other Countries	Rs./MT	1,24,423	1,03,949	1,73,369	1,73,369
Trend	Indexed	100	84	139	139
Domestic industry's selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	144	110
Change over previous period	I	1	1	1	1
Subject Countries	Rs./MT		-21,226	68,678	-29,541

China	Rs./MT		-9,807	57,945	-16,675
Saudi Arabia	Rs./MT		-24,621	68,309	-26,911
Taiwan	Rs./MT		-8,938	70,885	-39,445
Other Countries	Rs./MT		-20,473	69,419	0
Domestic industry	Rs./MT		(***)	***	(***)
Price undercutting					
Subject Countries	Rs./MT	***	***	***	(***)
China	Rs./MT	***	***	***	(***)
Saudi Arabia	Rs./MT	(***)	***	***	(***)
Taiwan	Rs./MT	***	***	***	***
Other Countries	Rs./MT	(***)	***	***	(***)
Price undercutting					
Subject Countries	%	***	***	***	(***)
Range		1-10	1-10	1-10	Negative
China	%	***	***	***	(***)
Range		10-20	1-10	10-20	Negative
Saudi Arabia	%	(***)	***	***	(***)
Range		Negative	1-10	1-10	Negative
Taiwan	%	***	***	***	***
Range		10-20	10-20	1-10	1-10
Other Countries	%	(***)	***	***	(***)
Range		Negative	1-10	1-10	Negative

Particulars	Units	POI-Q1	POI-Q2	POI-Q3
Landed price of imports				
Subject Countries	Rs./MT	1,64,834	1,34,190	1,16,189
Trend	Indexed	100	81	70
China	Rs./MT	1,63,677	1,33,644	1,28,834
Trend	Indexed	100	82	79
Saudi Arabia	Rs./MT	1,75,122	1,37,792	1,17,404
Trend	Indexed	100	79	67
Taiwan	Rs./MT	1,43,090	1,26,688	1,12,987
Trend	Indexed	100	89	79
Other Countries	Rs./MT	1,53,719	1,78,743	1,40,396
Trend	Indexed	100	116	91
Domestic industry's selling price	Rs./MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	78
Change over previous period				

Subject Countries	Rs./MT		(***)	(***)
China	Rs./MT		(***)	(***)
Saudi Arabia	Rs./MT		(***)	(***)
Taiwan	Rs./MT		(***)	(***)
Other Countries	Rs./MT		***	(***)
Domestic industry	Rs./MT		(***)	(***)
Price undercutting				
Subject Countries	Rs./MT	(***)	(***)	(***)
China	Rs./MT	(***)	(***)	(***)
Saudi Arabia	Rs./MT	(***)	(***)	***
Taiwan	Rs./MT	***	***	***
Other Countries	Rs./MT	***	(***)	(***)
Price undercutting				
Subject Countries	%	(***)	(***)	***
Range		Negative	Negative	1-10
China	%	(***)	(***)	(***)
Range		Negative	Negative	Negative
Saudi Arabia	%	(***)	(***)	***
Range		Negative	Negative	1-10
Taiwan	%	***	***	***
Range		1-10	1-10	1-10
Other Countries	%	1.42	-27.98	-13.47
Range		1-10	Negative	Negative

63. It is seen that

- i. In the POI, that the domestic industry was facing price undercutting from Taiwan. Resultantly, the volume of imports was increasing from Taiwan over the POI. Taiwan imports in the last quarter of POI were higher than the past annualised imports. Further, the price undercutting by Taiwan imports was high in 2020-21. Resultantly, the volume of Taiwan imports increased sharply in that year as compared to preceding year.
- ii. Import prices from Saudi Arabia declined steeply and were undercutting the prices of the domestic industry in the last quarter of POI. Resultantly, the import volumes from Saudi Arabia increased in the last quarter, despite overall decline in the imports.
- iii. Imports from China were undercutting the prices of the domestic industry. However, the volume remained restricted because of anti-dumping duty in place. As the Chinese producers reduced the prices steeply in Q2 of the POI, the volume of imports increased significantly. The price difference however once again increased between China and other subject countries in the Q3 of the POI and the volume of imports fell sharply.
- iv. The volume of non-subject imports however declined steeply with increasing difference between their prices vis-à-vis other import prices.
- v. Saudi Arabia imports were not undercutting the prices in 2019-20 and their prices were higher than non-subject countries. Resultantly, imports from Saudi Arabia were lower than non-subject imports in that year. However, Saudi Arabia imports became cheaper as compared to non-subject imports thereafter. Resultantly, Saudi Arabia imports increased vis-à-vis non subject imports.
- vi. Even when the raw material prices have not declined, and have rather increased, the domestic industry has been forced to face significant price declines.

It is thus, seen that there were several suppliers of the product in the market, and the domestic industry has been forced to benchmark its prices to the lowest prices prevailing in the market. The domestic industry explained that the negative price undercutting during the investigation period was in view of the fact that there was too steep change in the price over the POI itself.

64. The information thus suggests that dumped imports were causing price pressure on the domestic industry. The industry responded by reducing prices, leading to increased sales volumes but also higher losses. The Authority also notes the submission of the domestic industry that most often, whenever the foreign producers declare price revisions, the domestic prices also get affected immediately, whereas imported product lands into India much later. Thus, whereas the effect of price reduction on the domestic prices is immediate, the import price reflects the price decline in subsequent months. It is also well understood that both undercutting, and suppression/depression need not be present at the same time. Thus, in a situation where price undercutting is negative, the Authority is required to consider whether selling prices of the domestic industry show suppressing or depressing effect on the same. The Authority has found significant suppressing effect on the prices.

c. <u>Price Suppression or Depression</u>

65. For the purpose of analyzing price suppression and depression in the domestic market, the applicant has provided information about (a) unit cost of sales, (b) domestic selling price as is given in the table below.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
Actual figures for the period					
Selling Price	Rs./kg	***	***	***	***
Trend		100	88	144	110
Cost of Sales	Rs./kg	***	***	***	***
Trend		100	107	140	139
Raw material cost	Rs./kg	***	***	***	***
Trend		100	104	133	137
Utilities	Rs./kg	***	***	***	***
Trend		100	108	153	171
Changes over previous period					
Selling Price	Rs./kg		(***)	***	(***)
Cost of Sales	Rs./kg		***	***	(***)
Raw material cost	Rs./kg		***	***	***
Utilities	Rs./kg		***	***	***

Particulars	Units	POI-Q1	POI-Q2	POI-Q3
Actual figures for the period				
Selling Price	Rs./kg	***	***	***
Trend		100	83	78
Cost of Sales	Rs./kg	***	***	***
Trend		100	94	91
Raw material cost	Rs./kg	***	***	***
Trend		100	99	103
Utilities	Rs./kg	***	***	***
Trend		100	88	80

Changes over previous period				
Selling Price	Rs./kg	-	(***)	(***)
Cost of Sales	Rs./kg	-	(***)	(***)
Raw material cost	Rs./kg	-	(***)	***
Utilities	Rs./kg	-	(***)	(***)

66. It is seen that:

- i. Whereas cost of sales increased in 2020-21, the selling price declined.
- ii. In April 21 June 22, whereas both cost of sales and selling price increased, the increase in selling price was far more than increase in cost of sales.
- iii. In Q1 of POI, whereas cost of sales increased, the selling price declined significantly.
- iv. In Q2 of POI, whereas both cost of sales and selling price declined, the decline in the selling price was far more than the decline in the cost of sales.
- v. In Q3 of POI, whereas both cost of sales and selling price declined, the decline in the selling price was slightly more than the decline in the cost of sales.
- 67. It is thus seen that whereas the domestic industry was not facing any suppressing/ depressing effects on the prices till April-21-June, 22, the domestic industry faced significant price depression in the POI. Trend registered in 2020-21 were exceptional, as the same were impacted by the onset of COVID-19 pandemic. However, in the POI, with such significant volume of imports entering at prices below costs, the domestic industry was in no other position but to reduce its prices. Further, the domestic industry reduced the prices in a situation where the input costs were increasing. Thus, the subject imports were both suppressing and depressing the prices of the domestic industry in the market causing significant injury.
- 68. Further, it is seen that the prices of the major raw materials used in the manufacturing of the product, i.e., Formaldehyde, Acetaldehyde and caustic soda which accounts to about *** ***% of the total cost have not undergone any notable changes and yet the import prices from the subject countries have fallen significantly.

F.3.5 Economic Parameters of the domestic industry

69. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

70. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization, and sales volume of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend		100	100	100	100
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend		100	70	101	97
Production	MT	***	***	***	***
Trend		100	70	102	97

Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend		100	103	115	121

71. It is seen that:

- i. The capacity with the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- ii. The domestic industry's production and capacity utilisation declined from base year to 2020-21 with decline in demand in the corresponding period and Covid related disturbances. Production however, increased in April 2021-June 22 and slightly declined in the POI.
- iii. Sales of the domestic industry increased from the base year to the POI. Sales in the base year were much below production in that year, leading to significant piling up of the inventories. Thereafter, production in 2020-21 declined significantly and sales volumes remained low. The production and sales in 2019-20 and 2020-21 were impacted by the Covid-19.

b. <u>Market Share in Demand</u>

72. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
Subject Countries	%	43.94	47.29	52.77	52.51
Trend		100	108	120	120
Other Countries	%	31.47	20.02	14.30	9.03
Trend		100	64	45	29
Total Imports	%	75.41	67.31	67.06	61.54
Trend		100	89	89	82
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend		100	133	134	156
Total Share	%	100.00	100.00	100.00	100.00

73. The market share of the subject countries has increased significantly over the injury period, while that of non-subject countries declined very significantly. The market share of the domestic industry increased over the injury period. The same was however owing to low sales volumes in the first two years due to Covid related disturbances. Further, the domestic industry has maintained its share in the market by undertaking steep price reductions. Since non subject import prices have not declined, and rather increased, the market share of other countries has declined significantly over the injury period. While share of subject imports increased by 20% points in the POI when compared to the base year, that of other countries declined by almost 71% points in the same period.

c. Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

74. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT) and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21- Jun'22 (A)	POI (A)
PBT (Profit before Tax)	₹/Mt	***	(***)	***	(***)
Trend		100	-210	205	-348
PBT (Profit before Tax)	₹ Lacs	***	(***)	***	(***)
Trend		100	-216	235	-420
Cash Profit (PBT+ Depreciation)	₹/Mt	***	(***)	***	(***)
Trend		100	-127	172	-218
Cash Profit (PBT+ Depreciation)	₹ Lacs	***	(***)	***	(***)
Trend		100	-130	197	-263
ROCE	%	***	(***)	***	(***)
Trend		100	-204	249	-456

75. It is seen that:

- i. The domestic industry was earning a profit in the base year. However, it incurred major losses in 2020-21, on account of the Covid pandemic. With the recovery of the market, and imports entering the Indian market at fair prices, the domestic industry started earning profits. However, with the increased dumped imports in significant volume and at prices even below costs in the POI, the domestic industry has suffered significant financial losses in the POI.
- ii. Cash profits, profit before interest, and ROI have also followed the same trend as that of profits and have registered a steep decline. The domestic industry suffered cash losses, negative profit before interest and negative ROI in the POI.
- 76. The Authority examined the trends in price parameters within the POI in view of steep decline in the prices and without decline in the costs. It is seen that profit before interest, profit before tax, cash profits and ROI of the domestic industry declined steeply within POI on quarter-on-quarter basis.

Particulars	unit	POI (A)	POI-Q1	POI-Q2	POI-Q3
Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
Trend		100	106	99	96
Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***
Trend		100	116	96	90
Profit/(Loss)	₹/Kg	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-52	-120	-128
Profit/(Loss)	₹ Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-12	-30	-34
PBIT	₹ Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-11	-30	-31
PBIT	₹/Kg	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-48	-120	-124
Cash Profit	₹ Lacs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-10	-30	-35
Cash Profit	₹/Kg	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-43	-171	-126
ROCE	%	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend		-100	-45	-119	-136

77. It is thus seen that the significant reduction in the import price causing significant decline in the performance of the domestic industry in respect of profits before tax, profit before interest, cash profits and ROI.

d. <u>Inventory</u>

78. The data relating to inventory position of the domestic industry over the injury period and the POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Trend		100	4674	201	1725
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Trend		100	4	37	24

79. The Authority notes that level of inventories with the domestic industry increased significantly towards the end of 2019-20 and declined thereafter till March, 2021. Inventories increased thereafter once again. However, the increase in inventories in March, 2020 was because of Covid related disturbances. Further, the domestic industry submitted that it is forced to liquidate the stocks by compromising on the prices and selling at high losses.

e. Employment, Wages, and Productivity

80. The position with regard to employment, wages, and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend		100	98	98	112
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend		100	68	124	136
Productivity Per day	MT	***	***	***	***
Trend		100	70	102	97

81. The Authority notes that the number of employees has increased over the injury period. Accordingly, the wages paid also increased with increase in employees. Productivity per day has remained stable throughout the injury period. These parameters do not indicate adverse effect of dumped imports on the domestic industry.

f. <u>Performance of new player in the industry</u>

82. Perstorp India has submitted quantification of adverse impact on its profitability if the prevailing prices of Pentaerythritol in India are to prevail in 2024. Perstorp India has submitted that it will experience steep negative EBITA of Rs *** Lacs in 2024 on domestic sales of *** MT of Pentaerythritol at the current market price. This will result in lower capacity utilisation rates and higher fixed costs in short and medium term, which will also impact employment and also exports by Pentaerythritol from India.

g. Ability to raise capital investments

83. It is seen that the domestic industry is incurring losses which indicates that the ability of the domestic industry to raise investments for this product is limited.

h. Magnitude of Dumping and Dumping Margin

84. It is seen that the dumping margin from the subject countries is not only more than de-minimis but also significant.

i. <u>Growth</u>

85. The information with respect to growth of the domestic industry is given below:

Particulars	Units	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
Production	%		-30	46	-4
Sales	%		3	11	5
Profit/(Loss) per unit	%		-310	198	-270
ROI	%		-304	222	-282
Cash Profit	%		-227	236	-226

86. It is seen that the growth of the domestic industry was negative in respect of various price parameters. While the growth was positive in respect of volume parameters, the same was due to adverse performance in volume parameters in earlier period due to Covid related disturbances.

G. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS (NON-ATTRIBUTION ANALYSIS)

87. The Authority examined whether other factors listed under the anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include,

inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

88. It is seen that there were significant imports from other countries. However, the volume of non-subject imports declined significantly by the POI, as the price difference between subject and non-subject imports increased significantly. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry. Rather, imports from other countries declined considerably in the POI, with the advent of significant dumped imports from the subject countries. The non-subject imports were primarily from Malaysia, Germany, Spain, Sweden, and Turkey.

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	Apr'21-Jun'22 (A)	POI (A)
1	Import Volume					
i	Subject Country	MT	11,273	9,396	11,593	10,396
ii	Other Countries	MT	8,073	3,977	3,142	1,787
iv	Total	MT	19,347	13,373	14,735	12,183
3	CIF Price					
i	Subject Country	₹/MT	1,10,800	91,191	1,54,635	1,27,345
ii	Other Countries	₹/MT	1,14,940	96,027	1,60,156	1,52,711

b) Contraction in Demand

89. It is seen that, barring 2020-21 demand for the product under consideration has remained stable over the injury period. Demand declined steeply in 2020-21. The same was however due to Covid. Thereafter, the demand has been increasing.

c) Changes in pattern of consumption

90. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

91. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e) Developments in Technology

92. It is seen that there are no significant changes in technology.

f) Export performance of the domestic industry

93. The domestic industry had no exports over the entire injury period.

g) Performance of other products

94. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry have not been considered.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

95. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules. The Authority has determined NIP separately for each of the quarters of the POI.

Country	Period	Import volume	NIP	Landed	Injury margin	Injury margin	Range
		MT	USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
China	POI-Q1	371	***	2,038.35	***	***	
	POI-Q2	1377	***	1,612.28	***	***	
	POI-Q3	72	***	1,546.97	***	***	
	POI	1820	***	1,696.55	***	***	15-25
Saudi Arabia	POI-Q1	1240	***	2,180.89	***	***	
	POI-Q2	1500	***	1,662.33	***	***	
	POI-Q3	1280	***	1,409.73	***	***	
	POI	4020	***	1,741.85	***	***	15-25
Taiwan	POI-Q1	567	***	1,781.97	***	***	
	POI-Q2	620	***	1,528.36	***	***	
	POI-Q3	770	***	1,356.70	***	***	
	POI	1957	***	1,534.30	***	***	25-35

96. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

I.1 Views of other interested parties

- 97. The other interested parties have made the following submissions post circulation of the disclosure statement:
- a) Saudi General Authority of Foreign Trade (GAFT) submitted that measures applied on Saudi exports based on this investigation would lack a proper legal basis justifying the imposition of measures. GAFT requested that investigation should be terminated, for following reasons:
 - i. The Saudi producer couldn't defend itself properly due to Perstorp's control over exports during the POI, impacting price determination objectivity.
 - ii. Total imports, especially from Saudi Arabia, declined during the POI, with a 30% drop compared to the base year.
 - iii. Saudi Arabia didn't undercut prices during the POI, having the highest selling prices compared to other countries and Indian market averages.
 - iv. Domestic industry saw positive trends during the POI, including increased sales, market share, employees, wages, and decreased inventory.
 - v. Negative industry trends didn't correlate with import volumes, suggesting other factors influencing performance.
 - b) Methanol Chemicals Company (Chemanol) has requested that delay in filing of exporter questionnaire response be condoned. The same was due to peculiar circumstances as has been submitted before. The delay was bonafide on account of the peculiar circumstances that arose with its sole exporter viz. Perstop.
 - c) Chemanol has objected to the determination of dumping margin on a quarterly basis since the very inception of the investigation. Normal value calculated by the petitioner was wrong and not according to the laid down rules and principles. It has not been established that the normal value has materially changed over the period. In the case of HFC blends from China, the Authority had said mere decline in selling price does not warrant quarterly examination. The petitioner has not established that the normal value has also materially changed. The Authority has committed a patent error in only considering decline in import prices as a sufficient basis for quarterly examination without determining that the normal value has also materially changed.

- d) Costs of the petitioner could not have been used to construct the normal value in Saudi Arabia since the petitioner's cost of production was inflated by an unprecedented increase in the cost of raw materials in India due to an instability in prices during the pandemic. Acetaldehyde and Formaldehyde are the major raw materials to produce the Pentaerythritol.
- e) Imports from the subject countries decreased from 11,273MT to 10,396MT during the POI. Specifically, Saudi imports dropped from 7,665MT to 5,360MT. Despite this, the share of Saudi imports in the total subject country imports increased marginally from 39.62% to 44.00%. Notably, there was no substantial increase in Saudi imports, which decreased from the base year of 2019-20.
- f) Consumer preference shifting to Saudi Arabia doesn't impact domestic industry pricing. Despite Saudi's price advantage, it hasn't forced domestic industry price reductions.
- g) No price effect attributed to Saudi imports; landed price increased from Rs. 1,26,038/- to Rs. 1,42,815/- per MT. Minimal undercutting suggests no basis for price injury.
- h) Price undercutting due to imports from Saudi could not have caused injury to the domestic industry. As despite some undercutting in 2020-21 and in Apri'21-Jun'22, the domestic industry's performance was stable till then. Thus, there is no price effect on account of imports from Saudi Arabia.
- i) The decline in market share of imports from other countries is irrelevant to assessing adverse effects on the domestic industry's performance. Chemanol requests the Authority to exclude this fact when determining the impact of imports from the subject countries on the domestic industry's market share in the final findings.
- j) The domestic industry's profit reduction can't be solely blamed on Saudi imports. Despite negative profitability metrics since the start of the POI, Saudi price undercutting remained negative until the last quarter. The industry hasn't adequately shown how Saudi imports caused injury in Q1 and Q2 of the POI.
- k) Even if India's domestic industry was facing difficulties, these difficulties caused by the increase in raw material prices resulting from the Covid-19 pandemic as well as the other factors mentioned above, rather than the subject imports.
- h) It has been submitted that minutes & annual reports of the domestic industry have not been included as part of the disclosure statement.
- i) It has been requested that duty free imports i.e. import against duty free license, should be excluded from analysis.
- j) In total imports, it would be seen that imports from Russia and Sweden have also been regular and in good quantity.
- k) It would be seen that landed price of the subject goods from Taiwan is higher than Saudi Arabia, and further, landed price of Saudi Arabian imports is higher than that of China.
- 1) Perstorp Sweden and Perstorp India are related companies.
- m) The domestic industry should respond to difference in usage & prices of the subject goods with purity difference of 92, 96, 98 & 99%.
- n) Further, it has been requested to look into the difference that establishment of Perstorp's new plant would have made to the domestic industry.
- o) PUC's prices are directly proportionate to the raw material prices of methanol.
- p) In terms of customers preference, it has been submitted to the Authority that Taiwanese subject goods are preferred over that of China & Saudi Arabia.
- q) In reference to whether the Authority should consider information of Asian Paints, it has been submitted that the Authority should remove information of Asian Paints.

I.2 Views of domestic industry

- 98. The domestic industry has made the following submissions post circulation of disclosure statement:
 - a) Anti-dumping duty on Chinese Pentaerythritol imports expired on June 28, 2022. domestic industry assumed prices would stay reasonable, so they didn't seek a remedy through a sunset review.
 - b) After the anti-dumping duty ended, Chinese producers aggressively dumped Pentaerythritol, causing harm and losses to the domestic industry. Dumping worsened in each quarter of the POI.
 - c) Chinese dumping led other countries to do the same, threatening the domestic industry's market share in India. Fair competition is necessary for survival.

- d) The product under investigation is a commodity product which is influenced by market prices. When one source lowers prices, others follow suit to stay competitive, including both other countries and the domestic industry in India.
- e) The Indian market faces a demand-supply gap. The domestic industry earned profits with duties in place, leading to investments by other players like Perstop. Perstop invested Rs. *** crores to produce *** MT of Pentaerythritol, enough to meet the Indian demand. However, dumped imports are jeopardizing Perstop's establishment. Earlier anti-dumping duties encouraged industry expansion, but dumped imports now threaten investments. Protecting these investments is crucial for India's self-reliance.
- f) The European Commission considers protection of investment as a parameter for determining the target price (non-injurious price).
- g) Impact of duties as quantified is negligible.
- h) Negative price undercutting during the investigation period was in view of the fact that there was too steep change in the price over the POI itself.
- i) The domestic industry faced higher losses from spot sales due to falling import prices and decreased contract sales volumes.
- j) Lowering prices increased contract sales volumes, but also led to higher losses in contract sales.
- k) Towards the end of the investigation period, rising import prices corresponded with increased contract sales volumes, resulting in reduced losses from spot sales.
- Dumped imports pressured domestic prices, prompting lower prices and higher sales but also increased losses. Foreign price adjustments quickly affected domestic prices, while import prices reflected in later months. If undercutting was absent, the Authority should examine if domestic prices showed a suppressing effect, as suggested by its disclosure statement.
- m) Duty should be imposed for a period of 5 years in US dollars
- n) Perstorp is in agreement with the Authority's conclusion in the disclosure statement.

I.3 Examination by the Authority

- 99. The Authority notes that the post-disclosure comments / submissions are mostly reiterations of the submissions made before. These have already been examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. These have however been examined below to the extent found relevant.
- 100. As regards transactions of the product in different purities, the Authority notes that the interested party has not demonstrated the existence of different purities and their impact on the analysis. In fact, the Authority had sought comments from parties and none of the parties desired consideration of a PCN for the purpose of analysis.
- 101. As regards the contention that the Saudi producer could not defend itself properly due to Perstop control over exports to India, the Authority notes that the export price determination requires complete information with regard to the price at which exports have been made to India. Saudi producer itself has admitted that Perstop alone has control over exports to India. If Perstop has preferred not to cooperate with the Saudi producer, the Authority notes that the same is beyond the jurisdiction of the Authority. Not only the Saudi producer has filed significantly belated questionnaire response, but also, the same does not contain information on the price at which exports have been made to India. It was open for the Saudi producer to file their response within the time limits. However, even the same was delayed significantly. This clearly shows that the Saudi producer considered cooperation and participation of Perstop important and necessary for the present investigation, but failed to ensure the same.
- 102. The Authority further notes that it is not only a question of delay in filing of response, but also the fact that information with regard to export price to India is significantly incomplete without participation from Perstop. The producer itself has admitted that entirety of their exports has been made through Perstop. Under these circumstances, the export price cannot be appropriately and adequately determined without cooperation and participation from Perstop.
- 103. As regards the contention that there is no justification for determining dumping margin and injury margin by considering quarterly comparisons, the Authority notes that there is a decline in the normal value over the period by more than 11%. Since there is a significant decline in the normal value also on quarterly basis, it is also appropriate to determine dumping margin by considering quarterly comparison. In any case, it is seen that even

if the comparison is done on weighted average basis, the same leads to significant dumping margin and injury margin.

104. As regards the contention that exports from Saudi Arabia declined by 30% over the injury period, the Authority notes that the injury to the domestic industry has been determined cumulatively from the subject countries. Saudi producer has not provided any evidence nor demanded individual assessment of injury. In a situation where the Authority is required to determine injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries, movement of import from individual countries is immaterial. In any case, the Authority has not concluded existence of injury on account of adverse volume effect. The conclusion on injury is based on adverse price effects of dumped imports on the domestic industry. On this account, it is seen that the import price declined from all the sources, including Saudi Arabia. The table below demonstrates.

Import Price Rs/MT	China	Saudi Arabia	Taiwan
POI-Q1	1,51,203	1,61,776	1,32,184
POI-Q2	1,23,458	1,27,291	1,17,033
POI-Q3	1,19,015	1,08,457	1,04,376

- 105. As regards the contention that Saudi Arabia producer did not undercut the prices of the domestic industry, it is noted that the import prices from Saudi Arabia declined steeply. Further, whereas the price undercutting for Saudi Arabia was negative in Q1 and Q2 of the POI, the price undercutting was positive and significant in Q3 of the POI. It is also seen that whereas import price from Saudi Arabia was higher than import price from China in Q1 and Q2, the same was lower in Q3. It is, thus, very evident that the producers from Saudi Arabia also reduced their prices significantly to match the prices offered by the Chinese producers.
- 106. As regards the contention that Saudi imports did not cause injury, it is noted that the investigation has shown that the subject imports have resulted in significant depressing effects on the prices and performance of the domestic industry deteriorated steeply in the POI and on quarter-on-quarter basis. Further, the domestic industry suffered significant financial losses, cash losses and negative return on investment.
- 107. The submissions concerning negative price undercutting have been examined further.
 - a) The domestic industry explained that the negative price undercutting during the investigation period was in view of the fact that there was too steep change in the price over the POI itself. Not only prices changed from month to month but also prices varied significantly in respect of imports reported in the same month. The domestic industry highlighted from the transaction wise data that the import of the product occurred at significantly different prices in the same month.
 - b) In view of the submission of the interested parties with regard to absence of price undercutting, the Authority examined the transaction wise import data in detail. It is seen that indeed imports of the product were reported at a very significantly different prices in the same month. The table below shows imports reported the low and high price reported in different months in POI. The table also shows weighted average price for the month. The domestic industry contended that it is not possible for the domestic industry to get the price from the customers based on highest or weighted average import price, when there has been so severe a price fluctuation within the month. The consumers look at the prices prevailing in the market and expect the domestic industry to match the same. Thus, in a situation where imports are being reported at significantly different prices, the domestic industry gets constrained to offer the price based on low price at which imports are being reported. The domestic industry contended that determination of price undercutting under these circumstances would be misleading on the basis of weighted average import prices. The domestic industry demanded that the Authority should consider only those imports which were undercutting the domestic prices. On the basis of the same, the domestic industry submitted that around 45% of the imports were reported at a price below the selling price of the domestic industry in the POI.

SN	Month	DI selling price	Import price from	Import price from subject countries				
			Average	Lowest	Highest			
1	Jul-22	***	154000	120950	181390			
2	Aug-22	***	156453	116667	179113			
3	Sep-22	***	136856	116580	160900			
4	Oct-22	***	126213	109897	160900			

5	Nov-22	***	136829	116482	144381
6	Dec-22	***	127958	104438	152475
7	Jan-23	***	105601	98760	123876
8	Feb-23	***	111200	95163	123236
9	Mar-23	***	1,04,907	96,025	1,42,662

- c) The Authority has taken notes of the submissions made by the domestic industry. It is noted that none of the interested parties have disputed the claim of the domestic industry. The Anti-dumping Rules stipulates various economic parameters to assess the injury caused to the domestic industry from imports. Price undercutting is one of the aspects for the determination of injury, however, it is noted that price undercutting is not 'the'' factor to assess injury. In a situation where price undercutting is negative, the further examination on the aspect of injury is the suppression and depression effect caused to the domestic industry due to the imports. There can be situations where all the three parameters *viz*. undercutting, suppression and depression need not necessarily be positive at the same time. Thus, in a situation where price undercutting is negative, the Authority is required to consider whether selling prices of the domestic industry show supressing effect on the prices of the domestic industry despite a negative price undercutting which establishes that one of the parameters of injury determination *viz*. price suppression is positive.
- 108. As regards the contention that the consumers' preference is shifting to imports from Saudi Arabia, thereby it does not impact domestic industry prices and especially since the import price from Saudi Arabia was higher than Taiwan and China in Q1 and Q2; it is seen that the import prices from Saudi were lower than that of China in Q3. Further, it is also seen that import price from Saudi Arabia also declined steeply on quarter-on-quarter basis over the POI.
- 109. As regards the contention that the performance of the domestic industry has improved in respect of volume parameters, the Authority notes that the domestic industry has not even claimed adverse volume effect as the form of injury. Nor the Authority has found that the dumped imports have caused adverse volume effects to the domestic industry. The Authority has found that dumping of the product in the country has caused significantly adverse price effect to the domestic industry. The same is quite visible in decline in profit, cash profit and return on investment in the POI. It is also seen that the dumping margin, price undercutting and injury margin increased significantly within POI.
- 110. As regards absence of price effect due to Saudi imports, the Authority considers that adverse price effects is required to be seen by considering the performance of the domestic industry in respect of profit, cash profit and return on investment. The investigation has clearly shown that the domestic industry has suffered significant depressing effects on their prices. The price depression caused by imports has resulted in significant decline in profit, cash profit and return on investment.
- 111. As regards the contention that import price from Saudi Arabia has increased by 13%, it is seen that the cost of sales increased by 39% whereas the landed price of imports increased only by 13%. Further, it is seen that raw materials and utilities costs for the domestic industry increased by 37% and 71% respectively. It is thus evident that imports prices have not increased in tandem with increase in the cost of the domestic industry.
- 112. As regards the imports from Russia and Sweden, the same has been appropriately examined in non-attribution analysis and imports from non-subject sources. It has already been noted that imports from non-subject countries are either insignificant in volume or higher in prices.
- 113. As regards the contention that import price from Taiwan is higher than Saudi Arabia, and further Saudi prices are higher than China, it is noted that Saudi producer has argued to the contrary and submitted that their prices are the highest. In any case, the Authority has undertaken cumulative analysis of injury to the domestic industry.
- 114. As regards the contention that Perstop Sweden and Perstop India are related entities, the Authority notes that the issue is entirely irrelevant, as the domestic industry, as defined in the present investigation does not consist of Perstop India.
- 115. As regards new manufacturing facilities of Perstop India, it is noted that the said plant came into production much after the investigation period. Therefore, injury to the domestic industry found in the investigation period cannot be attributed to the new production facilities of Perstop India.
- 116. As regards the contention that prices of PUC are directly proportionate to raw material prices of methanol, the Authority notes that the same has been appropriately considered in the injury analysis.

- 117. With regard to the submission made by interested parties that the European Commission considers protection of investment as a parameter for determining the target price (non-injurious price), the authority notes that NIP has been calculated in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules and consistent practice of the Authority.
- 118. As regards preference of Taiwanese product, it is noted that the import price from Taiwan have been all along lower than import price from all other countries. Moreover, it is seen that volume of imports from Taiwan was lower than volume of imports from other countries, and the same increased significantly over the injury period. Therefore, information on record do not suggest any possibilities of preference of Taiwanese material.
- 119. As regards information concerning Asian Paints, the Authority has considered that Asian Paint is producing the product for captive consumption. The Authority has therefore not considered any information relating to Asian Paint for injury analysis. Further, the petitioner constitutes domestic industry whether or not production of Asian Paint is included in gross domestic production.

J. PUBLIC INTEREST

J.1 VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

120. The other interested parties have made the following submissions with regards to public interest:

- i) The end-user should provide a letter regarding substitution of imported product with domestic product.
- ii) The Authority should critically examine consumer's interest and interest of the public at large.

J.2 Views of the domestic industry

121. The domestic industry has made the following submissions with regards to public interest:

- i) Imposition of anti-dumping duties is essential to ensure a level playing field and prevent India from becoming solely import reliant on the product. There are no other industries in India selling the subject goods in the Indian market which would mean that in case of a collapse of the applicant, the Indian market would become entirely reliant on imports to meet the demand of the subject goods, leading to issues such as high prices, disrupted availability, or trade deficits in a larger picture.
- ii) It is in the interest of consumers to have a market with fairly priced products powered by a competitive domestic industry that can compete with imports.
- iii) Encouraging domestic manufacturing activities in India is essential to aid its role in becoming a manufacturing powerhouse. Domestic production will further boost employment and increase the GDP of the country.
- iv) Previous duties levied since 2002 have not created any adverse impact.
- v) Other parties have sought consumers interest to be checked, however, none have substantiated with evidence. Whereas the applicant has submitted detailed EIQ in the case.

J.3 Examination by the Authority

- 122. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way.
- 123. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others and had also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to solicit information *viz. inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.
- 124. The Authority has not received any response to questionnaire issued to the interested parties, besides the domestic industry.
- 125. It is noted that the primary consumption of the subject goods is primarily used in the paint industry (commanding more than 90% of total consumption). The domestic industry has submitted that since there is past history of imposition of anti-dumping duties, it has relied on the annual reports of the major end-users of the product under consideration, like Asian Paints, Nerolac Paints, and Berger Paints. It is seen that the paint industry has not referenced to any increased cost or hardship caused to them by the duties that were imposed earlier. The Authority considers that duties were in force prior to the POI and the performance of these industries, as seen through the annual reports placed on record, does not show any adverse effect. It is thus seen

that while the duties had no known adverse effect on the consumers, cessation of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries has had significantly adverse effect on the domestic industry, as is evident from the injury analysis conducted in this notification.

- 126. Interested parties have argued that imports into India are necessary because there is gap between demand and supply in India and the single domestic producer in India has a limited capacity and cannot meet the entire demand of Pentaerythritol in India. The Authority notes that the gap between demand and supply cannot justify dumping of the product in India, particularly when the same is causing injury to the existing domestic industry. Also, it is noted that the situation regarding gap between demand and supply shall be remedied with the investment by new domestic producer, Perstorp India. Perstorp India has commenced production of Pentaerythritol India in November 2023 and has a capacity of 40,000 MT per annum. The combined capacity of domestic producers in India now are far higher than the demand of Pentaerythritol in India. However, Perstorp has claimed that the dumped imports are threatening effective establishment of the company. The anti-dumping duties that were in force earlier had encouraged the Indian industry to invest and expand to meet the domestic demand.
- 127. The opposing interested parties have not provided any information on how the anti-dumping duty is likely to adversely impact the downstream industry and end customers. The domestic industry has provided calculations on the impact of duty on the end consumers, i.e., paint industry. It is seen that subject goods do not even constitute a major input in the production of subject goods. Thus, the impact of the anti-dumping duty will be too low.

Justification for extension of measures: Anti-Dumping Duty (ADD) was in force on Pentaerythritol imports from China till 28th June 2022. The domestic industry submitted that it believed that prices would remain stable and fair after anti-dumping duty expiry, and accordingly, sunset review was not pursued to avoid unnecessary remedy requests. However, following the anti-dumping duty expiry, foreign producers once again engaged in aggressive dumping, causing renewed injury and losses to the domestic industry. This is also evident from the trends registered in performance parameters. It is noted that the intensity of dumping escalated over the POI, as is seen in increasing dumping margin and injury margin in each quarter of the Period of Investigation (POI). Consequently, other countries have also resorted to aggressive dumping to safeguard their market share in the Indian market, necessitating a level playing field for the domestic industry's survival.

- 128. The PUC in this case is a commodity product, where purchasing is heavily influenced by prevailing market prices. Due to competitive pricing pressure from one source, all other suppliers are compelled to adjust their pricing accordingly. Therefore, whenever one exporter lowered its prices, other suppliers in the market followed suit to remain present in the Indian market, aligning their prices with the prevailing prices.
- 129. Moreover, it is seen that anti-dumping duties in force earlier and fair market situation incentivized the industry to invest and set up significant capacities in order to fulfil Indian demand. The Authority considers that protection of investment is essential, as the dumped imports can jeopardize these investments and establishment of the operations of the company. It's imperative to safeguard the additional investments made to ensure the country's self-reliance.

K. CONCLUSION

- 130. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
 - i) The scope of the product under consideration is "Pentaerythritol" originating in or exported from China PR, Saudi Arabia and Taiwan.
 - ii) The application has been filed by M/s Kanora Chemicals & Industries Ltd. M/s Asian Paints (India) Ltd. ("Asian Paints") is also a producer of the subject goods in India. The applicant is the major producer of the subject goods in India and constitutes domestic industry, considering both, the production of Asian Paints, as well as after exclusion of Asian Paints production, under Rule 2(b) of the Rules and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
 - iii) Perstop India has participated as a supporter of the proposed measure and has submitted that they are setting up a manufacturing unit of *** MTPA product under consideration at an investment of Rs. *** crores. The company has now submitted that they have since commenced commercial production. The company has submitted that imposition of anti-dumping duty is necessary to prevent dumping, as this dumping would not allow them to produce and sell at remunerative prices and the investment being made by them would significantly suffer.
 - iv) Response of Chemanol has not been accepted by the Authority for determination of individual dumping margin, as there was inordinate delay in filing questionnaire response and seeking extension in a timely

manner. Further, they filed a grossly incomplete response. Exports to India have been made by Perstorp AB. However, Perstorp AB has not filed questionnaire response. Therefore, response filed by Chemanol was grossly insufficient to determine individual dumping margin. The reason given by Chemanol for not filing response in a timely manner and for not being able to ensure complete questionnaire response are not worthy of acceptance. The Authority considers that it is for the producer concerned to ensure that the questionnaire response is complete and all relevant information has been provided to the Authority for determination of individual dumping margin.

- v) In view of significant fluctuations in the import prices and raw material prices during the POI, quantification of both dumping and injury margin has been undertaken on quarterly basis.
- vi) The dumping margin is not only above *de-minimis* level but also significant. The dumping margin progressively increased within the investigation period. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping.
- vii) Imports from the subject countries remained nearly the same throughout the POI and the injury period. Imports from other countries declined over the injury period.
- viii) There was a steep decline in the import price within the POI, leading to significant decline in the selling price of the domestic industry. The domestic industry submitted that it is forced to benchmark its prices to the lowest prices prevailing in the market, irrespective of the country, considering that the product is a pure commodity product. The average price undercutting during the POI was negative in view of the fact that there was too steep change in the price over the POI itself.
- ix) The market share of the subject countries has increased over the injury period. While market share of the domestic industry increased over the injury period, it is seen that the same is due to price corrections taken by the domestic industry.
- x) The production, capacity utilisation and domestic sales volume were maintained, in view of the nature of the product, and, as the domestic industry took frequent and steep price corrections in order to maintain sales.
- xi) In order not to lose market and to keep the production running, the domestic industry had no other option but to follow the price levels set by the dumped imports. This resulted in the significant drop in profitability in the POI.
- xii) The domestic industry was earning a profit in the base year. However, it suffered losses in 2020-21, on account of the Covid pandemic. With the recovery of the market, and fair priced imports, the domestic industry earned profits. However, with expiry of duties and increase in dumped imports and at prices even below costs in the POI, the domestic industry has suffered significant financial losses in the POI.
- xiii) Considering the entry of a new producer, i.e. Perstrop India in the Indian market, it has been noted from their submissions that if the prevailing prices of Pentaerythritol in India are to prevail, there would be an adverse impact on their performance and consequent establishment of their production facilities.
- xiv) The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.
- xv) The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. None of the interested except the domestic industry have responded to the Economic Interest Questionnaire. No Economic Interest Questionnaire response has been filed by any users. The domestic industry has also provided a quantification of the potential impact of the duty. However, none of the interested party has made any comments on this.
- 131. In view of the above the Authority finds that there is sufficient evidence that the product has been exported at dumping prices and such dumping of the product has caused material injury to the domestic industry.

L. RECOMMENDATION

- 132. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
- 133. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of antidumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic

industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act. 1962 and applicable level of the customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A. of the Customs Tariff Act, 1975.

S. No.	Heading/su b-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer/exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2905.42.90	Pentaerythritol	China PR	Any country including China PR	Any	345.15	МТ	USD
2.	2905.42.90	Pentaerythritol	Any country other than China PR	China PR	Any	345.15	МТ	USD
3.	2905.42.90	Pentaerythritol	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Any	300.15	MT	USD
4.	2905.42.90	Pentaerythritol	Any country other than Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any	300.15	МТ	USD
5.	2905.42.90	Pentaerythritol	Taiwan	Any country including Taiwan	Any	499.01	МТ	USD
6.	2905.42.90	Pentaerythritol	Any country other than Taiwan	Taiwan	Any	499.01	MT	USD

DUTY TABLE

***Note-Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

134. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

M. FURTHER PROCEDURE

135. An appeal against this determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority